मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 52 मार्च, 2012 अंक : 9

प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2012

मूल्य : 10 रुपये

12 वां अन्तर्राष्ट्रीय बाल-महोत्सव, 2011 सोनीपत

(6 नवम्बर से 11 नवम्बर 2011)

'12वें अन्तर्राष्ट्रीय बाल-महोत्सव 2011' के अवसर पर 10 जनपथ में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी के साथ राजस्थानी दल।

ऐतिहासिक लाल किले का भ्रमण करता राजस्थानी दल।

माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग रा.उ.मा.वि., 40जीबी (श्रीगंगानगर) के संस्थाप्रधान श्री महेन्द्र चौधरी को राज्यस्तरीय श्रेष्ठ विद्यालय (लगातार तीसरी बार) पुरस्कार देते हुए।

माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आतिथ्य सत्कार एवं निर्माण सुपरवीजन पाठ्यक्रमों का लोकार्पण करतीं केन्द्रीय शिक्षा सचिव श्रीमती अंशु वैश्य एवं अन्य विशिष्टजन।

राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का 'थरपणा उच्छब'।

रा.उ.मा.वि., गुढ़ा भगवानदास (नागौर) में कैरियर-डे का आयोजन।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 52 अंक : 9

मार्च, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2012

प्रधान सम्पादक
आलोक गुप्ता

•

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

•

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

उज्ज्वल परम्परा में जोड़ें नया अध्याय	5	दिशाकल्प
महिला सशक्तीकरण के वैश्विक प्रयास	6	पुनाराम
राजस्थान में नारी उत्थान एक नज़र में	9	सम्पतलाल शर्मा 'सागर'
शैक्षिक संवेदन	11	सुधा पण्ड्या
लड़का लड़की एक समान	12	सुनील कुमार
समाज एवं राष्ट्र निर्माण में नारी की महत्ता	16	रामचन्द्र स्वामी
जीवन का आधार जल	18	अनिल कुमार प्रजापत
जल संरक्षण का महत्त्व	19	ओ.पी. शर्मा
सृजनात्मकता एवं अभिभावक	21	प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती
विशेष रपट		
व्यावसायिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन		
अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा	28	ओमप्रकाश सारस्वत
सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समारोह	30	महावीर प्रसाद गर्ग
बापू की सीख - 10 शरीर-श्रम	31	मो.क. गाँधी
झोला पुस्तकालय - 8		
पुराना पड़ चुका इल्म	32	शिवरतन थानवी
शिक्षा तब और अब	35	रघुवर दयाल सिंहल
जरा, बच्चे की सुनिए !	36	महेश कुमार चतुर्वेदी
कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का?	37	श्रीराम शर्मा आचार्य
शिविरा विचार मंच		
भावनात्मक रूप से जुड़ें	42	मधुबाला शर्मा
नैतिकता के टूटते तटबंधों के मध्य – मेरे कुछ सत्प्रयास	42	डॉ. छाया शर्मा
रपट		
राजस्थानी भाषा के साहित्यकार सम्मानित	44	रवि पुरोहित

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 23-27/शैक्षिक समाचार - 45/
पुस्तक परिचय 46-47/चतुर्दिक 48-49/भामाशाह - 50

मुखावरण : नभांशु श्रीमाली ***आवरण संयोजन*** : मुकेश व्यास

पाठक पीठ

'दिशाकल्प' के तहत आयुक्त महोदय के विचार विज्ञान को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले हैं। श्रीमान् ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 'देश को कुछ देना सीखें' प्रेरणास्पद है। विद्यार्थियों, युवा वर्ग एवं महिलाओं को आगे बढ़ने में पूर्ण मदद करनी चाहिए। शिक्षकों को विद्यालय में उपलब्ध विज्ञान सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।

–एम.एस. कस्वाँ, झुन्झुनूं

शिविरा पत्रिका फरवरी 2012 पढ़ने को मिली, मैं अत्यन्त प्रभावित हुई शिक्षा विभाग की अच्छी मासिक पत्रिका है, चतुर्दिक में आधुनिक विज्ञान की प्रगति, खोज नए आविष्कार आधुनिक युग में चिकित्सा जगत की उपलब्धियाँ टीके, दवा लाभकारी सिद्ध होगी। श्री सोहनलाल प्रजापति का आलेख 'प्रतिभावान छात्राओं की आदर्श : गार्गी' अत्यन्त रोचक लगा। छात्राएँ अधिक से अधिक गार्गी पुरस्कार प्राप्त करें। शिविरा पत्रिका द्वारा अधिक से अधिक आधुनिक चिकित्सा की जानकारी देने का श्रम करें।

–डॉ. पुष्पा, पीपली, झुन्झुनूं

शिविरा पत्रिका फरवरी 2012 में आकर्षक मुखावरण के लिए बधाई। विज्ञान के जयघोष से गूँजा गुलाबी शहर विशेष रपट काफी रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक लगी साथ ही 'देश को कुछ देना सीखें' ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का बॉक्स में छपा आलेख मन को छू गया शिविरा पत्रिका देखते ही शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है।

–महेश मुंजाल, बीकानेर

शिविरा पत्रिका, फरवरी 2012 का अंक विज्ञान को समर्पित रहा अंक संग्रहणीय और अच्छा लगा। दिशाकल्प के अन्तर्गत श्रीमान् आलोक गुप्ता, आयुक्त महोदय का कथन समसामयिक एवं बहुमूल्य लगा 'विज्ञान के साथ मानवीयता का होना जरूरी है...' 19वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को श्री ओमप्रकाश सारस्वत एवं श्री हरिकृष्ण आर्य की रपट चित्रमय झाँकी की भाँति अच्छी लगी। इस अवसर पर महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब की उपस्थिति नन्हें वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय रही। चतुर्दिक में उपयोगी जानकारी तथा आकर्षक मुखावरण के लिए धन्यवाद।

–एम.एल. जांगिड़, बीकानेर

बाल विज्ञान कांग्रेस का सार्थक जमावड़ा देश के नौनिहालों के लिए प्रेरणास्पद आयोजन है। वैश्विक विद्यार्थी समुदाय में भारतीय प्रतिभाओं की पैठ जमाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी पीढ़ी विज्ञान विषय को आत्मसात करे। बेहतर दृष्टि एवं सुन्दर सृष्टि की परिकल्पनाएँ विज्ञान के बगैर साकार नहीं हो सकतीं। हमें मिसाइल पितामह ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को आदर्श मानकर उनके हर सपने को साकार करना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक भी ये सुनिश्चित करे कि उनकी औलादें विज्ञान विषय लेकर अपने कैरियर को बुलंदियों पर पहुँचाएँ।

–सुरेश बुन्देल, टोंक

शिविरा पत्रिका फरवरी 2012 अंक मिला 'जय विज्ञान' का उद्घोष देता दिशाकल्प प्रेरणादायी लगा। इसी सन्दर्भ में 'विज्ञान के जयघोष से गूँजा गुलाबी शहर' विशेष रपट से उपयोगी जानकारी मिली विभिन्न जानकारियों व अनुभवों को समेटे अन्य सामग्री भी संग्रहणीय है। उत्तरोत्तर सुधरते प्रकाशन श्रम के पीछे छिपी जीवटता को सादर प्रणाम।

–विश्वनाथ भाटी, तारानगर (चूरू)

शिविरा का नया अंक प्राप्त हुआ, आभार! पत्रिका का नया निखरा स्वरूप सभी को बड़ा पसंद आ रहा है, बधाई इस सुखद बदलाव के लिए। अब पत्रिका में वह सब कुछ है जो एक सम्पूर्ण शिक्षा विभागीय पत्रिका के लिए जरूरत होती है। आलेख, रपट, सम्पादकीय, कार्टून, प्रार्थनाएँ और समाचार आदि सब-कुछ पुस्तक समीक्षा में पुस्तक का सचित्र विवरण छापना तथा एक-दो काव्य रचनाएँ (कविताएँ) देना पत्रिका को रोचक व पठनीय बनाता है, बारम्बार बधाई।

–सत्यनारायण 'सत्य', भीलवाड़ा

शिविरा का माह फरवरी 2012 का अंक प्राप्त हुआ। 'प्रारब्ध प्रधान या पुरुषार्थ' लेख निश्चित असफल या निराश व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक है। मनुष्य को सफलता के लिए पुरुषार्थ को श्रेय और असफलता के लिए पुरुषार्थ प्रारब्ध को गढ़ता है। असफलता में अपने कृत्यों में रही कमियों को ढूँढ़ना चाहिए और उसे पुनः प्रयास करने चाहिए। कमी दूर करने के प्रयास भी पुरुषार्थ ही हैं। अतः असफलता हेतु प्रारब्ध को दोषी ठहराने के बजाय पुरुषार्थ की कमी को ढूँढ़कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

–महेन्द्र कुमार शर्मा, भवानीखेड़ा

चिन्तन

जिस तरह कंचन को काटकर, तपाकर, घिसकर और पीटकर उसकी पहचान की जाती है, उसी तरह त्याग, शील, गुण और कर्म – इन चार प्रकारों से मानव की भी परीक्षा ली जाती है।

–चाणक्य

सत्यमेव जयते

आलोक गुप्ता
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा

"परीक्षाओं में कुशलता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरे देश में विशिष्ट पहचान है। वस्तुतः इसके पीछे संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों का अनुशासन, समर्पण, प्रतिबद्धता व परिश्रम छिपे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी हम साधना एवं निष्ठा के बल पर परीक्षा-यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।"

दिशाकल्प

उज्ज्वल परम्परा में जोड़ें नया अध्याय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2012 की परीक्षाएँ इस माह 15 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। परीक्षाओं में कुशलता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरे देश में विशिष्ट पहचान है। वस्तुतः इसके पीछे संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों का अनुशासन, समर्पण, प्रतिबद्धता व परिश्रम छिपे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी हम साधना एवं निष्ठा के बल पर परीक्षा-यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।

परीक्षाओं की सुचारू व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर समस्त मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवाए जा चुके हैं। मैं परीक्षा केन्द्र स्तर पर केन्द्राधीक्षकों एवं शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि–

1. परीक्षा केन्द्र एवं उत्तर-पुस्तिका संग्रहण-वितरण केन्द्र अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हैं। अतः इनकी पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित की जावे।
2. प्रश्न-पत्र धारित परीक्षा केन्द्रों पर रात्रि में शारीरिक शिक्षक, एन.सी.सी./स्काउट/राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी, अनुभवी, कुशल एवं स्वस्थ शिक्षकों की ड्यूटी प्राथमिकता से लगाएँ।
3. केन्द्राधीक्षकों/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षको द्वारा परीक्षा अवधि में मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा तथा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कृपया इसका ध्यान रखें।
4. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के समस्त स्थानीय विद्यालयों के शिक्षकों का अवकाश विशेष परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
5. अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों से ही वीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य करवाया जाए।
6. पुलिस स्टेशन से परीक्षा केन्द्र तक प्रतिदिन प्रश्न-पत्र लाए जाएँगे तथा प्रश्न पत्र लाने वाले दल में निजी विद्यालय का कोई अध्यापक नहीं रखा जावे।
7. निजी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को वीक्षण परिवीक्षण सहित किसी भी परीक्षा कार्य से जोड़ना मना है। आवश्यकता होने पर प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को लगाया जावे।

बोर्ड परीक्षाओं के तुरन्त पश्चात् स्थानीय परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी। इन कक्षाओं के बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। मैं चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तथा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रतिदिन स्थानीय परीक्षाओं हेतु तैयारी करने वाले बालक-बालिकाओं की ठोस शिक्षण व्यवस्था भी हमारे शिक्षक करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के सफल व सुखद आयोजन की उज्ज्वल परम्परा में इस वर्ष हम एक और नया अध्याय जोड़ सकेंगे।

(आलोक गुप्ता)

महिला सशक्तीकरण के वैश्विक प्रयास

❑ पुनाराम

वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे-जैसे बेहतर होती गई, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम में भी तेजी आती गई। विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतंत्रता, पारिवारिक सम्पत्ति में भागीदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को न केवल पुरुषों के बराबर लाया गया, वरन जहाँ कहीं आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ उनके सम्मान एवं निष्ठा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वैश्विक स्तर पर किए गए कुछ प्रयासों का लेखा-जोखा इस प्रकार है– 1. सन् 1893 में न्यूजीलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 2. सन् 1901 में आस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 3. सन् 1908 में अमेरिका में इंटरनेशनल वूमन राइट्स एलायंस की स्थापना की गई। 4. सन् 1913 में नार्वे में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 5. सन् 1916 में कनाड़ा, सन् 1918 में ब्रिटेन सन् 1945 में इटली, सन् 1971 में स्वीटजरलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 6. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'स्टेट ऑफ वूमन' के नाम से एक कमीशन का गठन। 7. सन् 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के नियमों को पारित किया। 8. सन् 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला उत्थान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। 9. सन् 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मेक्सिको में आयोजित किया गया। 10. सन् 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 11. सन् 1975-85 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया। 12. सन् 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि की स्थापना। 13. सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु नीति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसम्बर 1979 को स्वीकृत की गई। 14. सन् 1980 द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन जुलाई 1980 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित किया गया। 15. तृतीय विश्व महिला सम्मेलन जुलाई 1985 में नैरोबी (केन्या) में आयोजित। 16. सन् 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। 17. सन् 1993 भारत में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 18. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चतुर्थ महिला सम्मेलन सन् 1995 में पेइचिंग (चीन) में आयोजित किया गया। 19. सन् 2001 भारत में महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। 20. सन् 2005 बांग्लादेश में संसद की 300 सीटों में से 45 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 21. सन् 2005 में कुवैत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त। 22. सन् 2005 में एंजिला मार्कल जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर चुनी गई। 23. सन् 2005 में लाइबेरिया में एलन जॉन्सन सरलीफ अफ्रीका के किसी देश के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी। 24. सन् 2005 भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून पारित। 25. सन् 2006 बहरीन में जासेम अल कावरी खाड़ी देश में महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनीं। 26. सन् 2007 में भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील बनीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महिला अधिकार– संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग... मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और महत्त्व में तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं.... इस प्रकार चार्टर में महिलाओं के समानता के अधिकार की घोषणा की गई। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र सन् 1948 में सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका सम्मान करने के लिए बाध्य किया गया है। इस घोषणा के कई अनुच्छेदों में महिला अधिकारों का उल्लेख मिलता है जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 2– प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा पत्र में वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता, सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16(1)– वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी सीमा के बिना विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 23(2)– प्रत्येक व्यक्ति को किसी भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है अर्थात समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान वेतन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

अनुच्छेद 26(1)– प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जो कम से कम प्रारम्भिक और मौलिक अवस्था से निःशुल्क होगी इस प्रकार की घोषणा पत्र में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग– आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सन् 1946 में यह आयोग स्थापित किया गया। आयोग सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की समानता की दिशा

में की गई प्रगति की जाँच एवं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में महिला के अधिकारों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करता है। वर्तमान में आयोग के 45 सदस्य हैं। आयोग ने सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्रित किये तथा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा तैयार करने में मदद की।

सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर महिला अधिकार– सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दिसम्बर 1966 में स्वीकृति दी और यह प्रसंविदा 23 मार्च 1976 को लागू हो गई। प्रसंविदा के अनुच्छेद महिला अधिकारों से सम्बन्धित हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 2 (1)– सभी राज्य अपने क्षेत्र में इस प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों को बिना प्रजाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव अधिकारों के सम्मान करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 3– के अनुसार प्रसंविदा में स्वीकृत सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान अधिकार होंगे।

अनुच्छेद 23(2)– के अनुसार विवाह योग्य आयु के पुरुषों और स्त्रियों के विवाह करने और कुटुम्ब बनाने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।

लिंग भेद की समाप्ति पर प्रसंविदा– संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 18 दिसम्बर 1979 को इस प्रसंविदा की स्वीकृति और 3 सितम्बर 1981 से इसका प्रभावी होना महिला अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। अब तक 166 देश इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रसंविदा में प्रस्तावना सहित कुल 30 अनुच्छेद हैं। यह प्रसंविदा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिद्धांतों एवं सभी जगह पर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिलेख है। यह प्रसंविदा एक ऐसा सर्वमान्य अभिलेख है जो– • महिलाओं के लिए भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकारों से कानून बनाने की अपेक्षा करता है। • महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थितियों को देखे बिना सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नागरिक में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाना। • भेदभाव को पैदा करने वाले या बढ़ावा देने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए योजनाएँ लागू करना। • महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। • पुरुषों एवं महिलाओं में समानता लाने के लिए स्थाई व अस्थाई तौर पर उपाय सुझाना। • महिलाओं के सभी प्रकार के व्यापार और उनकी जबरन वैश्यावृत्ति से शोषण को समाप्त करने के लिए विधि निर्माण सहित उपयुक्त उपाय करना।

महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि– यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नए ढंग के कार्यक्रमों का समर्थन एवं तकनीकी सहायता देती है। महिलाओं हेतु राष्ट्र विकास निधि तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करती है जो इस प्रकार है– • शासन नेतृत्व और निर्णयन प्रक्रिया में महिला भागीदारी बढ़ाना। • विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। • उद्यमियों तथा उत्पादकों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं दशक की घोषणा– महिलाओं के विकास के संदर्भ में पूरे विश्व से महिला उत्थान और विकास की चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2001 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया है। इसके तीन उद्देश्य स्पष्ट किए हैं जो इस प्रकार है– • पुरुषों एवं महिलाओं को समान दर्जा देना। • विश्व शान्ति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना। • विकास कार्य में महिलाओं को योगदान।

तीन उद्देश्यों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को 'ट्रिब्यून' के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम कार्य योजना बनाई गई एवं महिला समानता हेतु महिला दशक (1975-85) की घोषणा की गई। महिला वर्ष के कार्यक्रमों को नई दिशा और सहयोग के बिन्दु पर बल देते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए गए जिनका विवरण इस प्रकार है– 1. महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक न समझकर एक समान नागरिक समझा जाना चाहिए। 2. नारी के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म, राष्ट्रगत भेदभाव की समाप्ति हेतु सार्थक प्रयास। 3. सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए। 4. विश्व शान्ति में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए। 5. देश एवं समाज के निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 6. महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

विश्व के प्रमुख देशों के संविधान में महिला अधिकारों के प्रावधान–

क्युबा : अनुच्छेद 46 में महिलाओं एवं पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक विषयों में समान अधिकार प्राप्त है।

चीन : अनुच्छेद 49 में पति-पत्नी दोनों को परिवार नियोजन व्यवहार में लाने का आदेश दिया है।

तुर्की : अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवार के कल्याण एवं नियोजन के लिए महिलाओं एवं पुरुषों को शिक्षा प्रदान करें।

दक्षिण कोरिया : अनुच्छेद 36 में विवाह एवं पारिवारिक जीवन के लिए महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।

ब्राजील : अनुच्छेद 226 के अनुसार महिला एवं पुरुष दोनों अपने परिवार नियोजन के लिए निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

पुर्तगाल : अनुच्छेद 67(2) के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए यह अधिकार प्रदान करें कि वह परिवार नियोजन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें।

अल्जीरिया : अनुच्छेद 28 में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। चाहे वह पुरुष हो या महिला।

कोलम्बिया : अनुच्छेद 43 में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त हैं।

उ. कोरिया : अनुच्छेद 62 में महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्तर प्राप्त हैं।

हंगरी : अनुच्छेद 66 में महिलाओं एवं पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता की गारण्टी प्रदान की गई है।

युक्रेन : अनुच्छेद 25 में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

अजरबेजान : अनुच्छेद 25 महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

बेलारुस : अनुच्छेद 32 पति पत्नी को परिवार में समान अधिकार प्राप्त हैं।

उपरोक्त देशों के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला कल्याण की भावना से चार बार विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 25 जून 1993 को महिला एवं विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन आस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित हुआ जिसमें विश्व के 170 देशों, 850 गैर सरकारी संगठनों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रिपोर्ट करने हेतु एक रिपोर्टकर्ता की नियुक्ति की गई।

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों के प्रावधान– अनुच्छेद 14 से 32 में भारतीय संविधान नागरिकों के समस्त अधिकार बिना किसी भेद के समस्त नागरिकों को प्रदान करता है अर्थात भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव को नकारा गया है तथा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 39 (घ) में स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23 व 24 नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।

अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 51क(ङ) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद 243 (घ) पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था।

उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय संसद द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कई अधिनियमों को पारित किया गया है जिनमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इत्यादि प्रमुख है। महिला सशक्तीकरण एवं कल्याण हेतु महिला सशक्तीकरण नीति 2001 बनाई गई है एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

यह तो रही कानून के अनुसार महिलाओं के पक्ष में की गई व्यवस्थाओं की बात, और इन्हें पढ़-सुनकर सुखद अनुभूति होना भी स्वाभाविक है किन्तु व्यवहार में देखें तो हम पाएँगे कि महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिये जाने के बावजूद भी उनका शोषण एवं अत्याचार जारी है। आज महिलाएँ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और अपनों के द्वारा ही शोषण एवं अत्याचार का शिकार बन रही हैं। इस आलेख में वर्णित बातें तभी सच साबित होंगी जब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके अधिकारों का ग्राफ बढ़ेगा किन्तु ऐसा पुरुषों की मानसिकता एवं दृष्टिकोण में बदलाव आए बिना मुश्किल प्रायः है।

–अध्यापक, संघवी अचलदास रा.उ.प्रा. विद्यालय, रोहिड़ा (सिरोही)

नरेन्द्र ने तीन दिन में पूरा इतिहास पढ़ डाला

परीक्षा को तब बहुत दिन नहीं शेष रहे थे, एक मास भी नहीं बचा था। जबकि अनेक छात्र समय से पहले पढ़ाई में जुट गए थे, तो कई मौज-मस्ती मार रहे थे। नरेन्द्र के वार्षिक परीक्षा में विशालकाय इंग्लैण्ड का इतिहास था जिसे एक बार भी नहीं पढ़ा था। अपने मित्रों के साथ वे चोर बागान में पढ़ने हेतु जाते थे, लेकिन उनका अधिक समय बातचीत या गाना गाने में ही बीतता था। नरेन्द्र अपने मामा के घर जिसमें रहते थे, उस घर में एक चोर कोठरी थी। साथ लगे बड़े कमरे से ही उसमें प्रवेश करने का केवल एक दरवाजा था, जो इतना छोटा था कि उसमें से पेट के बल होकर घुसना पड़ता था। उस दरवाजे के अलावा कमरे में एक छोटी-सी खिड़की भी थी।

उन्हीं दिनों नरेन्द्र के एक मित्र उनके घर पर आये और नरेन-नरेन कहकर आवाज लगाने लगे। नरेन्द्र ने उत्तर दिया पर मित्र को वे कहीं दिखाई ही नहीं दिये। उन्होंने फिर आवाज लगाई तो नरेन्द्र ने जोर से उत्तर दिया, 'इस चोर कोठरी के भीतर हूँ।'

मित्र आश्चर्य से उस कमरे में आये तो पता लगा कि नरेन्द्र दो दिन से उसी कोठरी में बैठकर इंग्लैण्ड का इतिहास पढ़ रहे हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि एक ही बैठक में पूरी विशालकाय पुस्तक को पढ़कर कोठरी से बाहर निकलेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प के अनुसार वे तीन दिन में इंग्लैण्ड का पूरा का पूरा इतिहास शान्त चित्त से पढ़कर ही कोठरी से निकले। परीक्षा दी, उत्तीर्ण अव्वल हुए।

प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों आपके सामने तो कई सुविधाएँ और समय भी है। अनेक समस्याओं से जूझकर परीक्षा देनी है तो नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द जी) की इस घटना को आत्मसात कर दृढ़ संकल्प कीजिए और सफलता पाइए। अब बोर्ड परीक्षाओं का समय निकट है। आपको अपना लक्ष्य पाना है। जीवन का कैरियर श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और मेहनत से ही सफल होगा।

कोई भी मंजिल हो, तुम से रह न सकती कब दूर है।/लेकिन दृढ़ संकल्प और श्रमशक्ति की शर्त करो मंजूर है॥

–साँवलाराम नामा
सदर बाजार रोड़, निकट बड़ा चौहरा,
भीनमाल, जालौर-343 029

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

राजस्थान में नारी उत्थान एक नज़र में

❑ सम्पतलाल शर्मा 'सागर'

भारतीय दर्शन में वैदिक काल से ही नारी को असीम शक्ति की कुंजी माना गया है। वेदों में वर्णित नारी का स्वरूप अत्यन्त उदात्त एवं गौरवपूर्ण है। वैदिक नारी विविध श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, कर्तव्यपरायण, स्नेह और सम्मान की पात्र, यशस्विनी एवं गरिमामयी है। वैदिक नारी विविध श्रेष्ठ गुणों से विभूषित होने के साथ-साथ उषा के समान प्रकाशवती भी है जैसे रात्रि के घने अंधकार को चीरकर 'उषा' ज्योति की साड़ी पहने हुए आती है और क्षितिज को विभासित करती है, वैसे ही विदुषी नारी सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलती है और कभी दिशाओं या मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती है।

'एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना परस्तात्।/ऋतस्य पन्थाम् अन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाती॥' (ऋग्वेद 1/124/3)

वैदिक काल मैं अपनी विद्वता से पुरुषों को पराभूत करने वाली भारतीय नारियों ने तब से लेकर वर्तमान तक जीवन के प्रत्येक आयाम पर अपनी अमिट पहचान कायम रखी है। भारतीय नारियों के महात्म्य का यशोगान युग-युगान्तर से होता रहा है। स्वकर्मों एवं भूमिकाओं से स्त्री, पोषा नारी, वामा, जननी, अबला, सबला, प्रमदा, सुन्दरी, जाया, मानिनी इत्यादि विविध नामों से पुकारी जाने वाली भारतीय नारियों की ख्यातिलब्धता खेल, अंतरिक्ष, साहित्य शिक्षा शासन, प्रशासन, गृहिणी परम पद से लेकर प्रथम नागरिक के रूप में सम्प्रति प्रत्यक्षित है।

देश के तमाम महापुरुषों, राष्ट्रनायकों ने मुक्तकंठ से अपनी उन्नति का श्रेय मातृ-पक्ष को दिया है। स्व-कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा अधिकारों के उपभोग के लिए महिलाओं का शिक्षित होना नितान्त जरूरी है, तभी वह 'गर्भधारणपोषादि ततो माता गरीयसी', 'मातृ देवो भव', 'मात्रा समं नास्ति शरीर पोषणम्', 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' जैसे पद को प्रतिष्ठित कर सकती है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में जंगी तलवार उठाने वाली भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता पश्चात् क्या स्थिति रही है? उनकी वर्तमान में पहचान किस-किस रूप में है? इनके जीवन विकास व उत्थान के प्रति हमारी राजस्थान सरकार कितनी जागरूक है? इन्हीं सब बिन्दुओं पर विचार करना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

स्त्री शिक्षा की अपरिहार्यता को स्वीकार करते हुए हमारी वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा भी योजनाबद्ध ढंग से नारी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा का हक अभियान व निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की क्रियान्विति इस बात के ठोस प्रमाण है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य की साक्षरता 60.4% थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 75.7 व 43.9 था। जबकि वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या के 67.06% व्यक्ति साक्षर आंके गए। पुरुषों व स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 80.5 व 52.66 रहा। इसी तरह पुरुष साक्षरता वृद्धि दर 1.63 प्रतिशत ही रही किन्तु महिला साक्षरता वृद्धि दर 12.80% रहना राज्य में महिला शिक्षा के लिए शुभ संकेत है। राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा जिले की 77.48% है वहीं सबसे कम साक्षरता जालौर जिले की 55.58% है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा (62.32%) जिले की व दूसरे नम्बर पर जयपुर जिले की है। जालौर में सबसे कम महिला साक्षरता 38.73 प्रतिशत है जबकि सिरोही 40.12 प्रतिशत के कारण दूसरे पायदान पर है। राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है साथ ही महिला साक्षरता में हमारा राज्य देश में सबसे निचली पायदान पर है। हमारे राज्य की महिला साक्षरता में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी का तुलनात्मक अवलोकन निम्न तालिका से किया जा सकता है–

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2001	वर्ष 2011	प्रतिशत वृद्धि
1.	डूँगरपुर	31.77%	46.98%	15.21%
2.	भीलवाड़ा	33.43%	47.93%	14.50%
3.	बाँसवाड़ा	29.22%	43.47%	14.24%
4.	जोधपुर	38.64%	52.57%	13.93%
5.	टोंक	32.15%	46.01%	13.85%

तालिका से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी डूंगरपुर (+15.21%) में हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः कोटा (66.32%), जयपुर (64.63%), झुंझुनूं (61.15%), गंगानगर (60.07%), सीकर (58.76%) है। इसी प्रकार न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः जालौर (38.73%), सिरोही (40.12%), जैसलमेर (42.23%), बाड़मेर (41.03%), प्रतापगढ़ (42.40%) है। बेहद ही आश्चर्य की बात है कि राज्य के दो जिलों चूरू व बाड़मेर में साक्षरता प्रतिशत घटा है।

स्वतन्त्रता पश्चात् नारी शिक्षा को भी योजनाबद्ध ढंग से विकासगामी किया गया। जिन

प्रमुख आयोगों, समितियों, परिषदों, अधिनियमों द्वारा इस दिशा में तमाम योजनाएँ क्रियान्वित की गई। उसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), आचार्य राममूर्ति समिति (7 मई 1990), यशपाल समिति (1992-93), नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् (1920), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (सितम्बर 1961), इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (सितम्बर 1985-87), औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत साक्षरता कार्यक्रम व शिक्षा अधिनियम 2009 का प्रमुख योगदान है।

यह निर्विवाद सत्य है कि पहले की अपेक्षा अब नारी की स्थिति में परिवर्तन आया है और लगभग सभी कर्मक्षेत्रों में नारी का प्रवेश सहज और सुलभ हुआ है। गणना की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति व कूटनीति में विजय लक्ष्मी पंडित, इन्दिरा गाँधी, सोनिया गाँधी, गिरिजा व्यास, वसुन्धरा राजे, पुलिस विभाग में किरण बेदी, खेलकूद में पी.टी. ऊषा, दीपिका कुमारी, कृष्णापूनिया, कला, संस्कृति, संगीत, छायाचित्र, चलचित्र आदि में शुभ लक्ष्मी, काननबाला, यामिनी कृष्णामूर्ति, लता मंगेशकर, वैजयन्ती माला, दीपा मेहता, मीरा नायर जैसी नारियाँ पुरुष के समान कार्यरत हैं।

परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 90% से भी ज्यादा नारियाँ अभी भी निरक्षरता और कुसंस्कार में डूबी हुई हैं तथा अनेक प्रकार के शोषण, ताड़न और कुपोषण की शिकार हो रही हैं। बाल विवाह, दहेज-प्रथा जैसी कुप्रथाएँ कानून बनाने के बावजूद अब भी समाज में बरकरार है। कन्या संतान को जन्म देने के अपराध में गाँव, शहर सभी जगह नारी को जिम्मेदार ठहराकर लाँछित किया जाता है। पति द्वारा नारी परित्यक्ता होती है। जन्म से पहले ही कन्या संतान का भ्रूण नष्ट किया जाता है। अर्थात् कन्या-शिशु को पृथ्वी की उज्ज्वलता देखने से ही वंचित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप 2001 में हमारे राज्य का 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 909 था। अब 2011 में 883 हो गया है। वर्तमान में सर्वाधिक लिंगानुपात जिले क्रमशः डूंगरपुर (990), राजसमन्द (988), पाली (987), प्रतापगढ़ (982), बांसवाड़ा (979) है। ठीक इसी तरह सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः धौलपुर (845), जैसलमेर (849), करौली (858), भरतपुर (877), गंगानगर (887) है। इस गड़बड़ाते लिंगानुपात को रोकने के लिए लड़की व लड़के को विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर दिलाये जाने वाले सात फेरों के सात वचनों के साथ-साथ आठवाँ वचन भ्रूण रक्षा का भी दिलाना चाहिए।

हमारी वर्तमान राजस्थान सरकार नारियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा व नारी सम्मान को सुनिश्चित व सुरक्षित करने हेतु पूर्णतः जागरूक है। इस हेतु अनेकों योजनाओं, विधियों, नियमों तथा कार्यक्रमों का संचालन सरकारी व गैर-सरकारी स्तर से किया जा रहा है। जो इस प्रकार से है यथा– (1) अभी तक केवल शिक्षा विभाग में ही महिला कोटे में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण था। अब राज्य की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत विधवाओं के लिए 8 प्रतिशत एवं परित्यक्ताओं के लिए 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। (2) पुलिस विभाग में नवीन नियुक्ति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने हेतु 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये हैं। पिछले तीन वर्षों में 5 महिला थाने प्रतिवर्ष के हिसाब से 15 नवीन महिला थाने खोले गये हैं। (3) सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव प्रोत्साहित करने के लिए 12 सितम्बर 2011 से केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना को राजस्थान सरकार ने पूर्ण तैयारी के साथ 'राजस्थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना के रूप में प्रारम्भ किया है। योजना के तहत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की निःशुल्क सेवाएँ यथा दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के तहत संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्र की समस्त महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। बी.पी.एल. महिलाओं के प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देशी घी का उपहार योजना प्रदेश में 1 मार्च 2009 से लागू तथा अक्टूबर 2011 तक 69733 महिलाओं को 5 लीटर देशी घी हेतु कूपन जारी किए जा चुके हैं। (4) रक्षाबंधन एवं महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। (5) महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 46 महिला उद्यमियों को 9 करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। (6) राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 186 ब्लाक्स में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इन ब्लाक्स में एक-एक मॉडल स्कूल का भी निर्माण किया जाएगा। (7) ग्रामीण क्षेत्र में 8वीं कक्षा के बाद सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत 1,42,000 छात्राओं को इस वर्ष साइकिलें वितरित की जाएंगी। (8) शैक्षिक सत्र 2011-2012 से 'विधवा-परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना' लागू की गई है इसके तहत राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एस.टी.सी. अथवा बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली विधवा-परित्यक्ता महिलाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर संबल प्रदान किया जाएगा। (9) सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 2266.62 लाख रुपये व्यय कर 22271 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। (10) छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है एवं

समय पर ऋण चुकाने वाली बालिकाओं को सम्पूर्ण ब्याज राशि में छूट प्रदान की गई है। (11) अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट देने का निर्णय तथा ऋण आवंटन की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। (12) प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड व विश्वविद्यालय के 5934 विद्यार्थियों को प्रतिभावान छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा 16582 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान की गई। (13) 65 कन्या छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 50 बालिकाएँ हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। (14) Rajasthan knowledge Corporation से कम्प्यूटर के बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाली राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में प्रशिक्षण आरम्भ किए जा चुके हैं। (15) स्वरोजगार को बढ़ावा देकर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु 30,000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए जाने वाले बैंक ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब तक 13108 समूहों को लाभान्वित किया जा चुका है। (16) राज्य में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत समस्त 33 जिलों में संरक्षण अधिकारियों के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। (17) अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009) व शिक्षा के हक अभियान (11 नवम्बर 2011) के द्वारा भी बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (18) 6543 आंगनबाड़ी एवं 3523 मिनी आंगनबाड़ी स्वीकृत इनमें से 5149 आंगनबाड़ी केन्द्र और 2108 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ हो गए हैं फलस्वरूप इन क्षेत्रों में 33552 महिलाओं को रोजगार मिला है। (19) एकीकृत बाल विकास योजना एवं सबला योजना के अन्तर्गत पूरक पोषाहार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पहुँचाया जा रहा है। इस योजना के तहत 28 लाख 46 हजार बच्चों एवं 16 लाख 24 हजार बालिकाओं व महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त योजनाओं व कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि हमारी वर्तमान राज्य सरकार नारी शिक्षा व नारी कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। सचमुच नारी आदि शक्ति-स्वरूपा है। वह विधाता की सुन्दरतम सृष्टि है, ममता की निर्झरिणी है, प्रेम की साकार प्रतिमा है। विश्वास है कि राज्य सरकार का 'नारी कल्याण' का अभियान इसी द्रुत गति से अग्रसर होता रहेगा। हमारे देश की हर नारी रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पदमावती के समान शौर्य प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। विश्वमंच पर भारत का नाम शोभायमान होगा।

–रा.उ.प्रा.वि. सोनियाना,
पो. गिलूण्ड, जिला - राजसमन्द

शैक्षिक संवेदन

❑ सुधा पण्ड्या

विद्यालय बंद हुए एक घंटा हो गया है पर श्याम, रामू और भैरव अभी तक बस्ती में नहीं लौटे हैं। श्याम के पिता गोपाललाल चिन्तित होते हुए विद्यालय पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर कुछ क्षण तो विस्मित से देखते ही रहे, उन्होंने पाया कि शिक्षक संजय कुमार चार पाँच बच्चों के साथ चित्रांकन करवाते हुए कुछ समझा रहे थे और बच्चे बड़े उत्साह से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और आनन्दित हो रहे थे। चित्रांकन के द्वारा सृजन, रंग संयोजन और प्रकृति परिचय पाने का बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। बच्चों की सीखने की तत्परता देखकर अभिभावक भी उस वातावरण के प्रति सजग हो गये। बालक अच्छा सीख रहे हैं, प्रत्येक कार्य को बड़े उत्साह से कर रहे हैं, नई बातों को जानने के लिए तत्पर हो रहे हैं यह सब उनके शिक्षक के प्रयासों का परिणाम दिखता है क्योंकि शिक्षक ने उनमें शैक्षिक संवेदना जगा दी है। वस्तुतः बँधी बँधाई पुस्तकीय प्रस्तुति से हटकर बच्चों की सोच को रचनात्मक दिशा में मोड़ना ही शैक्षिक संवेदना जाग्रत करने का मूल आधार है। यह नवीन प्रयास उनके मन की ललक को पुष्ट करता है। बालक स्वभावतः क्रियाशील जिज्ञासु और नवोन्मेषी होता है उसकी इस क्षमता को सही दिशा देकर उसका संवर्धन करना ही सच्ची शिक्षा है। केवल सूचनाओं का सम्प्रेषण उनकी क्षमता को निष्क्रिय करता जाता है शिक्षक की स्वयं की शिक्षण संवेदना ही बालकों की शिक्षा का सशक्त आधार है।

आज हम शिक्षा के अधिकार (Right to Education) की चर्चा और प्रभावी क्रियान्विति की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए शिक्षक, अभिभावक और बच्चों में शैक्षिक संवेदना की जाग्रति पहली आवश्यक शर्त है (Pre Requisite)। सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उनका विद्यालय में ठहराव बनाए रखने समूचे परिवेश को आनन्ददायी और संवेदनशील बनाए रखना भी आवश्यक है। शिक्षक अपने शिक्षण में जितना संवेदनशील होगा बालक को उतना ही सक्रिय और सजग बनाता जाएगा।

Playway Learning, Learning by Doing की अवधारणाओं को हकीकत बनाने के प्रयास व व्यवस्थाएँ हम वर्षों से करते आ रहे हैं पर उसकी वास्तविक आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के साथ है। इस अधिकार में शिक्षक को स्वतंत्रता और खुलापन दिया है कि वह अपने न्यूनतम कौशलों से बच्चों की योग्यता, क्षमता के अनुरूप उन्हें पुष्ट करता रहे जिससे कि बालक अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण तथा संवेदनशील बना रहे। बालक की गति और प्रगति से अभिभावक भी सक्रिय और सानन्दित होते रहेंगे। हम सभी का समन्वित प्रयास शिक्षा के अधिकार को सफल बनाएगा।

एक अभियान ऐसा चले, ज्योति हो दीप के भी तले।/दीप यों प्रदीप्त हो प्राण में कि, रश्मि को न फिर कोई तिमिर छले॥

–सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य,
सिविल लाइन्स तहसील भवन के पीछे,
मु.पो. गढ़ी (बांसवाड़ा)-327022

लड़का लड़की एक समान

❑ सुनील कुमार

चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार समाज में औसतन जितने लड़के जन्म लेते हैं उतनी ही लड़कियाँ भी। कुदरत ने भी स्त्री एवं पुरुष को कुछ जैव वैज्ञानिक अन्तर को छोड़कर जीवन की समान शक्तियाँ एवं समान अवसर प्रदान किए हैं। जन्म के समय औसतन लड़का और लड़की समान शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, किन्तु सामाजिक व्यवहार में धीरे-धीरे पुरुषों की स्थिति स्त्रियों की तुलना में प्रभावी होती चली जाती हैं।

भारत में स्त्रियों की स्थिति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार लिंग भेद के परिणामस्वरूप समाज में लड़के के जन्म को प्रमुखता, बालिका शिशु की भ्रूण अवस्था में ही हत्या, बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में ही बालिकाओं का विवाह, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों में भेदभाव देखा जाता है। अपने तीव्रतम रूप में लड़के की चाह में कन्या की हत्या और कन्या गर्भपात में परिणत होती है। देश के विभिन्न भागों में किये गये अध्ययनों में कन्या शिशु हत्या के मामले पाये गए हैं।

किसी भी समाज, राज्य, राष्ट्र के नागरिकों की परम्परा, संस्कृति और जीवन स्तर का दर्पण है शिक्षा। यही यह नींव का पत्थर है जिस पर सभ्यता के भव्य महल का निर्माण किया जा सकता है। अनुभवों की उर्वरा पर विकसित, पल्लवित अध्ययन मनन रूपी पुष्पों का पराग है शिक्षा। चाणक्य के अनुसार, अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं है। सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रांसिस बेकन के शब्दों में अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है और योग्यता प्रदान करता है। उपनिषद् भी कहते हैं कि मनुष्य को अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। जैसे-जैसे अज्ञान का अंधकार दूर होता जाएगा समाज में व्याप्त कुरीतियाँ दूर होती जाएगी और समाज आगे बढ़ता चला जाएगा। हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और हमारा मानना है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार से समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सकता है तथा शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम लड़के लड़की के भेदभाव को मिटा सकते हैं। इसलिए 'सबके लिए शिक्षा का अधिकार' बनाया गया है जिसमें सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। समाज में अब पहले की तरह की स्थिति नहीं है और अब लड़का और लड़की में उतना भेदभाव नहीं किया जाता। इस भेदभाव को दूर करने के लिए युवा पीढ़ी आगे आ रही है। इसी प्रक्रिया के तहत वह लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करती है।

भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। दिनांक 1 जनवरी, 1996 को प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 लागू कर ऐसी जाँचों को कानूनी अपराध ठहराया है। भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिनांक 14 फरवरी, 2003 से अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 रखा है।

हमारे संविधान में नारी को पुरुष के समान ही अधिकार दिए गए हैं। विगत 60 वर्षों में समय-समय पर नारी के उत्थान और उसके अधिकारों के विस्तारों के लिए कई अधिनियम भी पारित किए गए। दहेज-समस्या, देह व्यापार समस्या आदि के साथ-साथ पैतृक संपत्ति में भागीदारी और पिता की तरह माता के नाम का उल्लेख करने सम्बन्धी अधिनियम भी पारित किए गए।

भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। सन् 1959 में बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। अब देखिए न लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। यहीं से प्रारम्भ होती है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। वर्ष 1995 में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी जो कई कारणों से असफल सिद्ध हुई, इसे पुनः एक बहुत बड़े अंतराल के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वाँ एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्रामपंचायतों, और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई

प्रमुख भारतीय नारियाँ

- प्रथम महिला आई.ए.एस. – अन्ना जार्ज
- ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला – अन्नपूर्णा देवी
- नौका से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली भारतीय महिला – उज्ज्वला पाटिल
- प्रथम भारतीय महिला सर्जन – डा. प्रेमा मुखर्जी
- ओलम्पिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी – मेरी लीला रो
- एवरेस्ट पर दो बार पहुँचने वाली प्रथम महिला – सन्तोष यादव
- भारतीय वायु सेना की पहली महिला पायलट – हरिता कौर देयोल
- भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त – वी.एस. रमा देवी
- सबसे अधिक समय तक अन्तरिक्ष में रहने वाली महिला – शैतोन लुसिड
- हिन्दू पदपातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की मां – जीजाबाई

संख्या महिलाओं की कर दी गई। इस व्यवस्था का प्रभाव हुआ कि देश भर में लाखों महिलाएँ पंचायतों के नेतृत्व हेतु मैदान में आ गईं। इस संशोधन के माध्यम से जहाँ एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश के लोकतांत्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान संदर्भों में देखा जाए तो बिहार के बाद मध्यप्रदेश में आने वाले पंचायती चुनावों में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50 कर दिया है और यह सब इसलिए भी हुआ है कि महिलाओं की शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होंने कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने पदों पर रहकर कार्य किया है।

इस सृष्टि को आगे चलाने में भगवान के बाद जिस शक्ति का नाम आता है, वो सशक्त नाम है मातृशक्ति। जो कि समाज में एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी शाखा उसके भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन करती है। वह कभी माँ के रूप में हमारे ऊपर अपनी ममता बरसाती है तो कभी पत्नी के रूप में हमें फलों जैसी मिठास से अभिभूत कराती है, कभी बहन के रूप में हमें पेड़ की मजबूत जड़ों का अहसास कराती है, बेटी के रूप में उस कठोर तने के अंदर छुपे कोमल अनुभाग जैसी प्रतीत होती है। इसीलिए नारी को शक्ति कहते हैं। जिस घर में उसने अठारह साल बिताये उस घर को छोड़कर दूसरे घर को संभालने और उसे अच्छी तरह सँवारने की कोशिश करती है।

भारतीय समाज में आर्थिक और परंपरागत दोनों कारणों से ही स्पष्ट रूप से बेटे के लिए वरीयता रही है। परिवार की संपत्ति के लिए एक उचित तथा महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में देखने के अलावा वंश को आगे चलाने के लिए पुत्र को एक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, यह भी माना जाता है कि पुत्र अपने माँ-बाप की बुढ़ापे में सहायता व सेवा करेंगे। पुत्र को महत्व देने के पीछे एक यह भी मान्यता है कि पुत्र अपने माँ-बाप का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिलाता है।

दहेज रूपी सामाजिक बुराई के कारण लड़कियों को एक भार के रूप में देखा जाता है क्योंकि उनकी शादी पर माँ-बाप को काफी धन खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ लड़की के माता-पिता को मानसिक संताप भी सहन करना पड़ता है। जहाँ ऐसी मान्यताएँ विद्यमान हो वहाँ माँ-बाप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक निवेश करना उचित समझते हैं चाहे वह निवेश पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन बनाने पर किया जाए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले ऐसा भेदभाव लड़कियों को प्राप्त विकास के अवसरों को सीमित कर देता है जिससे लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है।

'कम से कम एक पुत्र तो हो' ऐसी भावना से ग्रस्त होने के कारण महिलाओं पर आश्चर्यजनक मानसिक दबाव पड़ता है लिंग निर्धारण जाँच गैरकानूनी होने के बावजूद वे ऐसा करने का प्रयास करती हैं और कन्या भ्रूण की जानकारी हो जाने पर गर्भपात करवाती हैं। इसका प्रयोग दूसरा विवाह करने और पत्नी को छोड़ देने के लिए भी बहाने के रूप में किया जाता है। पुत्र की लालसा को वरीयता देना गलत है क्योंकि इससे लड़कियों का मूल्य घट जाता है और जीवित रहने, वृद्धि और विकास करने के लिए उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और बेटे की लालसा की कीमत महिलाओं के जीवन से वसूल की जाती हैं। पुत्र को वरीयता यों तो सभी राज्यों में दी जाती है तथापि उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेशों में इस पर अधिक बल दिया जाता है। इन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भी काफी अधिक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोआ राज्यों में पुत्र के लिए कम वरीयता दी जाती है तथा ऐसे राज्य भी हैं जो जनन क्षमता प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने के निकट हैं। वहाँ पुरुष-महिला अनुपात भी बेहतर है और महिलाओं का साक्षरता स्तर भी ऊँचा है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे धनाढ्य राज्यों में दम्पति छोटे-छोटे परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं, परन्तु पुत्र की वरीयता के कारण वे जाँच द्वारा लिंग चयन करते हैं जिससे लिंग अनुपात दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पुरुष प्रधान समाज की स्थापना होती है तथा निष्पक्ष, न्यायोचित और समान समाज का निर्माण करना कठिन हो जाता है अतः ऐसी विषम परिस्थिति में महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उन्हें बराबर का दर्जा देने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकती।

इस संसार को आगे चलाना है तो लड़की का अस्तित्व जरूरी है। स्त्री-पुरुष इस समाज के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया टूट जाए तो रथ आगे नहीं चल सकता। नारी और पुरुष, दोनों के बीच के दो दल हैं। इन दो दलों के माध्यम से ही सृष्टि-शस्य का विकास हुआ है। नारी को शक्तिरूपा कहा गया है– 'या देवीसर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।' यह केवल दुर्गा की शक्ति ही नहीं है, समस्त नारी जाति की स्तुति है। सभी प्राणियों में जो शक्ति रूप में उपस्थित है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। यही सृष्टि नारी को सृष्टि-सृजन का मूल कारण बनाती है। उसके पास पालन की अद्भुत शक्ति है। शिशु को दुग्ध पालन कराने से लेकर संपूर्ण विश्व को करुणा से आप्यायित करने वाली नारी संसार की पर्याय भी है। वह चंडिका भी है। पाश्चात्य देशों में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी नहीं उसे बेटर हाफ (Better Half) भी माना गया है और स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का ही हाथ होता है। 'जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।' शारीरिक संरचना की भिन्नता में नारी को स्वभावतः सुकोमल शरीर और मनोलोक प्रदान किया गया है। वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है उसके आचरण में सर्वाधिक शील समाया हुआ है। इसके साथ ही उसमें शक्ति का वह स्फुल्लिंग भी प्रज्वलित होता रहता है, जो सृजन के साथ-साथ संहार की सम्पूर्ण संभावनाएँ अपने तेज में समेटे रहता है। इस तरह नारी सौंदर्य, शील और शक्ति की त्रियामी क्षमताओं का समुच्चय है।

आज समय बदल गया है। क्योंकि मध्ययुग में नारी केवल चार दीवारी के भीतर रहती थी। इसलिए वह पुरुष प्रधान समाज में दब गई और पति के जुल्म सहने को विवश थी। अब नारी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना दृढ़

मनोबल रखकर कुछ नया जानने के लिए प्रयत्न करती रहती है। नारी ने कुछ करने की ठान ली तो वह करके ही शांत होती है। अगर वह चाहे तो प्रगति के हर एक सोपान पर केवल नारी ही होगी, इसलिए नारी को नारायणी कहा गया है।

पिछली पूरी शताब्दी नारी शक्ति के पुनर्जागरण का काल रहा है। अमेरिका तथा यूरोप में नारी स्वतंत्रता का बिगुल पहले से ही बज रहा था, एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में यह प्रक्रिया थोड़ी देरी से प्रारम्भ हुई। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में नारी शक्ति के जागरण के लिए संविधान के जरिए एवं स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए। मुस्लिम देशों में तो अभी भी नारी-चेतना के द्वार अवरुद्ध हैं।

बीसवीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बाँगलादेश आदि देशों में नारियों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, और आज विश्व स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागाँधी के दौर में 'लड़का हो या लड़की, बच्चे दो ही अच्छे' तथा 'दो बच्चों का लक्ष्य महान, लड़का-लड़की एक समान' जैसे नारे हर दीवारों पर लिखे मिलते थे। इनका अर्थ उस समय तो समझ में नहीं आता था पर 'लड़का-लड़की एक समान' वाली बात अब जरूर पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत में विगत 35 वर्षों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आ रहा है कि युवा पीढ़ी अब अपने सपनों को साकार कर रही है और वह पीढ़ी इतनी समझदार है कि समाज में विचर रही बुराईयों की तरफ से वह अपने आप को दूर करना चाहती है और भारत के विकसित होने में अपना योगदान दे रही है और जब युवा यह तय कर ले कि हमें समाज की इस बुराई को दूर करना है कि परिवार में लड़की का होना बुरा है या लड़की परिवार के लिए बोझ हैं तो फिर समाज में कितने ही दकियानूसी विचार लड़कियों को लेकर पल रहे हों वह धीरे-धीरे लुप्त होते चले जाते हैं। भारत की युवा होती पीढ़ी में आधा योगदान इन कन्याओं का भी है। जब देश की 45 प्रतिशत आबादी यह चाहे कि हमें समाज में ऐसी सोच उत्पन्न करनी है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है तो फिर उस देश को विकसित समाज के रूप में खड़े होने में समय नहीं लगता और अब वह समय है और भारत में ऐसी सोच को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी इस राह पर कदम से कदम मिलाकर चल रही है और समय-समय पर कानून में संशोधन करके राह को आसान बना रही है। भारत में जो विगत 35 वर्षों के युवा विवाहित हो चुके हैं और जिनकी सन्तान चाहे वह लड़का हो या लड़की उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वे अपने दोनों बच्चों को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करते हैं और कोशिश ही नहीं करते वरन उसे पूरा करने में समाज की बेड़ियों को भी तोड़ने को तैयार रहते हैं और वे इसमें सफल भी रहे हैं। वे अपने बच्चों को सभी तरह की सुख सुविधाएँ दे रहे हैं और समान रूप से शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं।

आज सम्पूर्ण विश्व में लड़कियाँ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और पूरे विश्व में परचम फहरा रही है और लड़कियाँ लड़कों की तरह ही विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, रक्षा, क्रीड़ा, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में अपना सफलतम प्रदर्शन कर रही हैं। आज भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के देहाती इलाकों में नारी की श्रम-शक्ति कृषि और घरेलू उत्पादों में पुरुष से अधिक उपार्जित कर रही हैं। इधर वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप टेलीफोन आपरेटर, कंप्यूटर, साफ्टवेयर उद्योगों जैसी क्रियाशील सेवाओं में लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शक्ति का अधिक नियोजन हो रहा है। पाश्चात्य देशों में जहाँ लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ा है वहाँ लड़कियाँ पुरुष क्षेत्र में भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रही हैं। चिकित्सा, शिक्षा, कानून आदि क्षेत्रों में उनकी संख्या पर्याप्त है। भारत में लड़कियों की शिक्षा के स्तर में सुधार के फलस्वरूप उनके लिए नौकरियों के नए-नए अवसर सामने आ रहे हैं। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पायलट तक के रूप में लड़कियाँ कार्यरत हैं। वर्तमान समय में नारी केवल अबला नहीं वह शक्ति है। उसने शक्ति बनकर यह साबित कर बताया है कि वह भी किसी से कम नहीं है। जहाँ तक आज का सन्दर्भ है, नीतिगत तौर पर तो बड़े परिवर्तन आए हैं आज के टेक्नोलाजी युग में नारी सब क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए जैसे शिक्षा क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र या गृह उद्योग क्षेत्र महिलाएँ पुरुषों से आगे निकल गयी हैं। आज हमारे सामने काफी उदाहरण हैं जैसे कि बछेन्द्री पाल, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, ये सब नारी ही हैं। आज की नारी समय के साथ बदल चुकी है, वह केवल अपने घर के साथ अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभा रही बल्कि अपनी नौकरी भी करती है। वह समय के साथ कदम भर रही है। आज कितनी ऐसी नारियाँ हैं जिन्होंने सफलता के आसमान पर अपने कदम रखे हैं। किरण बेदी जैसी नारी ने आज कितने सारे गुनहगारों को सही राह दिखाई है। अपनी जान की बाजी लगाकर अंतरिक्ष की सैर करने निकली सुनीता भी एक नारी ही है। भारत में इस समय महिलाएँ राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, नेता विपक्ष लोकसभा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयों में जज सरीखे कई उच्च पदों पर आसीन हैं। विदेश मंत्रालय की विदेश सचिव और भारतीय सेना के लिए अंतर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के निर्माण की निदेशक महिलाएँ ही हैं। जिस किसी उच्च पद पर महिलाओं को अवसर दिया गया है वे उसे कुशलता से बखूबी निभा रही हैं। गत वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिणामों में प्रथम तीन स्थानों पर महिलाएँ ही सफल हुई हैं। स्कूल कालेजों की वार्षिक परीक्षाओं में लड़कियों के परीक्षा फल हर वर्ष लड़कों से बेहतर होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों में बौद्धिक प्रतिभा पुरुषों के समान ही होती है और लड़कियों ने इस मिथक को भी तोड़ा है कि वे लड़कों से कमतर होती है।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह स्थिति चिन्ताजनक है फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारम्भ हो गया है। कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अद्भुत जाग्रति का परिचय दिया गया है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में

शराब बंदी लागू करने के पीछे ग्रामीण महिलाओं के आंदोलन ही एकमात्र कारण रहे हैं। मणिपुर में तो ग्रामीण महिलाओं ने न केवल शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया बल्कि शराब पीने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार किया तथा शराब पिए हुए पुरुषों की पिटाई करने तक का आंदोलन चलाया तथा इसमें अपने परिवार के पुरुषों तक को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलताएँ अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही अनेकों उदाहरण भारत में भरे पड़े हैं जिनसे यह पता चलता है कि लड़के-लड़की का भेद अब भेद नहीं रहा और ऐसे भी परिवार हैं जिनके कोई लड़का नहीं है और उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है और उन्हें यह भी अहसास नहीं रहता कि उनके कोई लड़का नहीं है। ऐसे में उत्साह से भरी कनुप्रिया कहती है कि अगर माता-पिता अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें अपने फैसले लेना सिखाएँ तो किसी भी समाज की तकदीर बदल सकती है। कनुप्रिया डिडवानिया देश की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। कलकत्ता में जन्मीं कनुप्रिया ने पुणे से मैनेजमेंट की पढ़ाई की और पिछले दस सालों से साइबर सिटी में रह रही हैं। वह एक कम्पनी में ग्रुपप्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं।

स्पष्ट है कि जब सम्पूर्ण जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का हो, उनके व्यावहारिक और वैचारिक बदलाव को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। इस बदलाव की जरूरत उनके निजी पहचान को लेकर विभिन्न स्तरों पर हो रहे संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है क्योंकि ये वही आधा भाग है जिसके बिना 'अर्द्धनारीश्वर' की परिकल्पना तो सम्भव है ही नहीं, सृष्टि संकट अवश्यम्भावी है।

–व्याख्याता, आई.सी.टी. अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : मार्च, 2012 — प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.03.2012	गुरुवार	बीकानेर	11	हिन्दी	9	भारत-माता
2.03.2012	शुक्रवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		नशा नाश की जड़ है।
3.03.2012	शनिवार	जयपुर	6	संस्कृत (तृतीय भाषा)	12	बुद्धिर्यस्य बलं तस्य
5.03.2012	सोमवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम		होली कैसे खेलें
6.03.2012	मंगलवार	जोधपुर	7	विज्ञान	23	हमारा स्वास्थ्य एवं रोग
9.03.2012	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		परीक्षा की तैयारी कैसे करें
10.03.2012	शनिवार	उदयपुर	11	जीवन कौशल शिक्षा	10	स्वास्थ्य : शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य
12.03.2012	सोमवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम		हमारे आदर्श
13.03.2012	मंगलवार	बीकानेर	6	सामाजिक विज्ञान	19	भारतीय संस्कृति और विश्व
14.03.2012	बुधवार	जयपुर	9	हिन्दी	13	ग्राम श्री
15.03.2012	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विश्व उपभोक्ता दिवस
16.03.2012	शुक्रवार	जोधपुर	7	संस्कृत (तृतीय भाषा)	24	ज्ञानं भारः क्रियां बिना
17.03.2012	शनिवार	उदयपुर	7	सामाजिक विज्ञान	19	मध्यकाल की प्रमुख घटनाएँ
19.03.2012	सोमवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम		हमारे पर्व और हम
20.03.2012	मंगलवार	बीकानेर	11	जीवन कौशल शिक्षा	23	दुर्व्यसन : स्वास्थ्य पर प्रभाव
21.03.2012	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		भारत-अनेकता में एकता
22.03.2012	गुरुवार	जयपुर	9	विज्ञान	15	खाद्य संसाधनों में सुधार
23.03.2012	शुक्रवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम		हमारे राष्ट्रीय प्रतीक
26.03.2012	सोमवार	जयपुर	11	जीवन कौशल शिक्षा	25	आत्म निर्भरता : रोजगार के अवसर
27.03.2012	मंगलवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		हमारी जीवन शैली
28.03.2012	बुधवार	उदयपुर	6	संस्कृत (तृतीय भाषा)	20	प्रेरणा पुरुषार्थश्च
29.03.2012	गुरुवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम		हमारा राजस्थान
30.03.2012	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		राजस्थान दिवस
31.03.2012	शनिवार	बीकानेर	6	हिन्दी	24	पोंगल

• ह. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

समाज एवं राष्ट्र निर्माण में नारी की महत्ता

❑ रामचन्द्र स्वामी

महिला सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति है। महिला के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकी। नारी एक ऐसा छायादार वृक्ष है जिसकी छाया तले पुरुष अपनी समस्त व्यथा को भूल जाता है। नारी कोमलता, पवित्रता, मधुरता आदि दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति है। महिला ब्रह्म विद्या है श्रद्धा है शक्ति है पवित्रता है वह सब कुछ है जो इस संसार में दृष्टिगोचर होता है। महिला कामधेनु है अन्नपूर्णा है सिद्धि है रिद्धि है। यदि महिला को श्रद्धा की भावना अर्पित की जाये तो वह विश्व के कण-कण को स्वर्गिक भावनाओं से ओत-प्रोत कर सकती है। महिला एक सनातन शक्ति है। वह आदिकाल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाये आ रही है जिन्हें अगर पुरुषों के कंधों पर डाल दिया होता तो वह कब का लड़खड़ा गया होता।

वेदों में कहा गया है कि *'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता'*– जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देव भी रमण करने आते हैं।' भारतीय महिला सृष्टि के आरम्भ से अनन्त गुणों की आगार रही है, पृथ्वी की सहनशीलता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गम्भीरता, पुष्पों जैसा मोहक सौन्दर्य, कोमलता और चन्द्रमा जैसी शीतलता भारतीय महिला में विद्यमान है।

वह दया करुणा, ममता, सहिष्णुता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है। भारतीय नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त वह हमारी संरक्षिका बनी रहती है। सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महान विदुषी महिलाओं ने इस देश को अलंकृत किया है। निश्चित ही महिला इस सृष्टि की सबसे सुन्दर कृति तथा समर्थ अस्तित्व है। यह जननी है, मातृत्व महिमा से मंडित है। नारी सहचरी व गृहस्वामिनी है। अर्द्धांगिनी के सौभाग्य से शृंगारित है। भारतीय नारी अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत है यह शिशु की प्रथम शिक्षिका है, इसलिए गुरु की गरिमा से गौरवान्वित

है। भारतीय महिला, घर, समाज और राष्ट्र का आदर्श है। भारतीय समाज में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, निर्माण आदि महिला के बिना पूर्ण नहीं होता। सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। महिला सृष्टि का उत्सव, मानव की जननी, बालक की पहली गुरु तथा पुरुष की प्रेरणा है।

प्राचीन काल से भारत में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। पुरुषों के समान ही उन्हें अर्थ, धर्म-कर्म व मोक्ष आदि कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता था वे रणक्षेत्र में भी पति को सहयोग देती थी। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने अपने अद्वितीय रण कौशल से महाराज दशरथ को चकित कर दिया था। सती सावित्री, अनुसुइया, गार्गी, मैत्रेयी विद्योतमा आदि की भूमिका सराहनीय है।

लक्ष्मी बाई को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आत्म बलिदान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना देने में उनकी पत्नी का ही बुद्धि चातुर्य था। जीजाबाई की शिक्षा-दीक्षा ने शिवाजी को महान देशभक्त और कुशल योद्धा बनाया। पन्नाधाय का उत्कृष्ट त्याग एवं आदर्श इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है वह उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता थी अपने बच्चे का बलिदान देकर राजकुमार का जीवन बचाना सामान्य कार्य नहीं, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान का शौर्य, पद्मिनी का जौहर, मीरा की भक्ति ने मध्यकाल की विकट परिस्थितियों में भी अपनी सुकीर्ति का झण्डा फहराया। मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इन्दिरा गाँधी, बछेन्द्रीपाल, किरण बेदी, कल्पना चावला, सुनिता विलियम्स, पी.टी. उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा जैसे सबल नारी चरित्रों ने आधुनिक युग को देदीप्यमान किया। इस तरह पुराण की देवी, वैदिक काल की विदुषी, मध्यकाल की वीरांगना और वर्तमान युग की समर्थ नारी ने सभी क्षेत्रों में स्वयं को सिद्ध कर दिया है। आज वह पूर्ण शक्ति सम्पन्न एवं स्वावलम्बी है।

किसी भी देश की संस्कृति उसका इतिहास और भाव-भाषा वहाँ की महिला के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है। महिला समाज की रचनात्मक शक्ति है। उसके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। उसके रुकने या धीमा हो जाने से देश का विकास थम सा जाता है। समाज की व्यवस्था, अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की दृढ़ता या उपेक्षा आत्म शक्ति की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। नारी अपने भीतर सारी व्यवस्थाओं को समेटे रहती है।

प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यह लोक अवधारणा नारी की सर्वमान्य एवं सार्वकालिक प्रतीक रही है। महिला पुरुष को प्रेरित करती है। उसे अवसर, अवकाश एवं यथासाध्य सुविधाएँ सुलभ करवाकर किसी महान उपलब्धि प्राप्त कर लेने का सुख और श्रेय दिलवाने के कार्य को अंजाम दे सकती है।

महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, व्यवस्था आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया है उन्होंने अपनी बौद्धिकता एवं उच्च गुणों के कारण अपने परिवार को ऊँचाइयों के शिखर पर पहुँचा कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक,

आध्यात्मिक बौद्धिक एवं भौतिक दृष्टि से उन्नति महिला की उन्नति के गर्त में छिपी हुई महिला मानव सृष्टि के विकास की सर्वोत्तम सीढ़ी है, उसने ही गाँवों के उपेक्षित अंचल में अत्याचार भोग रही अपनी करोड़ों, बहनों के भाग्य को स्त्रीशक्ति की पहचान कराके जगाया है, समाज की समस्याओं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, निरक्षरता, अंधविश्वास, असमानता, अस्पृश्यता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि भ्रष्टाचार आदि को महिलाएँ अपनी उत्कृष्टता के द्वारा ही मिटा सकती हैं। महिलाएँ अंधविश्वास सामाजिक रूढ़ि तथा बंधन और पूर्वाग्रह युक्त सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति से संघर्ष करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तत्परता से सक्रिय हुई हैं। महिला के लिए अब कोई क्षेत्र वर्जित नहीं है। वे बस कंडक्टर से लेकर पायलट तक, शिक्षिका से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान एवं मेरीन इन्जीनियरिंग तक के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बखूबी दर्शा रही हैं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने जितनी बड़ी संख्या में भाग लिया, उससे सिद्ध होता है कि समय आने पर महिलाएँ प्रेम की पुकार को विद्रोह की हुंकार में तब्दील कर राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण बनाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर सकती है।

सरोजनी नायडू, स्वरूपरानी नेहरू, विजयलक्ष्मी पण्डित, अरुणा आसफ अली, ऐनीबेसेन्ट भगिनी निवेदिता, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृतकौर आजाद हिन्द महिला सेना की कैप्टन लक्ष्मी सहगल एवं क्रांतिकारियों को सहयोग देने वाली अनेक महिलाएँ भारत में अवतरित हुई, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परवर्तीकाल में इन्दिरा गाँधी ने अपने प्रयासों से राष्ट्र को अखण्ड बनाये रखा।

इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब-तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है।

मैत्रेयी, गार्गी, विश्वपाटा, केशा आदि विदुषी स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए भी पूजनीय है। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम अरुन्धती राय आदि स्त्रियों ने साहित्य तथा राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रजिया सुल्तान, हजरत बेगम, लक्ष्मीबाई, सिरियामाओ भण्डारनायके, इन्दिरा गाँधी, आंग सान सू की आदि स्त्रियाँ प्रगति के मार्ग पर संघर्ष और सुनेतृत्व की स्पष्ट मूर्तियों के रूप में स्थापित हुई। कला के क्षेत्र में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेश्कर, देविका रानी, वैजयन्ती माला, सुधाचन्द्रन, सोनाल मानसिंह, मीरा नायर आदि स्त्रियों का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, बैंकिंग प्रशासन आदि में महिलाएँ अपनी सक्रिय तथा विकासोन्मुखी भूमिका निभा रही है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। शारीरिक एवं मानसिक कोमलता के कारण महिलाओं को रक्षा सम्बन्धी सेवाओं के उपयुक्त नहीं माना जाता था किन्तु भारत की पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा से इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया।

वर्तमान में महिलाएँ समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और उत्थान के अनेक कार्यों में लगी हैं। अब महिलाओं ने लेखिका, कवयित्री पत्रकार, साहित्यकार, सम्पादिका, प्रशिक्षिका, वकील, जज, खिलाड़ी, शिक्षिका, पुलिस, सैनिक, पायलट, परिचारिका, गुप्तचर अन्तरिक्षयात्री, डॉक्टर, व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ बनकर सभी क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता का उल्लेखनीय परिचय देकर देश-विदेश में ख्याति अर्जित की है।

हर्ष का विषय है कि अब महिला जगत का बहुत बड़ा भाग अपनी संवादहीनता, संवेदनशीलता, भीरुता एवं संकोचशीलता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज के सृजन में अपनी भागीदारी के लिए प्रस्तुत है। समस्त सामाजिक संदर्भों से जुड़ी महिलाओं की सक्रियता को अब केवल पुरुष ही नहीं परिवार, समाज एवं राष्ट्र ने भी सगर्व स्वीकारा है वर्तमान में नारी शक्ति का फैलाव इतना धनीभूत हो गया है कि कोई भी क्षेत्र इनके सम्पर्क से अछूता नहीं है आज नारी पुरुषों के समान ही सुरक्षित सक्षम एवं सफल है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य चिकित्सा, सेवा पुलिस, प्रशासन, व्यापार, अन्तरिक्ष, समाज सुधार, पत्रकारिता, मीडिया एवं कला का क्षेत्र हो। नारी की उपस्थिति, योग्यता एवं उपलब्धियाँ स्वयं अपना प्रत्यक्ष परिचय प्रस्तुत कर रही हैं।

घर-परिवार से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी कीर्तिपताका लहरा रही है दोहरे दायित्वों से लदी महिलाओं ने अपनी दो गुनी शक्ति का प्रदर्शन कर सिद्ध कर दिया है कि समाज की उन्नति आज केवल पुरुषों के बल पर नहीं, अपितु उनके हाथों का सहारा लेकर ही ऊँचाइयों की ओर अग्रसर होती हैं। उन्नत राष्ट्र की कल्पना तभी यथार्थ का रूप धारण कर सकती है जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को सशक्त करें। महिला स्वयं सिद्धा है, वह गुणों की सम्पदा है। आवश्यकता है इन शक्तियों को महज प्रोत्साहन देने की। महिलाओं की श्रेष्ठता, अद्वितीया एवं आदर्श को समर्पित है कुछ पंक्तियाँ–

'नारी तुम सृष्टि की जननी, ईश्वर का वरदान हो।/तुम शक्ति हो, तुम ज्ञान हो।/तुम ही संस्कारों की खान हो।/क्रान्ति की अग्रदूत, सरहद की शान हो।/सौन्दर्य की मूरत, ममता की गान हो।/वात्सल्य की सरिता, शौर्य की कमान हो।/दूसरों को सुख देने वाली स्वयं परेशान हो।/हे राष्ट्र निर्माता रमणी तुम भारत देश में महान हो।'

–अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. बंगला नगर,
डूडी पेट्रोल पम्प, बीकानेर

अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है।

***

जिन्दगी में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन्दगी में आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं।

विश्व जल दिवस 22 मार्च

जीवन का आधार जल

❑ अनिल कुमार प्रजापत

जल जीवन का आधार है तथा घटते जल स्तर व पेयजल की कमी के बारे में जनमानस को अवगत कराने तथा जल संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को देश भर में **विश्व जल दिवस** के रूप में मनाया जाता है। बचपन की कविता 'मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है' शायद सभी ने बचपन में पढ़ी होगी यह पानी के महत्व को बताती है। रहीम जी ने भी लिखा है कि *'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे मोती, मानस, चून॥'* जो कि पानी के महत्व को उजागर करते हैं। आज पानी को संरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी बन गई है। पानी की बचत करके ही हम भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। जल संरक्षण के लिए तथा जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा क्योंकि बालमन पर शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा का गहरा प्रभाव होता है तथा आज का बालक ही कल के देश का भविष्य है। पानी को लेकर आजकल जनआंदोलन होना आम बात है। वर्तमान परिस्थितियों में पानी में आग लगने जैसे असम्भव प्रतीत होने वाले मुहावरे भी सम्भव नजर आने लगे हैं। स्कूली पाठ्यक्रमों में पृथ्वी का नीले ग्रह से परिचय होता है। नीरा रंग जल का ही पर्याय है जो धरती के 71 प्रतिशत हिस्से को ढके हुए है। इतना ज्यादा जल होने के बावजूद हमारे सामने जल संकट है। इस धरती पर कुल जल की जो मात्रा है उसमें लगभग 97 प्रतिशत खारा जल है जो कि समुद्रों व महासागरों में है तथा शेष 3 प्रतिशत स्वच्छ जल में से 70 प्रतिशत जल ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में जमा पड़ा है। निष्कर्ष यह है कि तमाम स्रोतों से स्वच्छ जल महज .009 प्रतिशत ही है। इसी पर मानव समाज, पशु जीवन, वनस्पति तथा सभी पर्यावरण गतिविधियाँ निर्भर है।

आज भोगवादी जीवनशैली, बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक जरूरतों में वृद्धि के कारण सीमित जल संसाधनों की निरन्तर कमी होती जा रही है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की आपूर्ति कहीं एक दिन के अन्तराल से तो कहीं दो-तीन दिन के अन्तराल से हो पाती है। लम्बी-लम्बी कतारों में लगकर पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए श्रम एवं समय की बर्बादी होती है। रेगिस्तान में जल की कमी के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि जीवित रहने के लिए जल की हर एक बूँद का इस्तेमाल किया जाए। आम आदमी की साफ-सफाई, नहाने एवं खाना तैयार करने में लगभग 50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक है। पानी की अधिकतम आवश्यकता लगभग 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। देश के विभिन्न भागों में पानी की उपलब्धता काफी कम है फिर भी घरों में वाहनों को सीधे पाइप द्वारा जल से धोना व नलों को खुला छोड़ना आम बात है।

किसी ने सही ही कहा है– 'दिन में मोमबत्ती जलाकर खुश होता है जो कोई, जरूरत पड़ने पर न मिलेगी रात को रोशनी उसे'।

अर्थात जल का दुरुपयोग करने पर आवश्यकता होने पर पीने के लिए भी जल नहीं मिलेगा। 1995 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2244 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष थी जो कि 2025 में मात्र 1567 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष रह जायेगा। हमारे देश में 2 लाख से अधिक स्कूलों में अभी तक पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में 28.6 प्रतिशत परिवारों को पीने का पानी लाने के लिए 500 मीटर से अधिक का फासला तय करना पड़ता है। राज्य के 237 ब्लॉक में से 140 ब्लॉक में भू जल स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। हमारे राज्य में देश का मात्र एक प्रतिशत जल संसाधन है जबकि देश की दस प्रतिशत आबादी राजस्थान में रहती है। राज्य के 23297 गांवों में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। देश के आधे से अधिक फ्लोराइड भण्डार राजस्थान में है। देश का 43 प्रतिशत खारा पानी राजस्थान की जनता को मजबूरन प्रयोग करना पड़ता है। नल से टपकती प्रत्येक बूँद औसतन एक दिन में 17 लीटर जल का अपव्यय करती है। जल संकट तथा इससे होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है– 'जनमानस को जल के महत्व से अवगत कराना तथा लोगों में जल संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करना'। घरों में बिना नल के कनेक्शन होने पर नल लगाने के लिए प्रेरित करना। रिसने वाले नलों को बदलाकर या उन्हें सही करवाकर जल की बर्बादी को रोकना। दैनिक जीवन के कार्यों में जल का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना। आमजन को बताना कि आपके जल संग्रहण एवं उसके सदुपयोग के कारण ही आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के अमृत तुल्य वरदान जल का लाभ मिल सकेगा।

धार्मिक ग्रंथों में भी जल की महिमा का वर्णन किया गया है अतः हमारे धर्म गुरुओं को भी अपने उद्बोधनों में जल की महत्ता एवं उसके सदुपयोग को उजागर करना चाहिए। शास्त्रों में जल को अमृत और स्नेहक अर्थात जीवन रक्षक कहा गया है परन्तु जल की उपलब्धता निरन्तर कम होना चिन्ता का विषय है। ऋग्वेद की ऋचा में बताया गया है कि भगवान जल का रूप ग्रहण कर जगत का पालन करते हैं। कुरान की आयतों में जल को अल्लाह की अजीम नेमत कहा गया है। जैन दर्शन में पानी के न्यूनतम उपयोग की हिदायत दी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत' फिर भी हम जल का दुरुपयोग करके किसका निरादर कर रहे हैं?'

यह समस्या आज नहीं तो आने वाली सदी की सबसे बड़ी समस्या होगी तथा युद्ध जर, जोरू व जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ा जायेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। आमजन को इसके दूरगामी दुष्परिणामों के बारे में सचेत किया जावे तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि इस समस्या से निजात नहीं मिल सके। गहराते जल संकट का शीघ्र ही कोई हल नहीं निकाला गया तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, यह व्यंग्य नहीं व्यथा है। जल ही जीवन है। आवश्यकता है हम सभी को दृढ़ प्रतिज्ञा करने की कि हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा जल संरक्षण अभियान में सहयोग करेंगे।

'सुरसा की बढ़ती आबादी, घटता जाता निर्मल जल।/जल संरक्षण नहीं किया गया तो जगत बनेगा रण-स्थल'॥

इस दिवस की सार्थकता तभी होगी जब जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, वर्षा जल संग्रहण अर्थात् कुण्ड बनाकर वर्षा का जल एकत्रित करके तथा जल के दुरुपयोग को रोकने के साथ जल प्रदूषण रोकने के लिए मिशन के रूप में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों द्वारा सामूहिक प्रयासों से ही ग्रामवासियों में इस हेतु जागरूकता पैदा करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

–वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कड़वासर (चूरू)

जल संरक्षण का महत्त्व

❑ ओ.पी. शर्मा

बदलाव तभी संभव है जब हम पहले यह स्वीकार करें कि हमें बदलाव की जरूरत है। हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है। हम आज ऐसे समय व काल से गुजर रहे हैं जहाँ कि बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है परन्तु हम है कि बदलाव की तरफ सोचते तक नहीं, मरुस्थल में रह रहे व्यक्ति से पानी का मूल्य पूछो तो वह बतलायेगा कि पानी कितना अमूल्य तथा दुर्लभ है– कहा जाता है कि पुराने समय में घी ढुलने (बिखरने पर) इतना दर्द नहीं होता था जितना कि पानी ढुलने पर अर्थात् पानी दुर्लभ व बेशकीमती माना जाता था।

नदी के पास रह रहे नियमित जलापूर्ति शहर में जहाँ पानी की कोई कठिनाई कभी देखी सुनी नहीं हो वहाँ किसे मालुम होगा कि पानी 'जल' कितना आवश्यक है– वैसे भी व्यक्ति महत्व उसी को देता है जो कठिनाई से प्राप्त है– आसानी से उपलब्ध वस्तु पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता।

जल सीमित है– तथा जीवन के लिए अनिवार्य भी। जल का प्रयोग पहले से अधिक बढ़ रहा है। वैश्विक औद्योगीकरण, नगरीकरण व शहरीकरण के तीव्रविकास के चलते पानी की माँग बढ़ रही है। पानी आज बोतलों में 12-15 रुपये लीटर में उपलब्ध है, परन्तु यदि आबादी व शहरीकरण की यही प्रवृति तथा पानी की खपत दर रही तो निःसंदेह पानी महँगा होता जायेगा तथा कठिनाई भी। आज सार्वजनिक जल से एक गिलास साफ ठंडा पानी भर सकते हैं। परन्तु आगे– यह पानी व्यवस्था सुलभ हो सकेगी, ये सब कह पाना मुश्किल है पानी की उपलब्धता की कीमत तथा रुपये वसूली में 100 प्रतिशत से अधिक का फर्क रहता है। भविष्य में भी प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल की उपलब्धता की धारणा एक भ्रम मात्र है, पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में जल जमी हुई अवस्था में है, या फिर जमीन में भूमिगत है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत

जल स्रोत झील, नदी, जलाशय या फिर भूमिगत जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

यह सही है कि व्यक्ति जो देखता है वही सीखता है तथा बच्चों के लिए वह और भी सही है क्योंकि बच्चों के पास ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, नयी-नयी बातों को वे तुरंत तथा अच्छी तरह सीख लेते हैं– वैसे तो बच्चों का पूरा विद्यार्थी जीवन ही हर तरह की सीख के लिए उपयुक्त होता है– मानसिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी 'Survival of The Fittest' की तर्ज पर अपने जीवन संग्राम में उतरता है।

आज स्थिति यह है कि समय-समय पर पेय जल संकट गहरा जाता है परन्तु विद्युत आपूर्ति की कमी अथवा ट्यूबवैल रख रखाव होने जैसी स्थिति में तो फिर सुधारकर - पानी आपूर्ति की उम्मीद बँधती है, परन्तु जब जल स्रोतों में पानी नहीं होगा, प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कि तालाब, बावड़ी, नदी, झील इत्यादि से पानी आपूर्ति असंभव हो जाएगी।

ट्यूबवैल का तो ठीक कराया जा सकता है, आपूर्ति नियमित हो सकती है परन्तु प्रकृति ही जब सहयोग न करें, जल स्रोत प्राकृतिक पानी से भरे नहीं हो फिर– क्या किया जाएगा।

विद्यार्थी जीवन में इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें न केवल 'तोतारटंत' तरीके से पानी के प्राकृतिक स्रोत, पानी की उपलब्धता उसके शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के तरीके तथा उपयोग व उपभोग पर विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करायें अपितु इसे महत्वपूर्ण मानते हुए अधिकाधिक ज्ञान कराएँ।

विद्यार्थियों के अभिभावकों का भी यह प्रथम कर्तव्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी छिपाये बिना इस विषय पर उनको विशुद्ध जानकारी दें तथा सीखने को भी प्रोत्साहित करते रहें।

विद्यार्थी को स्कूल जाते समय घर से पानी की बोतल खरीद कर देते हैं, घर में भी फ्रिज में पानी बोतल में ही रखते हैं अर्थात् बोतल और पानी एक दूसरे के पर्याय बनेगा। विद्यार्थी कहीं यह भूल ही न जाये कि पानी के वास्तविक स्रोत क्या है– कैसे वर्षा का जल संचय किया जा सकता है कैसे उससे कृषि होती है, कैसे उसका उपयोग किया जाये कि जल नष्ट न हो सके जल ही जीवन है' – जीवन का पर्याय जल है– यह बात हमें विद्यार्थी जीवन से ही सिखानी अनिवार्य है।

प्राचीन समय में विद्यार्थी 'विद्याध्ययन' के लिए गुरुकुल, ऋषि आश्रम में जाता था वहाँ वे नदी से, प्राकृतिक झरनों से पानी भरकर लाते थे– वही पानी शुद्ध होता था– प्राकृतिक रूप से शुद्ध परन्तु समय चक्र ने ऐसी स्कूलें बना दी है जहाँ विद्यार्थी खेलकूद तक नहीं कर सकता– बस विद्याध्ययन ही कर सकता है– तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी प्रकृति के नजदीक रहकर पानी के बारे में सब कुछ जान जाता था कि पानी कितना अमूल्य है तथा इसे स्वच्छ तथा शुद्ध रखा जाना क्यों आवश्यक है जबकि आज के विद्यार्थी का इन सबसे दूर-दूर का रिश्ता तक नहीं रहा। पानी बोतल में बंद मिलता है यही वह देखता भी है।

आज जब सर्वविदित है कि जल स्रोत सीमित है तथा जल की एक-एक बूंद बचानी आवश्यक है– वर्षा जल का संचय करना 'वाटर हारवेस्टिंग' – तकनीक को अनिवार्य रूप से – हर मकान – भवन के लिए अनिवार्य बना दिया गया है अतः यह स्पष्ट है कि जल का एक पर्याय जीवन आज एक कटु सत्य बन गया है।

जल संरक्षण आज महत्त्वपूर्ण आवश्यकता

बन गया है– कुछ लोग जो कि पर्यावरण संरक्षण का अभी दूर से ही देखते हैं उनको भी यह समझना होगा कि जल को स्वच्छ, शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है जितना इसका संरक्षण।

वेदों में प्रार्थना की गई है कि 'पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महय्यम'।

हे परमात्मन् ! अपने पृथ्वी में, धुलोक में तथा औषधियों में जल धारण किया हुआ है, आपकी कृपा से ये दशों दिशायें मेरे लिए सदा सजल और सरस रहे।

इस मन्त्र के भाष्य में लिखा गया है कि– यज्ञ की आहुतियाँ कभी बन्द नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पानी सदा सर्वत्र मिलता रहे जल के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण जानकारी सभी को होनी चाहिए वह यह है कि पहले तो वह पर्याप्त मात्रा में सुलभ रहे जिससे कि हमारे भोजन, पान-स्नान-प्रक्षालन तथा कृष्यादि कार्यों में उसको हम प्रयोग में ला सकें दूसरे वह शुद्ध स्वच्छ हो अर्थात् अशुद्ध, मलिन नहीं।

वेदों में शरीरों के लिए शुद्ध जल झरनों से प्राकृतिक स्रोतों से मिलने की प्रार्थना की गई है ऐसा दिव्यगुण वाला जल तृप्ति कारक एवं आरोग्यकारी होता है–

अब जो इन सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जल को अपवित्र न किया जाये– नदीं, तालाब इत्यादि में स्नान करते वक्त शुद्धता का ध्यान रखा जाने का विधान बार-बार इसलिए बतलाया गया है कि स्वच्छ तथा शुद्धजल ही शान्ति, तृप्तिदायक होने के साथ-साथ औषधि के रूप में आरोग्य प्रदान करता है।

चारों वेदों में, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि सभी महाकाव्यों में एक बात पूर्ण जोर देकर कही गई कि यज्ञ जिसे अग्निहोत्र कहा जाता है आज कल हवन यज्ञ कहते हैं– से वायु और वृष्टि को शुद्ध करने तथा अधिकवृष्टि करने वाली होती है कहा गया है कि अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं।

अन्न की उत्पत्ति वर्षा करने वाले मेघों से होती है, और वह पानी बरसाने वाले मेघ यज्ञ से बनते हैं हवन यज्ञ के द्वारा वायु और– वृष्टि के जल को शुद्ध रखा जा सकता है।

यज्ञो से न केवल वर्षा अपितु जल संशोधन भी होता है– वेद मंत्र कह रहा है– वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारमः।

आज जल के लिए बूँद-बूँद की बचत की एक और आवश्यकता है वहीं इसके एक से अधिक प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है– ड्रिप सिंचाई पद्धति से कृषि, बागवानी करना जहाँ जल की बचत करना है वहीं वर्षा के जल का संग्रहण कर उसका प्रयोग करना महत्वपूर्ण है– इसी प्रकार कुओं तथा जल स्रोतों का जल इकट्ठा कर उन्हें रिचार्ज करना भी जल संरक्षण है।

मानव का पानी से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता भी है, फिर जल भी सीमित, यदि हम इसकी जानकारी हमारी संतान को बचपन में ही दे दे– चाहे वह जीवन व्यवहार में प्रायोगिक शिक्षा के रूप में हो अथवा मौखिक शिक्षा देकर तो कितनी बचत जल की हो जाएगी इसकी गणना की जा सकती है फिर बचपन की शिक्षा संस्कार गहरे भी होते हैं।

यदि हम अपनी संस्कृति में जल संरक्षण की आदतों को महत्वपूर्ण बना लें, पानी की एक-एक बूँद बचाने के नारे को वास्तविक जीवन में भी अपनालें तो फिर क्या कोई कारण हो सकता है कि हम जीवनोपयोगी जल के प्रति भी कृतज्ञता की भावना रखें जल को देवता स्वरूप समझें।

वेदों में– नदियों, तालाबों, बावड़ियों, पोखरों आदि में मलमूत्र विसर्जन को पाप समझा गया है– पानी में मलमूत्र, थूक अथवा अन्य दूषित पदार्थ रक्त या विष का विसर्जन न करें।

जल प्रदूषण के प्रति हमारी सांस्कृतिक चेतना कितनी जाग्रति लिए थी, कितनी वैज्ञानिक, जल की गुणवत्ता को पूर्ण महत्व-सैंकड़ों वर्षों पूर्व भी दिया जाता था।

इन सबके साथ– एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह भी है कि 'नारी शक्ति' पारिवारिक रूप में महत्वपूर्ण है– नारी मनुष्य की प्रेरक शक्ति है, इस प्रकार नारी बचपन से ही अपने संस्कारों द्वारा अपने जीवन व्यवहार से पानी के बचत के उपाय अपनाकर सहज व सरल भाव से अपनी संतान को यह शिक्षा-विरासत में दे सकती है कि जल का 'अपव्यय', फिजूलखर्च रोका जाना चाहिए, जल का मितव्ययी प्रयोग हो तथा इसे शुद्ध एवं स्वच्छ रखा जाये– निःसंदेह यह विचारणीय विषय है एक माता अपनी संतान को संस्कृति के अंग के रूप में– धार्मिक भावना को पोषित करते हुए जल संरक्षण को विद्यार्थी जीवन से ही आसानी से सिखा सकती है।

भारतीय संस्कृति का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध रहा है– मानव आज संवेदनहीन होता जा रहा है परन्तु हमारे साहित्य एवं संस्कृति में जल प्रदूषण के प्रति तथा जलसंरक्षण के पर्याप्त उपाय सुझाये हैं। भारत सरकार व राज्य सरकारें भी कृत संकल्प है। आज की आवश्यकता है, कि भावी पीढ़ी को भी जल स्रोत हस्तांतरित होने में हम मददगार बने।

मातायें, बहनें, घर के बड़े बुजुर्ग इस कार्य को सरलतापूर्वक सुनिश्चित तरीके से कर सकती हैं– विचारशील, भावनाशील परिजन इस कार्य को करेंगे तो सत्परिणाम निश्चित ही आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। आज भले ही यह बात छोटी लगती हो परन्तु रुचिपूर्वक दी गई यह शिक्षा व्यक्ति विकास का हिस्सा बन सकेगी वहीं आवश्यकताओं को सीमित कर लोक व्यवहार में सेवा भावना की पुष्ट होगी।

–उप महाप्रबंधक (वित्त), बी.एस.एन.एल,
कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर

जल अमूल्य है इसे व्यर्थ न गवाएँ।

***

मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है।

***

सबसे बड़ा दीन, दुर्बल वह है जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं।

सृजनात्मकता एवं अभिभावक

❑ प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती

मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादियों द्वारा किए गए अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि प्रारम्भिक अवस्था में बालकों में सृजनात्मकता के लक्षण उनके कार्य व्यवहार, हलचल, गतिविधि, पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ, मंदबुद्धि बालक इसके अपवाद हो सकते हैं।

सृजनात्मकता के लक्षण उनके दो सप्ताह की आयु से ही, किसी वस्तु के हिलने-डुलने तथा उस पर उनकी दृष्टि की गतिविधि से, स्थिरता से भी पहचाने जा सकते हैं। वे आवाज, रंग, हलचल पर भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं। इससे लगता है कि वे अपने आस-पास की दुनियाँ, वातावरण के प्रति सजग हैं तथा वे उसे जानने एवं समझने के लिए भी उत्सुक हैं। उत्सुकता एवं जिज्ञासा सृजनात्मकता की प्रथम आवश्यकता है।

सृजनात्मकता के अन्य लक्षण हैं– आनन्द, विनोद, नूतनता, कल्पना, नवीनता या नयापन। यदि माता-पिता अपने बच्चों में इन गुणों के विकास में तनिक रुचि लें तो बालक इन गुणों का धनी बन सकता है जो समाज की एक धरोहर है।

माता-पिता इन गुणों का अपने बालकों में कैसे विकास करें? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहज अभिव्यक्ति तथा इन गुणों के विकास के लिए बालकों को अनगिनत अवसर देकर, उन्हें उत्प्रेरित करके, माता-पिता बालकों में सृजनात्मकता विकसित कर सकते हैं।

उमेश अपने पाँच वर्ष के पुत्र के साथ पिछले दो वर्ष से इस विचार पर सफलता के साथ प्रयोग कर रहा है। वह उसकी रुचि की गतिविधि, खेल या कार्य में उसे व्यस्त रखते हैं, उसे खोज करने का अवसर देते हैं, वे उसे चित्र पहेली या कूट चित्र पर अभ्यास करवाते हैं, दिमागी कसरत करवाते हैं, कई हिस्सों में कटी हुई खेल की वस्तुएँ उन्हें देते हैं तथा उन्हें पुनः विधिवत

जमाकर सुन्दर डिजाइन या खेल का रूप या भवन का आकार तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वे उसे नियमित रूप से पुस्तकालय तथा खिलौने विक्रेता की दुकान पर तथा बालकों के उद्यान में ले जाते हैं।

प्रत्येक बच्चा सृजनशील होता है, वह कल्पना की दौड़ में उड़ता है, विभिन्न योजनाएँ बनाता है तथा नया बनाने या सृजन की रुचि या वृत्ति रखता है। बच्चा आखिर बच्चा ही तो है, वह प्रारम्भ में ही पद्मश्री देवीलाल सामर या सुमित्रानन्दन पंत नहीं बन सकता, यह भी माता-पिता को स्वीकार करना चाहिए। चमेली या गुलबहार का फूल गुलाब का फूल तो नहीं हो सकता, पर वह भी फूल तो है ही, इसी भाँति बच्चा-बच्चा सामर या पंत तो नहीं है पर वह बनने की राह पर तो है, इसी दृष्टि से उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। पाठक जानते हैं कि फूल चाहे गुलाब का हो या चमेली का या गुलबहार का, उसे फलने-फूलने या विकसित होने के लिए उपयुक्त जलवायु, खाद, पानी तथा देखभाल, सार-सम्भालना तो चाहिए ही। इसी भाँति बालक को भी प्रकृति दत्त सम्भावनाओं तक पूर्ण विकसित होने के लिए वातावरण, माता-पिता तथा शिक्षकों की केवल देखभाल ही नहीं, बल्कि समीचीन मार्गदर्शन तथा आवश्यक साधन या उपकरण आदि भी चाहिए ही।

माता-पिता बालकों को कुछ करने के लिए, बनाने के लिए उत्प्रेरित करें जो सुन्दर हो, आँखों को अच्छा लगे तथा अर्थपूर्ण हो। आप उसे विभिन्न प्रकार के रंग तथा ब्रुश देकर कुछ बनाने को कह सकते हैं– यहीं से शुरुआत कीजिए। आरम्भ में बालकों की यह रचना आपको अच्छी न लगे, यह कृति आपके मन को न भाए तो भी विचार न कीजिए। महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि बालक की रचना मित्रों द्वारा सराही नहीं जा रही है, बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि बालक सही रास्ते पर है तथा यह रचना या कृति स्वयं उस द्वारा तैयार की गई है।

नगरीय माता-पिता अपने बच्चों को कुछ रंग, ब्रुश स्याही या गोंद की खाली बोतलें, उनके ढक्कन, खाली माचिस की डिब्बियाँ, ड्राइंग शीट्स के छोटे-बड़े टुकड़े उपलब्ध कराएँ तथा उन्हें अपने इस कार्य के लिए मकान में एक कोना दे दें, फिर देखें बच्चे क्या कमाल दिखाते हैं। बच्चों द्वारा चित्रकला के ये नमूने, नए रूप-अवश्य ही माता-पिता को प्रसन्नता से भर देंगे। इसी भाँति ग्रामीण माता-पिता यदि अपने बच्चों की सृजनात्मकता में तनिक भी रुचि लें तो वे भी उनकी लाभकारी मदद कर सकते हैं। गेहूँ या मक्का के तने का हिस्सा उनको विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने के लिए उत्प्रेरित कर सकते हैं। इन सब में उनकी सृजनात्मकता की झलक मिलती है। खेतों, खलिहानों तथा चरागाहों में, इनके खेलों में भी सृजनात्मकता देखी जा सकती है। मवेशी चराने वाले, फसल काटने वाले तथा गृहणी के कार्यों, गतिविधियों में भी सृजनात्मकता के लक्षण दिख सकते हैं। अभ्यास से इनमें संशोधन कर तथा परिवर्तन कर श्रेष्ठता तक पहुँचाया जा सकता है।

सदैव याद रखिए कि किशोर तथा वयस्क बालकों के समान ही छोटे बालकों के विकास के लिए भी प्रशंसा, स्वीकृति तथा उत्साह अपरिहार्य है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, उनके कार्यों

या चित्रों में कमी ढूँढ़ी जा सकती है, दोष बताया जा सकता है, पर हाँ, वह इतनी कठोर या चरम सीमा की भी न हो कि बालक अपना आत्म-विश्वास ही खो दे।

ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है, चित्रकला में भी उसकी रुचि का अन्य रुचि से प्रतिस्थापन हो सकता है, पर याद रखिए कि बालक ने जो कुछ भी प्रारम्भिक वर्षों में पाया है या सीखा है उसे वह जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। एक जाने-माने ख्याति प्राप्त चित्रकार ने लेखक को बताया कि मैंने चित्रण या चित्रकला का अपनी आयु के प्रारम्भिक छह वर्ष में ही अभ्यास आरम्भ कर दिया था तथा अब तो मेरा जीवन ही चित्रकला है। चित्रकला मेरे जीवन में रच-बस गई है तथा जीवन का अभिन्न अंग बन गई है।

युवा विद्यार्थी को भी कई बातें, तकनीकें सिखाई जानी चाहिए। उसे चित्रकला से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के लिए आदर का भाव सिखाया जाना चाहिए, परन्तु आरम्भ में, उसे प्रयोग करने से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होगा, स्वयं ही अपने काम में अपनी रचनाएँ, अपनी उपलब्धि से असंतुष्ट होगा। इस असंतोष को ही इस बात का सूचक माना जाना चाहिए कि बच्चा प्रगति कर रहा है, तकनीकें जान रहा है, सीख रहा है।

सृजनात्मकता के विकास के लिए कक्षाध्यापन के समान उसे उपदेश मत दीजिए, स्वयं उसे इन पर खोज करने में, जब भी अवसर आए, आप मदद कीजिए, उपलब्धि का स्तर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। बच्चों को अधिक से अधिक अच्छा करने में चित्र बनाने में मदद कीजिए। साधन या तरीका वही अच्छा है, जो बालक को सिखाये, उसके लिए उपयुक्त हो, प्रगति पथ पर आगे बढ़ाए। आप अपने विचार उस पर न थोपिये।

बालकों की सृजनात्मकता को ऐसा मोड़िए, उसे ऐसा रूप दीजिए कि वह घर में उपयोग की जाने योग्य या घर को सजाने योग्य वस्तुएँ ही तैयार करे। बच्चों के लिए ऐसी चीजों का बहुत महत्त्व है, वे उनके लिए बड़ी मूल्यवान हैं। वह गर्व के साथ उनका उपयोग करता है, काम लेता है। यदि हम इन वस्तुओं का प्रयोग दूसरे परिवार के या पड़ौस के लोग करें तो उसे और भी अधिक प्रसन्नता होगी, वह गर्व अनुभव करेगा। भेंट के लिए आश्चर्यजनक वस्तु दुकान से भी खरीदी जा सकती है, पर वे खरीदी गई वस्तुएँ बच्चों को अपने हाथों से बनाई सृजनात्मक वस्तु के समान संतोष या आनन्द नहीं दे सकती हैं।

धरती के गर्भ में छिपे बारीक अंशों, महत्त्वहीन वस्तुओं से कई सुन्दर तथा मनोहारी वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं। बालों के पिन तथा कानों की बालियाँ इसके उदाहरण हो सकते हैं। उनमें से कई फूलों की पंखुड़ियों के समान लगेंगे तथा वे कई रंगों तथा छायाओं की भिन्नता लिए हुए आनन्ददायक वातावरण बना देते हैं। सृजनात्मकता के लिए रंगों का तथा पंखुड़ियों को जमाने का संग्रह करने का वह तरीका जो उसे मनोहारी फूल का रूप देते हैं, बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बच्चों को गाइड करने के लिए माता-पिता किसी स्तरीय चित्रकला की पुस्तक से मदद ले सकते हैं।

बच्चा जन्म से कलाकार, गायक होता है। बच्चा अपनी आवाज तथा देह के साथ समरसतापूर्ण लय के रूप में प्रतिक्रिया बताता है। उसकी यह प्रतिक्रिया उसके प्रत्येक श्वाँस के साथ-साथ उसी गति से चलती रहती है। उसे संगीत के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोई अन्य बच्चा गाता है तो वह उसे सुने, आनन्द ले, मानो वह स्वयं ही गा रहा हो। वह अपनी आवाज में, लय में, ध्वनि में हर बार सुधार करता है। यदि आप सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता तो तरीका बदलिए, गाइए, गुनगुनाइए। आपको ऐसी किताब ढूँढ़नी चाहिए जिसमें सभी काम बच्चों के लिए, उनकी आयु के उपयुक्त ही हों। सम्भव है, ऐसी किताब स्वयं बच्चों द्वारा लिखी हुई ही मिल जाए।

ऐसा कहा जाता है कि सही कवि तो युवा बच्चे ही होते हैं। कारण कि वे सामाजिक बातों से दूर होते हैं, घर-परिवार की चिंताओं से मुक्त होते हैं, वे वयस्कों के समान पूर्व से स्थापित रीति-रिवाजों का पालन नहीं करते हैं, वे तो अपने ही तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, वे उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वे अपनी बात सर्वाधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकें, बता सकें।

जब भी बच्चा कुछ कहना चाहे, आप उसकी बात में पूरी रुचि लीजिए तथा भारी-भरकम शब्दों का, जिन्हें आप ठीक समझते हैं कभी प्रयोग न कीजिए। भारी-भरकम साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर बालक का साहस न घटाइये। उदाहरणार्थ या तो आप उसे दो शब्द दीजिए, उनका अर्थ भी समझाइए तथा दो में से एक सर्वाधिक सही शब्द चुनने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए अथवा फिर अच्छा प्रभावी तथा सही शब्द चुनने के लिए स्वयं उसे दिमागी कसरत करने दीजिए। उसे अपनी अभिव्यक्ति में मदद कीजिए। इस प्रकार वह अपनी बातों को अपनी भाषा में, न कि आपकी भाषा में व्यक्त करना सहज ही सीख सकेगा।

एक बार बच्चा कुछ ऐसी बातें या विचार आपके सामने रखेगा जिन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार वयस्क सूझ-बूझ से सनक कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि उसके विचार बुनियादी रूप में उसकी चिंतनधारा की दृष्टि से सराहनीय हैं। आप उसके विचारों को न दफनाए, उन विचारों की आलोचना न करें, न ही उसके सामने उसके या आपके मित्रों की उपस्थिति में प्रकट उसे बुरा-भला कहें। ऐसा यदि किया गया तो बालक मन ही मन अपने विचारों का दमन कर सकता है तथा उसके अंतर्मन में छिपी सृजनात्मकता समाप्त हो सकती है, लोप हो सकती है, मार्ग भी बदल सकती है। उसे अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के अवसर दीजिए, वह अपने को समाज के लिए एक उपयोगी तथा प्रसन्नचित्त सदस्य के रूप में विकसित कर लेगा। विकास का भी तो यही अंतिम उद्देश्य है।

–बी-186, डॉ. राधाकृष्णन नगर,
भीलवाड़ा (राज.) 311001

☐ 1. स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़ने पर खिलाड़ियों (हैण्डबाल) व विद्यालयों पर प्रतिबन्ध। ☐ 2. स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़ने पर खिलाड़ियों (तीरंदाजी) व विद्यालयों पर प्रतिबन्ध। ☐ 3. शिक्षक समानीकरण/शिक्षा से सम्बन्धित चर्चा/सुझावों में जन-प्रतिनिधियों की राय लिये जाने के सम्बन्ध में। ☐ 4. वरिष्ठता सूचियाँ अपडेट करने बाबत। ☐ 5. शिविरा पंचांग 2011-12 के शैक्षिक सत्र में आंशिक संशोधन। ☐ 6. राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून की प्रवेश योग्यता परीक्षा। ☐ 7. नवीन पेंशन योजना, आहरण वितरण अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। ☐ 8. नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति/जिला परिषद से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में। ☐ 9. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरणों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में। ☐ 10. गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की स्वीकृति बाबत।

1. स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़ने पर खिलाड़ियों (हैण्डबाल) व विद्यालयों पर प्रतिबन्ध

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • आदेश 57वीं राष्ट्रीय विद्यालयी **हैण्डबॉल** 17 वर्ष छात्र-छात्रा प्रतियोगिता दिनांक 29.11.11 से 03.12.2011 तक दुर्ग (छत्तीसगढ़) में आयोजित हुई। जिसमें राज्य दल के भाग लेने से पहले चयन परीक्षण दिनांक 18.11.2011 से 19.11.2011 तक तत्पश्चात चयनित खिलाड़ियों का पूर्व प्रशिक्षण शिविर प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., तिजारा (अलवर) के तत्वावधान में आयोजित हुआ।

चयन परीक्षण समाप्ति पश्चात् उक्त राष्ट्रीय विद्यालयी हैण्डबॉल 17 वर्ष छात्र प्रतियोगितार्थ अन्तिम रूप से चयनित निम्नांकित खिलाड़ी छात्र शिविराधिपति/प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., तिजारा जिला अलवर से किसी प्रकार की स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़कर चले गये–

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जन्म तिथि	विद्यालय का नाम मय जिला
1.	लवदीप सिंह	श्री बक्शीश सिंह	10	12.03.98	खालसा एकेडमी शिक्षण समिति, 15 एम.एल. श्रीगंगानगर
2.	विनोद शर्मा	श्री रामकुमार शर्मा	10	10.05.98	श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल, सीकर रोड, जयपुर
3.	विवेक कुमार	श्री गोविन्दराम	10	03.08.98	श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल, सीकर रोड, जयपुर
4.	गुरविन्द्र सिंह	श्री जसपाल सिंह	10	19.07.98	श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल, सीकर रोड, जयपुर

उपरोक्त चारों छात्रों को आगामी दो वर्ष तक किसी भी विद्यालयी खेल में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की **प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित** किया जाता है, साथ ही उक्त छात्रों के सम्बन्धित विद्यालयों को किसी भी स्तर की विद्यालयी **खेलकूद प्रतियोगिताओं** में आगामी पाँच वर्ष तक भाग लेने पर प्रतिबन्धित किया जाता है। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/मा/खेलकूद-4/35691/दुर्ग/2011-12/54 दिनांक : 23.01.12

2. स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़ने पर खिलाड़ियों (तीरंदाजी) व विद्यालयों पर प्रतिबन्ध

• कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : कार्यालय-आदेश • 57वीं राष्ट्रीय विद्यालयी **तीरंदाजी** 17, 19 वर्ष छात्र-छात्रा प्रतियोगिता दिनांक : 27.12.11 से 30.12.11 तक अहमदनगर (महाराष्ट्र) में आयोजित हुई। जिसमें राज्य दल का भाग लेने से पहले चयन परीक्षण दिनांकः 16.12.11 से 17.12.11 तक तत्पश्चात् चयनित खिलाड़ियों का पूर्व प्रशिक्षण शिविर प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूपड़ा (बाँसवाड़ा) के तत्वावधान में आयोजित हुआ।

चयन परीक्षण समाप्ति पश्चात् उक्त राष्ट्रीय विद्यालयी तीरंदाजी 17, 19 वर्ष छात्र प्रतियोगितार्थ अन्तिम रूप से चयनित निम्नांकित छात्र शिविराधिपति/प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., कूपड़ा (बाँसवाड़ा) से किसी प्रकार की स्वीकृति व सूचना दिये बगैर शिविर स्थल छोड़कर चले गये–

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जन्म तिथि	विद्यालय का नाम मय जिला
1.	धर्मेन्द्र बैरवा	श्री मोहनलाल बैरवा	10	6.7.1996	रा.उ.मा.वि., रामपुरा रूपा, टोंक फाटक, जयपुर
2.	संजय कुमार डिण्डोर	श्री श्यामलाल	09	14.6.1997	रा.उ.मा.वि., रामपुरा रूपा, टोंक फाटक, जयपुर
3.	श्रीकान्त मिश्रा	श्री क्रान्ति चन्द मिश्रा	09	25.12.1997	शुभम पब्लिक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, मालवीय नगर, जयपुर

उक्त छात्रों को आगामी दो वर्षों तक किसी भी विद्यालयी खेल में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है, साथ ही उक्त छात्रों के सम्बन्धित विद्यालयों को किसी भी स्तर की विद्यालयी प्रतियोगिताओं में आगामी पाँच वर्षों तक भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। • आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/मा./खेलकूद-4/35687/अहमदनगर/2011-12/59 दिनांक : 06.02.12

3. शिक्षक समानीकरण/शिक्षा से सम्बन्धित चर्चा/सुझावों में जन-प्रतिनिधियों की राय लिये जाने के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/प्राक्क.समिति/2011-12 दिनांक : 02.02.12 • विषय : शिक्षक समानीकरण/शिक्षा से सम्बन्धित चर्चा/सुझावों में जन-प्रतिनिधियों की राय लिये जाने के सम्बन्ध में। • प्रसंग : राज्य सरकार के पत्रांक पं.5(19)प्राशि/2009 दिनांक : 30 जनवरी, 2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्राक्कलन समिति 'क' 2011-12 के चतुर्थ प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-4 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिश के अनुरूप यह निर्देशित किया जाता है, कि भविष्य में जब कभी भी शिक्षकों के समानीकरण

अथवा शिक्षा क्षेत्र के बारे में चर्चा/सुझाव की बात आए तो तत्सम्बन्धी बिन्दुओं/प्रस्तावों के सम्बन्ध में जन-प्रतिनिधि (चाहे वे किसी भी पार्टी का हो चाहे पंचायत राज का हो या लोकल बॉडी का हो) के प्रस्ताव/राय आमंत्रित की जाये। • ह. आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

4. वरिष्ठता सूचियाँ अपडेट करने बाबत

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के-2/11968/मानदण्ड/वो-III/09/154 दिनांक : 2.2.2012 • विषय : वरिष्ठता सूचियाँ अपडेट करने बाबत • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 1.4.1997 से पूर्व निर्मित विभाग में सभी पदों के कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियाँ अपडेट करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुनः लेख है कि नवीन जिला/नवीन मण्डल बनाने के कारण अथवा स्वेच्छा से एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण के कारण कार्मिकों यथा– अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक एवं शारीरिक शिक्षकों के नाम, नये जिले/मण्डल में जोड़ने हेतु प्रपत्र-6 जारी करना एवं इस प्रपत्र के आधार पर जोड़े गये नामों की सूचना इस कार्यालय को शीघ्र भिजवायें। साथ ही वरिष्ठता सूचियों का पुनः अवलोकन कर सूचियाँ अपडेट करें।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.8.11 के द्वारा वरिष्ठता सूचियों में नामांकन विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि/अन्य संशोधन के बकाया प्रकरण निष्पादन हेतु दिनांक 30.9.11 की तिथि निश्चित की गई थी, दिनांक 30.9.11 में वृद्धि कर अब समस्त बकाया प्रकरण निस्तारण हेतु 31.3.2012 निश्चित की जाती है। दिनांक **31.3.2012** के पश्चात किसी भी कार्मिक का प्रकरण बकाया रहता है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक की व्यक्तिशः जिम्मेवारी मानी जाएगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. शिविरा पंचांग 2011-12 के शैक्षिक सत्र में आंशिक संशोधन

• निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शिविरा पंचांग शैक्षिक सत्र 2011-12 के कार्यक्रमों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है–

क्र. सं.	कार्यक्रम	पूर्व निर्धारित तिथि/समय	संशोधित तिथि/समय
1.	कक्षा 1 से 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा	9 अपैल से 23 अप्रैल, 2012	11 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2012
2.	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 9 एवं 11 के लिए अध्यापन समय	प्रातः 11.30 से दोपहर 2.00 बजे	दोपहर 12.30 से सायं 4.30 बजे

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रवेश प्रक्रिया एवं नवीन सत्र (2012-13) 1 मई, 2012 से प्रारम्भ हो जाएगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। • उप निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/स/22418/11-12 दिनांक : 9.2.12

6. राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून की प्रवेश योग्यता परीक्षा

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग • क्रमांक : प.5(1)शिक्षा-6/2011 जयपुर • विषय : जून 2012 में होने वाली राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून की प्रवेश योग्यता परीक्षा बाबत। • राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून के जनवरी, 2013 के सत्र में प्रवेश के लिए देश के चुनिन्दा स्थानों पर **1 व 2 जून, 2012** को परीक्षा आयोजित की जायेगी।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून में प्रवेश पाने के लिए केवल छात्र ही आवेदन करने के पात्र हैं। इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 01 जनवरी, 2013 को 11½ वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी, 2000 से पहले और 01 जुलाई, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। उक्त महाविद्यालय में प्रवेश के समय उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में सातवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए, या सातवीं कक्षा पास कर चुका हो।

लिखित परीक्षा अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान इन तीन विषयों में होगी। गणित व सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है।

लिखित परीक्षा के अलावा उम्मीदवारों के बौद्धिक ज्ञान और व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) परीक्षण के लिए एक साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार 05 अक्टूबर, 2012 को केवल उन्हीं उम्मीदवारों का होगा, जो लिखित परीक्षा में पास होंगे। इसके लिए उन्हें पृथक से सूचित किया जायेगा।

इच्छुक आवेदनकर्ता आवेदन पत्रों की प्रतियाँ तथा विवरण पत्रिका पुराने प्रश्न पत्रों के सैट के साथ प्रत्येक सैट के लिए 350/- रुपये (तीन सौ पचास रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमाण्डेंट, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तेल भवन, बैंक कोड नम्बर (01576) देहरादून (उत्तराखण्ड) के नाम से भुगतान करके, सीधे उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं।

नोट :– 1. केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे, बाजार में मिलने वाले अथवा फोटो कॉपी किये गये तथा बिना होलोग्राम (मुहर) के आवेदन पत्रों की मान्यता नहीं होगी। 2. जो उम्मीदवार राजस्थान के मूल निवासी हैं एवं राजस्थान प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हों, तथा उसके माता-पिता अथवा अभिभावक राजस्थान में निवास करते हों, का आवेदन पत्र दो प्रतियों में उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, कमरा नं. 8323 तीसरी मंजिल एस.एस.ओ. भवन शासन सचिवालय, जयपुर के पास 31 मार्च, 2012 तक पहुँच जाने चाहिए, जिसके साथ निम्नांकित संलग्नक आवश्यक रूप से लगावें। इन संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा– • सामान्य वर्ग के लिए 50/- रुपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5/- रु. का बैंक ड्राफ्ट जो कमाण्डेंट आर.आई.एम.सी. देहरादून स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच तेल भवन, कोड नं. (01576) देहरादून (उत्तराखण्ड) के नाम देय हो, संलग्न करें। • स्कूल अध्ययन प्रमाण पत्र। • अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र। • उम्मीदवार की पासपोर्ट आकार की तीन फोटो। • नगरपालिका के जन्म रजिस्टर से अथवा स्कूल रिकॉर्ड के रजिस्टर से आयु प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ। • स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिस पर निर्धारित टिकट लगे हों, भी संलग्न करें। 3. निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन पत्र में अंकित की गई जन्मतिथि में परिवर्तन का अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। 4. अंतिम तिथि से एक माह तक किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर कृपया उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें। • ह., उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग।

7. नवीन पेंशन योजना, आहरण वितरण अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश

• राजस्थान-सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग • क्रमांक : प.4(12 वित्त/राजस्व/04 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर, 2011 • विषय : नवीन पेंशन योजना नियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अंशदान के सम्बन्ध में। • राज्य के जिला परिषदों/पंचायत समितियों में भी दिनांक 01.01.2004 एवं इसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना लागू है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत संग्रहित राशि को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा बजट मद 8011-106-(03)-[03] में जमा किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.8.09 के द्वारा राज्य के नवीन पेंशन योजना के सभी अंशदाताओं पर पी.एफ.आर.डी.ए. के आर्किटेक्चर को अपनाने का निर्णय लिया गया है एवं इस प्रयोजन के लिए निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को इस योजना का नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।

पी.एफ.आर.डी.ए. के आर्किटेक्चर के अन्तर्गत नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान राशि का विवरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय को एन.एस.डी.एल. (सी.आर.ए.) को भेजा जायेगा जबकि अंशदान राशि योजना के ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को हस्तानान्तरित की जायेगी।

पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों, जिनका वेतन कोष कार्यालय के माध्यम से आहरित नहीं होता है, उनके वेतन से नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत की गई कटौती की राशि को बिना किसी विलम्ब के पी.एफ.आर.डी.ए. के आर्किटेक्चर की व्यवस्था के अन्तर्गत योजना के ट्रस्टी बैंक को शीघ्र हस्तानान्तरित किये जाने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं– 1. चूँकि पी.एफ.आर.डी.ए. के आर्किटेक्चर की व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारी का अंशदान ट्रस्टी बैंक को भिजवाने की तिथि से, कर्मचारी को अंशदान के निवेदन पर लाभ प्राप्त होगा। अतः यह आवश्यक है कि सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन से कटौती करते ही राजकीय अंशदान एवं कर्मचारी के अंशदान की राशि नियमित रूप से प्रतिमाह राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला अधिकारी को कार्यालय में चैक के माध्यम से भिजवाई जाये एवं चैक के साथ में कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। जिसमें माह, कर्मचारी का नाम, पद, PRAN, कर्मचारी के अंशदान की राशि एवं राजकीय अंशदान की राशि पृथक-पृथक अंकित की जानी चाहिए। उक्त राशियों को भविष्य में पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा सीधे ही चालान द्वारा बैंक में जमा नहीं कराया जाना है। 2. नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं के वेतन बिलों के साथ ही राजकीय अंशदान का बिल भी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से आहरित किया जावे, ताकि इस अंशदान की राशि को भी कर्मचारी के अंशदान की राशि के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाया जाना संभव हो सके। 3. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कर्मचारी के अंशदान की राशि एवं राजकीय अंशदान की राशि प्रतिमाह समान होनी चाहिए। सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि प्रतिमाह नवीन पेंशन योजना की राशि का जो चैक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को भेजा जाता है उसका मिलान सम्बन्धित कटौती पत्रों से हो रहा है, अर्थात् चैक की राशि एवं कटौती पत्रों की राशि समान होना आवश्यक है। 4. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से नवीन पेंशन योजना के अंशदान की राशि का चैक एवं कटौती पत्र प्राप्त होने पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय द्वारा चैक को जिला स्तर पर खोले गये एन.पी.एस. बैंक खाते में जमा कराया जायेगा तथा इसका विवरण एन.एस.डी.एल. (सी.आर.ए.) के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाकर इस राशि को अधिकतम 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से योजना के ट्रस्टी बैंक को ऑन-लाईन भिजवाया जायेगा, जिससे यह राशि सम्बन्धित अंशदाता के खाते में समय पर जमा हो सके।

यदि किसी पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अंशदान की राशि मय कटौती पत्र भेजने में अनावश्यक विलम्ब किया जायेगा तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी की अंशदान राशि का समय पर निवेश नहीं होने की वजह से उन्हें ब्याज की हानि होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। अतः समस्त पंचायत समिति एवं जिला परिषदों द्वारा इसकी पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे। भविष्य में वेतन बिलों से काटी गई एन.पी.एस. राशि को नियमित रूप से प्रतिमाह बीमा विभाग के जिला कार्यालय को नहीं भिजवाने के मामलों को गम्भीरता से लिया जायेगा। • ह. विशिष्ट शासन सचिव, (व्यय) • क्रमांक : प.4(12 वित्त/राजस्व/04 पार्ट-II जयपुर।

8. नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति/ जिला परिषद से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर • क्रमांक : प-135/एनपीएस/जन./2011-12/4462-4500 दिनांकः 29.11.2011 • विषय : नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति/ जिला परिषद से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में। • वित्त राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट-II दिनांक 02.09.2011 द्वारा नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की कटौतियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र की प्रति आपको संलग्न कर भिजवाई जा रही है, कृपया इसका बारीकी से अध्ययन कर अनुपालना सुनिश्चित करें।

निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों द्वारा एनपीएस कटौती राशि केवल मात्र चैक/डी.डी. द्वारा ही प्राप्त की जा सकेगी। राशि कर्मचारी और संस्था का अंशदान समान रूप से होने पर ही उसकी पावती दी जाए। जिला कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित रूप से पंचायत समिति एवं जिला परिषद निर्धारित राशि का विवरण चैक सहित जिला कार्यालय को प्रेषित कर रहा है। परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार प्राप्त चैक को सीधे जिला स्तरीय एनपीएस बैंक अकाउण्ट में जमा करवाया जाना है। इस प्रक्रिया से जमा की जाने वाली राशि कवरिंग लिस्ट में प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। अतः प्रतिमाह जिले की कुल नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि कवरिंग लिस्टों के कुल योग एवं पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा भिजवाए जा रहे चैक की कुल राशि का योग होगा। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद से प्राप्त हो रहे चैक के रिकार्ड का संधारण अत्यन्त महत्वपूर्ण रिकार्ड हो जाता है। समस्त जिला कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक चैक को पूर्ण विवरण सहित इस हेतु संधारित किए जा रहे रजिस्टर में अंकित कराए एवं उसके पश्चात ही राशि का चैक बैंक में जमा करवाए। इस प्रकार से प्राप्त चैक एवं राशि का कुल विवरण प्राप्ति के समय ही चेक कर लिये जाने के कारण उसे आगामी दिवसों में मिलान की आवश्यकता नहीं होती है अतः ऐसी राशि को जमा होने के दूसरे दिन ही ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जा सकता है एवं विवरण को एनएसडीएल की साईड पर अपलोड किया जा सकता है। समस्त जिला अधिकारी संलग्न प्रारूप में उक्त रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित करेंगे। • ह. अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस), राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज., जयपुर • क्रमांक : प-135/एनपीएस/जन./2011-12/

नवीन पेन्शन योजना
पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों के अंशदान के विवरण की पंजिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
क्र. सं.	प्राप्ति दिनांक	पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	बैंक का नाम	चैक/डीडी संख्या	दिनांक	राशि	कर्मचारियों की संख्या	बैंक में जमा करवाने की तिथि	एससीएफ अपलोड की तिथि	राशि	ट्रस्टी बैंक को राशि स्थानांतरण की दिनांक	हस्ताक्षर	
												लिपिक	अधि.

9. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरणों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-प्रारं/पेन्शन/13107/लोसेगाअ/2012/ दिनांक 21.2.2012 • परिपत्र • विषय : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरणों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में • राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 14 नवम्बर, 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रश्न की गारन्टी अधिनियम 2011 लागू किया गया है, इस अधिनियम के तहत सम्मिलित 108 सेवाओं में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरण समय पर निस्तारित करने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पेन्शन से सम्बन्धित सेवाएँ भी सम्मिलित हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (पेन्शन नियम) 1996 में पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तैयार कर पेंशन विभाग को पहुँचाने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष का है तथा एक माह पूर्व पेन्शन अधिकृतियाँ जारी करने का दायित्व पेन्शन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी का है, यह सेवा प्रदान करने के लिए जारी सूचना सं. प.13(1) प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 5.10.11 के क्रमांक 58 व 59 पर पदाभिहित अधिकारी तथा सेवा प्रदान करने की समयावधि अधिसूचित की गई है।

लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु गारन्टी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार समस्त कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना के क्रमांक 58 व 59 पर अंकित पेन्शन प्रकरणों में सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 में निर्धारित समय सीमा में निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित करावें, विलम्ब की स्थिति में अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। • आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की स्वीकृति बाबत।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/08-11/वौ-2 दिनांक 21.02.2012 • विषय : गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की स्वीकृति बाबत। • प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक-प.9(11)शिक्षा-5/2011 दिनांक 20.1.12 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि जो नियम शर्तें एवं शुल्क माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन/स्थान/नाम परिवर्तन हेतु लागू होते हैं वही नियम शर्तें एवं शुल्क प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राज्य सरकार के नियम दिनांक 29.9.2005, 23.5.2007 एवं 18.8.2010 के अनुसार लागू होंगे। आपको निर्देशित किया जाता है, कि गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण आप अपने स्तर पर राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुसार करें। यदि किसी प्रकरण विशेष में किसी ठोस आधार पर शिथिलन की आवश्यकता हो तो सीधे ही आप अपने स्तर से राज्य सरकार को न भिजवाकर इस कार्यालय को अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित प्रकरण भिजवावें। ताकि राज्य सरकार से वाँछित शिथिलन प्राप्त किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29.09.2005, 23.05.2007 एवं 18.08.2010 की छाया प्रतियाँ करणीय कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। • आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

संलग्नक-01 पत्र दिनांक 29.9.2005 एवं शर्तें

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग • क्रमांक : पं.8(55)शिक्षा-5/04 जयपुर, दिनांक : 29.09.2005 • विषय : गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के नियम के सम्बन्ध में। • विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की सामान्य शर्तों के अनुमोदन की प्रमाणित प्रति सहवन से त्रुटिवश नहीं भिजवाई गई।

अतः उक्त अनुमोदन की प्रमाणित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। • ह. सहायक शासन सचिव।

गैर राजकीय अनुदानित/अअनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की सामान्य शर्तें

(1) किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए निम्नानुसार 'परिवर्तन शुल्क' लिया जावेगा–

क्र.सं.	*विद्यालय स्तर*	*शुल्क राशि*
1.	माध्यमिक स्तर	5000/-
2.	उच्च माध्यमिक स्तर	7000/-

(2) किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए औचित्य सहित प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा। (3) किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए शिक्षक अभिभावक परिषद की सहमति आवश्यक होगी। (4) किसी भी परिवर्तन के लिए पूर्व में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (5) किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतिवर्ष केवल मई/जून माह में ही किया जावेगा। (6) किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।

भवन परिवर्तन की आवश्यक शर्तें– (1) विद्यालय का वर्तमान भवन स्वयं का होने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। (2) विद्यालय भवन दो किलोमीटर की परिधि में ही परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जावेगी। (3) नये विद्यालय भवन से दो किलोमीटर की परिधि में राजकीय/गैर राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए। (4) विद्यालय जिस गाँव/शहर में संचालित है वहीं भवन परिवर्तन की स्वीकृति दी जावेगी। (5) विद्यालय भवन के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यालय का भवन निर्मित किया जा सकेगा। (6) किराये के भवन को किराये के भवन में परिवर्तन की स्वीकृति दी जावेगी। (7) सक्षम अभियन्ता द्वारा नये भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिंट और भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। (8) विद्यालय को अपने स्तर पर विद्यार्थियों के लिए नये विद्यालय भवन तक आवागमन की व्यवस्था करनी होगी।

नाम परिवर्तन की आवश्यक शर्तें– (1) विद्यालय का नाम परिवर्तन करने योग्य होने पर ही स्वीकृति जारी की जावेगी। (2) किसी भी स्थानीय विद्यालय के नाम पर अथवा उससे मिलता-जुलता नाम रखने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

वर्ग परिवर्तन की आवश्यक शर्तें– (1) छात्र विद्यालय को छात्रा विद्यालय में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जा सकेगी। (2) छात्रा विद्यालय को छात्र विद्यालय में परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

माध्यम परिवर्तन की आवश्यक शर्तें– (1) विद्यालय के स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जा सकेगी। (2) किसी कक्षा का अतिरिक्त खण्ड स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) से अलग माध्यम (अंग्रेजी/हिन्दी) में भी प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा सकेगी। • ह. उपशासन सचिव/प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।

संलग्नक-02 पत्र दिनांक 23.05.2007

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग • क्रमांक : पं.8(55)शि-5/06 जयपुर, दिनांक : 23.05.2007 • विषय : निजी शिक्षण संस्थाओं के भवन परिवर्तन हेतु निर्धारित सामान्य शर्तों में शिथिलन के क्रम में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी गैर राजकीय अनुदानित/अअनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की सामान्य शर्तों की छाया-प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि भवन परिवर्तन की आवश्यक शर्तों में बिन्दु संख्या-2 (विद्यालय भवन दो किलोमीटर की परिधि में ही परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी) में यदि उसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई संस्था भवन परिवर्तन करना चाहती है तो दो किलोमीटर की परिधि में भवन परिवर्तन की आवश्यक शर्त में शिथिलन प्रदान कर निर्देशित किया जाता है कि ऐसी संस्था उसी नगर पालिका क्षेत्र में यदि कहीं भी भवन परिवर्तन चाहती है तो उससे निम्नानुसार शुल्क लिया जाकर भवन परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करें–

क्र. सं.	स्तर	शुल्क		
		दो किलोमीटर तक	उसी नगरपालिका क्षेत्र में दो किलोमीटर से अधिक	
			भवन परिवर्तन शुल्क	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राशि
1.	माध्यमिक	रु. 5000	रु. 5000	रु. 5000
2.	उच्च माध्यमिक	रु. 7000	रु. 7000	रु. 7000

अन्य सामान्य शर्तें यथावत रहेंगी। • ह., शासन उप सचिव।

संलग्नक-03 पत्र दिनांक 18.8.2010

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग • क्रमांक : पं.8(55)शि-5/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.8.2010 • विषय : भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन की स्वीकृति बाबत्। • संदर्भ : इस विभाग के परिपत्र दिनांक 29.9.2005 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि गैर सरकारी विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के प्रकरणों का निर्णय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.9.2005 के अनुसार निदेशालय स्तर पर लिया जावे तथा किसी ठोस आधार पर शिथिलन की आवश्यकता हो तो अपनी अभिशंसा सहित शासन स्तर पर भिजवाया जावे।

अतः अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों (उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी) को निर्देशित करें कि वे इस प्रकार के प्रकरण सीधे ही राज्य सरकार को न भिजवावें। • ह., शासन उप सचिव।

शिविरा पंचांग माह मार्च, 2012

कार्य दिवस 24 • रविवार 04 • अवकाश 03 • उत्सव 03– **1 मार्च–** दो पारी विद्यालय प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)। **07 मार्च–** होलिका दहन (अवकाश)। **08 मार्च–** धुलण्डी (अवकाश)। **15 मार्च–** विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव), अक्टूबर से मार्च तक की छात्रवृत्ति का वितरण। 16 मार्च से ग्रीष्मावकाश आरम्भ होने तक एक पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक। **23 मार्च–** कक्षा 1 में प्रवेश एवं अध्यापन प्रक्रिया प्रारम्भ। **24 मार्च–** चेटीचण्ड (अवकाश–उत्सव)। **30 मार्च–** राजस्थान दिवस (उत्सव)। **31 मार्च–** निःशक्त विद्यार्थियों हेतु केन्द्र प्रायोजित समावेशित शिक्षा योजना संबंधी व्यय, बचत एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना जिशिअ (मा) को प्रेषित करना। **नोट :– 1.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। **2.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 8, 9 एवं 11 के लिए अध्यापन कार्य की समयावधि प्रातः 11.30 से दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी। **3.** शेष प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

रपट

व्यावसायिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षा के दार्शनिक पक्ष में भले ही मानव के मन, मस्तिष्क एवं व्यवहार को मानवोचित बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है, लेकिन व्यवहार पक्ष की बात करें तो व्यक्ति को अपने वास्तविक जीवन में अर्थोपार्जन करते हुए स्वयं अपने तथा परिवार के जीवन को सुखमय बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। कदाचित इस द्वितीयक उद्देश्य की संप्राप्ति के लिए ही प्रायः सभी अभिभावक और विद्यार्थी चिन्तन करते व चिन्ताशील रहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति में व्यावसायिक कौशल विकास का सूत्रपात विद्यार्थी जीवन से ही हो जाना आवश्यक है। इस बात को लेकर हमारे शिक्षाविदों तथा समय-समय पर गठित आयोगों एवं समितियों ने अपनी संस्तुतियाँ दी हैं।

राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को केन्द्र में रखकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) एवं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सी.ओ.एल.) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। दिनांक 17-19 फरवरी 2012 में आयोजित इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था– 'माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Integration of Academic Courses with vocational Education in Secondary Schools)। इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा सचिवों सहित परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण की दिशा में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों एवं जन शिक्षण संस्थानों (पूर्व नाम श्रमिक विद्यापीठ) के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था।

व्यावसायिक शिक्षा पर आयोजित इस त्रिदिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन 17 फरवरी 2012 को प्रातः श्रीमती अंशु वैश्य, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने किया। भविष्य पर फोकस करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में आगामी दस वर्षों (2022 तक) लगभग 700 मिलियन लोग आजीविका कमाने की दौड़ में होंगे। इसलिए देशवासियों को विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक कौशल सिखाया जाना चाहिए और इसे सिखाने की अवस्था माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं से शुरू की जानी चाहिए। श्रीमती अंशु वैश्य ने कहा कि आर्थिक कारणों से व्यावसायिक कुशलता होना आज के समय की महती आवश्यकता हो गई है जिसे स्कूल लेवल से ही पाठ्यक्रम में समाहित करना अनिवार्य हो गया है अन्यथा हमारा युवा सुखी एवं प्रतिष्ठा का जीवन जी नहीं सकेगा। आपने बाजार की माँग के साथ गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदया ने आतिथ्य सत्कार (Hospitality) तथा निर्माण सुपरवीजन (Construction Supervision) विषयों पर आधारित दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लोकार्पण किया।

केन्द्रीय शिक्षा सचिव श्रीमती अंशु वैश्य द्वारा दीप प्रज्वलन

उद्घाटन सत्र में भारत, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव के यूनेस्को प्रतिनिधि निदेशक श्री शिगेरू ओयाजी ने आशा व्यक्त की कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शिक्षण संस्थाओं एवं उद्योग धंधों में परस्पर सहयोग का बीजारोपण होगा। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लिए किए जा रहे किसी भी प्रयास को बिना उद्योग धंधों की सहायता व सहयोग के सफल नहीं होने वाला बताया। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं एवं बाजार (उद्योग) के मध्य सामंजस्य होना आवश्यक है।

प्रथम एवं उद्घाटन सत्र के प्रारम्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. जैना ने अतिथि महानुभावों एवं

सम्भागियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन आयोजन की पीठिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कौशल विकास एवं क्षमता अभिवर्द्धन की जरूरत को विद्यार्थी जीवन से ही माना गया है ताकि वह बड़ा होकर व्यावसायिक दृष्टि से कुशल प्रमाणित हो सके। वस्तुतः यही जीवनपर्यन्त अधिगम का आधार है। इसलिए वर्तमान संदर्भों को भविष्य की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप सोचा जाकर अकादमिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को ढाला जाना जरूरी है और इसी पुनर्संरचना के लिए विचार-विमर्श इस आयोजन में किया जाएगा।

उद्घाटन सत्र के पश्चात् दो प्रमुख सत्र आयोजित हुए जिनमें विद्वान वार्ताकारों ने पेपर प्रस्तुत किए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव श्री अपूर्वा चन्द्र ने की। इस सत्र का विषय व्यावसायिक शिक्षा को फोकस करते हुए स्कूल शिक्षा दिया जाना था। इस सत्र में डॉ. सुगत मित्रा का प्रस्तुतिकरण उल्लेखनीय रहा जो भारत में कौशल दक्षता प्रशिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश पर आधारित था। यह उल्लेखनीय है कि डॉ. मित्रा एम.आई.टी. मीडिया लैब यू.एस.ए. (New Castle University) में प्रोफेसर हैं। अपने पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के पश्चात् अपने व्यक्तव्य में विद्यार्थियों में स्वयं संगठित-स्वप्रेरित अधिगम वातावरण की आवश्यकता जताई।

मध्यावकाश के पश्चात् व्यावसायिक कौशल तथा सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण विषय पर आधारित द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रो. एम.असलम कुलपति, इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने की। इस सत्र के प्रमुख वार्ताकार श्री शारदा प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (DGET) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार थे। उन्होंने व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान किए जाने के संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा का निरूपण किया। श्री प्रसाद ने भारत सरकार की उन पालिसीज को रेखांकित किया जो कौशल अभिवर्द्धन के लिए शिक्षा के साथ संचालित की जा रही है। इसी सत्र में मुम्बई के श्री जी. वज, परामर्शक टी.वी.ई.टी. ने भारत के नागरिकों में तकनीकी कौशल को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। आपने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे काम के दबाव का मुकाबला करने तथा आजीविका अर्जन के लिए व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट की।

इस अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में तीन दिन में किए जाने वाले कार्यों की अधिकता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य सभागार के साथ ही दो अन्य कक्षों में समान्तर सत्र संचालित कर उनमें प्रस्तुतिकरण किए गए। प्रथम दिन इन समान्तर सत्रों में बीस आधिकारिक पत्र प्रस्तुत किए गए।

दूसरे दिन की शुरुआत ही सूचना प्रौद्योगिकी के चमत्कार से हुई। इस आयोजन के एक पार्टनर कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की एज्यूकेशन स्पेशलिस्ट श्रीमती फ्रांसिस फेरेइरा कनाड़ा से भारत नहीं आ सकी थीं। इसलिए उन्होंने कनाड़ा से ही वीडियो पर सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने शैक्षिक संसार में वोकेशनल एज्यूकेशन जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सेमीनार का आयोजन करने के लिए भारत को बधाई दी। तकनीकी विकास हमारे दैनन्दिन जीवन को तीव्रता से प्रभावित कर रहा है, अतः हमें इसके अनुसार स्वयं को व्यवस्थित करना जरूरी है।

कनाड़ा से इस वीडियो सम्बोधन के उपरान्त श्री जगनंदा, सूचना आयुक्त, उड़ीसा की अध्यक्षता में स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम एवं दक्षता निर्धारण को मजबूती एवं प्रभावी बनाने (वोकेशनल एज्यूकेशन के परिप्रेक्ष्य में) विषय पर आयोजित सत्र में श्री दिलीप चेनाय, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.एस.डी.सी. तथा सुश्री बिलिण्डा स्मिथ, परामर्शक आस्ट्रेलिया ने इस विषय पर अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। श्री जगनंदा ने कहा कि गुणवत्तायुक्त वोकेशनल एज्यूकेशन सिर्फ ग्रामीण भारत से सम्भव हो सकती है अतः हमें गाँवों की आबोहवा एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। समान्तर सत्रों में 14 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतिकरण दो अलग कक्षों में आयोजित किए गए।

लंच के उपरान्त सुश्री लिज बावेन कलेवले (न्यूजीलैण्ड) तथा सुश्री मधु सिंह वरिष्ठ कार्यक्रम परामर्शक (यू.आई.एल. जर्मनी) ने प्रस्तुतिकरण किए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री जगमोहन सिंह राजू ने औपचारिक एवं अनौपचारिक अधिगम के बीच संस्थागत समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने भारत में Learning by Doing सिद्धान्त से सीखकर पारंगत हुए व्यक्तियों के कौशल को स्वीकृति प्रदान करने हेतु व्यवस्था करने को कहा जैसे कार चलाने वाले अधिकांश ड्राइवरों के पास भले ही औपचारिक सर्टिफिकेट न हो लेकिन उनके हुनर से इंकार नहीं कर सकते। अन्तिम सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में व्यावसायिक शिक्षा की निदेशक डॉ. अलका भार्गव ने नई व्यावसायिक शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्व के अनुभवों की खामियों को दुरुस्त करने की दृष्टि से बताया कि अब पृथक से कोई निदेशालय न गठित कर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में एक पृथक वोकेशनल एज्यूकेशन सेल बनाया गया है तथा अलग से वोकेशनल एज्यूकेशनल संकाय न संचालित कर विभिन्न अकादमिक विषयों के साथ इसका समन्वयन किया जा रहा है। अन्त में NVEQF (National Vocational Education Qualifications Framework) की क्रियान्विति के लिए माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित करने की रणनीति बनाए जाने के लिए पेनल डिस्कसन हुआ।

सम्मेलन के तीसरे और अन्तिम दिन 19 फरवरी 2012 को प्रातःकालीन सत्र में आस्ट्रेलिया की सुश्री मारिया पीटर्स और कनाड़ा के श्री शैलेन्द्र सिदूगत ने अपने पेपर प्रस्तुत किए जो कार्य के प्रमाण-पत्रीकरण की थीम पर आधारित थे। इस सत्र की अध्यक्षता मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति प्रो. मो. मियां ने की। समान्तर चले सत्रों में व्यावसायिक कौशल, विषयों का समन्वयीकरण, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम आदि महत्वपूर्ण विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए गए।

अपराह्न में माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण विषय आधारित समूह चर्चा के पश्चात् समापन सत्र आयोजित हुआ। समापन समारोह की मुख्य अतिथि डॉ. डी. पुरन्देश्वरी, राज्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार थीं। मंत्री महोदया ने अपने उद्बोधन में व्यावसायिक कुशलता को जीवन में सफलता के लिए आवश्यक बताया। आपने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय स्तर से ही पाठ्यक्रम संरचना इस प्रकार की जाए जिसमें बालक को शुरू से ही व्यावसायिक हुनर की शिक्षा अपने नियमित अध्ययन के समान्तर मिलती रहे। मंत्री महोदया ने राज्यों से पहल करते हुए व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में काम करने की अपील की। इस प्रकार अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की थीम पर आधारित यह तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

–ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ सम्पादक

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समारोह

❑ महावीर प्रसाद गर्ग

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2010 वितरण समारोह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षामंत्री माननीय बृजकिशोर जी शर्मा तथा अध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री माननीया नसीम अख्तर एवं विशिष्ट अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के पूर्व चेयरमैन श्री पी.सी. व्यास थे। अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

चयनित 74 विद्यालयों को पुरस्कार वितरित किये गये। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर चयनित किया गया। कार्यक्रम में कुल 21,10,000 रु. के पुरस्कारों के साथ प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः 50,000 रु., 40,000 रु., 25,000 रु. दिये जाते हैं। इसमें से 60% राशि शैक्षणिक स्तर सुधारने एवं सहायक शैक्षणिक सामग्री क्रय करने में व्यय की जाती है। शेष का 20% संस्थाप्रधान, 70% विषयाध्यापक एवं 10% मंत्रालयिक कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है।

माननीय शिक्षामंत्री जी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्था प्रधानों को बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रदान की तथा अपील की कि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाए। अपने उद्बोधन में उन्होंने शिक्षकों के गुणवान बनने पर भी प्रकाश डाला। राज्य में 'ड्राप-आउट' पर अंकुश लगाने पर बल दिया गया।

शिक्षा मंत्री महोदय ने राजस्थान बोर्ड में हो रहे नवाचारों, आवेदन-पत्र ऑन-लाइन करने तथा टैट परीक्षा के सफल संचालन हेतु मा.शि. बोर्ड अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। विशिष्ट अतिथि डॉ. पी.सी. व्यास ने बताया कि हमने शिक्षा की दौड़ में 10-12% उन्नति की है एवं अधिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हो रहे नवाचारों एवं गुणवत्ता शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता वाले नेतृत्व पर भी बल दिया।

बोर्ड अध्यक्ष सुभाष गर्ग ने बोर्ड की प्रगति तथा कर्मचारियों की समस्याओं से माननीय शिक्षामंत्री तथा राज्य मंत्री को अवगत कराया।

राज्य स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 40जीबी, श्रीगंगानगर तथा माध्यमिक विद्यालय चिताम्बा, भीलवाड़ा प्रथम रहे। प्रत्येक विद्यालय को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। उल्लेखनीय है कि रा.उ.मा.वि., 40जीबी, श्रीगंगानगर राज्य स्तर पर लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में पुरस्कृत हुआ।

बोर्ड ने 8 प्रकार की अन्य शील्डों का वितरण भी किया। इनमें श्री राधाकृष्ण अग्रवाल शील्ड, श्री खेत सिंह राठौड़ शील्ड, श्रीमती ककूबाई जोशी शील्ड, श्री रामलाल जोशी शील्ड, श्री कृपाशंकर प्रधान शील्ड, श्री एम.एम. वर्मा शील्ड, श्री वी.पी. जोशी शील्ड एवं श्री लक्ष्मीलाल जोशी शील्ड थीं।

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रवीण अरोड़ा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती सुदर्शन कुल्हार, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर ने किया।

–प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. झर, जयपुर

मण्डल एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत विद्यालय

मण्डल स्तर पर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के **सात-सात विद्यालयों** का चयन किया गया। प्रत्येक को 40,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। **सैकण्डरी स्तर पर** विद्यालय हैं– **जयपुर मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी जिला सीकर, **चूरू मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतमसर जिला झुंन्झुनूं, **जोधपुर मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनोई, जिला जैसलमेर, **कोटा मण्डल** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय छोटी महारानी, जिला कोटा, **अजमेर मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय ईग्यासनी जिला नागौर, **उदयपुर मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बदराणा जिला उदयपुर तथा **भरतपुर मण्डल** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय आलनपुर जिला सवाईमाधोपुर। **सीनियर सैकण्डरी स्तर पर** विद्यालय हैं **जयपुर मण्डल** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरानिया जिला सीकर, **चूरू मण्डल** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जान्दवा जिला चूरू, **जोधपुर मण्डल** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाघन जिला जैसलमेर, **कोटा मण्डल** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर जिला बूंदी, **अजमेर मण्डल** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुरडा जिला भीलवाड़ा, **उदयपुर मण्डल** में राजकीय देवेन्द्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर, **भरतपुर मण्डल** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया जिला धौलपुर।

जिला स्तर पर सैकण्डरी के जयपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंवरपुरा कोटपुतली, **सीकर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सबलपुरा, **अलवर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीलेटा, **चूरू** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौरीसर, **बीकानेर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलासर, **झुंझुनूं** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूमरा, **हनुमानगढ़** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीरकामडिया, **श्रीगंगानगर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी सूरतगढ़, **जोधपुर** में गोमा देवी गहलोत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी, **जैसलमेर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर, **जालौर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पादरली, **सिरोही** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मनोरा, **कोटा** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरपा, **बून्दी** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहण, **बारां** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाठेड़ा, **झालावाड़** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय समराई, **अजमेर** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लोहाखान, झालावाड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय समराई, अजमेर में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लोहाखान, **नागौर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय छाजौली, **भीलवाड़ा** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय आटूण, **टोंक** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय अविकानगर, **उदयपुर** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गरीबनगर मल्लातलाई उदयपुर, **चित्तौड़गढ़** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जावदा द्वितीय, **राजसमन्द** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कुरज, **डूंगरपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सकानी, **प्रतापगढ़** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज, **सवाईमाधोपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिडायच और **करौली** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय लांगरा के शाला प्रधान को पुरस्कृत किया गया।

जिला स्तर पर सीनियर सैकण्डरी के जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांकरी, **अलवर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमी, **सीकर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घस्सू माधोपुरा, **चूरू** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा, **झुंझुनूं** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुडाना, **हनुमानगढ़** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलूवाला, **श्रीगंगानगर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामकोट, **जोधपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालवाकलां, **जैसलमेर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़, **जालौर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांगरा, **सिरोही** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी एम, **बाड़मेर** में अन्तरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, **पाली** में राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, **कोटा** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा, **बूंदी** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देहित, **बारां** में बृजमोहन विजय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल, **झालावाड़** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, **अजमेर** में राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, **नागौर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा, **भीलवाड़ा** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर, **टोंक** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली, **उदयपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुवाणा, **चित्तौड़गढ़** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी सादड़ी, **बांसवाड़ा** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा, **राजसमन्द** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवारिया, **डूंगरपुर** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन नई बस्ती, **प्रतापगढ़** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद, **भरतपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेलक, **धौलपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव, **करौली** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा और **सवाईमाधोपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसरदा के शाला प्रधान को पुरस्कृत किया गया। जिला स्तर पर पुरस्कृत प्रत्येक शाला प्रधान को 25 हजार रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया।

बापू की सीख-10

शरीर-श्रम

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

शरीर-श्रम मनुष्यमात्र के लिए अनिवार्य होने की बात पहले-पहल टाल्स्टाय के एक निबंध से मेरी समझ में आई। इतने स्पष्ट रूप से इस बात को जानने के पहले, रस्किन का 'अन्टु दिस लास्ट' पढ़ने के बाद फौरन ही उस पर मैं अमल तो करने लगा था। शरीर-श्रम अंग्रेजी शब्द 'ब्रेड-लेबर' का शब्दशः अनुवाद है। 'ब्रेड-लेबर' का शब्दशः अनुवाद है 'रोटी (के लिए) श्रम'। रोटी के लिए हर आदमी का मजदूरी करना, हाथ-पैर हिलाना ईश्वरीय नियम है, यह मूल खोज टाल्स्टाय की नहीं, पर उसकी अपेक्षा विशेष अपरिचित रूसी लेखक बुर्नोह की है। टाल्स्टाय ने इसे प्रसिद्धि दी और अपनाया। इसकी झलक मेरी आँखें भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में पा रही हैं। यज्ञ किये बिना खाने वाला चोरी का अन्न खाता है, यह कठिन शाप अयज्ञ के लिए है। यहाँ यज्ञ का अर्थ शरीर-श्रम या रोटी-श्रम ही शोभा देता है और मेरे मतानुसार निकलता भी है। जो भी हो हमारे इस व्रत की यह उत्पत्ति है। बुद्धि भी इस वस्तु की ओर हमें ले जाती है। मजदूरी न करने वाले को खाने का क्या अधिकार हो सकता है? बाइबिल कहती है, 'अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमाना और खाना।' करोड़पति भी यदि अपने पलंग पर पड़ा रहे और मुँह में किसी के खाना डाल देने पर खाय तो बहुत दिनों तक न खा सकेगा। उसमें उसके लिए आनंद भी न रह जाएगा। इसलिए वह व्यायामादि करके भूख उत्पन्न करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-मुँह हिलाकर। तो फिर यह प्रश्न अपने आप उठता है कि यदि इस तरह किसी-न-किसी रूप में राजा-रंक सभी को अंग-संचालन करना ही पड़ता है तो रोटी पैदा करने की ही कसरत सब लोग क्यों न करें? किसान से हवा खाने या कसरत करने को कोई नहीं कहता है। और संसार के सैकड़े-नब्बे से भी अधिक मनुष्यों का निर्वाह खेती से होता है। शेष दस प्रतिशत मनुष्य इनका अनुकरण करें तो संसार में कितना सुख, कितनी शांति और कितना आरोग्य फैले? यदि खेती के साथ बुद्धि का मेल हो जाय तो खेती के काम की अनेक कठिनाइयाँ सहज में दूर हो जाएँ। इसके सिवा यदि शरीर-श्रम के इस निरपवाद नियम को सभी मानने लगें तो ऊँच-नीच का भेद दूर हो जाए। इस समय तो जहाँ उच्चता की गंध भी न थी वहाँ भी, अर्थात् वर्ण-व्यवस्था में भी घुस गई है। मालिक-मजदूर का भेद सर्वव्यापक हो गया है और गरीब अमीर से ईर्ष्या करने लगा है। यदि सब अपनी रोटी के लिए खुद मेहनत करे तो ऊँच-नीच का भेद दूर हो जाए और फिर जो धनी वर्ग रह जाएगा वह अपने को मालिक न मानकर उस धन का केवल रक्षक या ट्रस्टी मानेगा और उसका उपयोग मुख्यतः केवल लोक-सेवा के लिए करेगा। जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, उसके लिए तो शरीर-श्रम रामबाण रूप हो जाता है। यह श्रम, वास्तव में देखा जाय तो खेती ही है। पर आज की जो स्थिति है उसमें सब उसे नहीं कर सकते। इसलिए खेती का आदर्श ध्यान में रखकर, आदमी एवज में दूसरा श्रम जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी इत्यादि कर सकता है। सबको अपना-अपना सफाईकर्मी तो होना ही चाहिए। जो खाता है उसे मल-त्याग तो करना ही पड़ता है। मल-त्याग करने वाले का ही अपने मल को गाड़ना सबसे अच्छी बात है। यह न हो सके तो समस्त परिवार मिलकर अपना कर्तव्य पालन करे। मुझे तो वर्षों से ऐसा मालूम होता रहा कि जहाँ सफाईकर्मी का अलग धंधा माना गया है वहाँ कोई महादोष घुस गया है। इसका इतिहास हमारे पास नहीं है कि इस आवश्यक आरोग्य-रक्षक कार्य को किसने पहले नीचातिनीच ठहराया। ठहराने वाले ने हम पर उपकार तो नहीं ही किया। हम सभी सफाईकर्मी हैं यह भावना हमारे दिल में बचपन से दृढ़ हो जानी चाहिए और इसे करने का सहज-से-सहज उपाय यह है कि जो समझे हों वे शरीर-श्रम का आरम्भ पाखाना साफ करने से करें। जो ज्ञानपूर्वक ऐसा करेगा वह उसी क्षण से धर्म को भिन्न और सच्चे रूप में समझने लगेगा। बालक, वृद्ध और रोग से अपंग बने हुए यदि परिश्रम न करें तो उसे कोई अपवाद न माने। बालक का समावेश माता में हो जाता है। यदि प्राकृतिक नियम भंग न हो तो बूढ़े अपंग न होंगे और रोग के होने की तो बात ही क्या है?

('मंगल-प्रभात' से)

फार्म नं. 4

शिविरा पत्रिका के स्वामित्व और अन्य विवरण, जो केन्द्रीय धारा 1956 के अन्तर्गत समाचार-पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रकाशित करने आवश्यक हैं-

1. प्रकाशन संस्थान : माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. प्रकाशन अवधि : मासिक
3. मुद्रक : आलोक गुप्ता
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर
4. प्रकाशक : आलोक गुप्ता
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर
5. सम्पादक : आलोक गुप्ता
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर
6. पत्र के स्वामी : आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर

मैं आलोक गुप्ता, घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में एवं विश्वास के साथ सत्य और वास्तविकता पर आधारित है।

(आलोक गुप्ता)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

झोला पुस्तकालय-8

पुराना पड़ चुका इल्म

❑ शिवरतन थानवी

आजकल भारत सरकार ने रघुवीरी हिन्दी छोड़कर हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों के घालमेल को (जरूरी हो वहाँ) मंजूरी दे दी है। इस पर जो बहस हो रही है उस पर आप ध्यान रखें तो आपका बौद्धिक स्तर ऊँचा उठेगा। आप में से कुछ इस राय के हो जाएँगे कि भारत सरकार ने यह निर्णय सही लिया है, कठिन शब्दों के अर्थ कहाँ-कहाँ ढूँढ़ते फिरें? अंग्रेजी शब्द जो रोज सुनते हैं सीधे-सीधे वही लिखने लगेंगे तो फौरन समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ आप में से कुछ की राय यह बनेगी कि भाषा में कठिन क्या और सरल क्या, प्रयोग करोगे तो कठिन से कठिन शब्द जबान पर चढ़ जाएगा। यह बहस बहुत रोचक है। इस पर जहाँ भी हम कुछ देखें उसे पूरे ध्यान से हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हमें ज्ञान होगा कि क्या-क्या दलीलें किस-किस तरफ से दी जा सकती हैं। यह केवल भाषा शिक्षक का ही कर्तव्य नहीं है कि इस बहस को पढ़ें और समझें बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले हर शिक्षक को पढ़ाने वाले मामूली हैसियत के कई तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने भी अखबारों में आई पूरी की पूरी संविधान शब्दावली अपनी कापी में लिख डाली थी। जब तृतीय श्रेणी वालों में इतनी तीव्र जिज्ञासा थी तो उनसे भी ऊँचे स्तर के शिक्षकों व शिक्षाधिकारियों ने भी यही कसरत जरूर की होगी। जो अपने ज्ञान के स्तर को उठाना चाहते हैं वे ऐसा ही करते हैं। नए ज्ञान का पदार्पण होता जहाँ भी देखते हैं उसे लपक लेने को उत्सुक हो उठते हैं।

यों जो होता है उसे कहते हैं अपने आपको अपडेट करना। यह करने को हमें कोई कहता नहीं है। हममें रुचि है तो हम स्वयमेव ऐसा करते हैं। अपने स्तर को ऊँचा उठाते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें प्रेरित करने को विभाग तरह-तरह के सेमिनार, संगोष्ठियाँ और प्रशिक्षण करता है।

आम शिक्षक जब यों प्रयत्नशील रहे तो वह खास शिक्षक हो जाता है। हम आम हैं लेकिन चाहें तो हम खास भी बन सकते हैं। हमारी मर्जी हो तो मर्जी के मालिक तो हम ही रहेंगे। किसी के दबाव में ऐसा करेंगे तो उसमें वह आनंद नहीं रहेगा, वह गुणवत्ता भी नहीं रहेगी जो स्वेच्छा से किए गए अपडेट के कार्य में संभव है।

टैट (TET-Teacher Eligibility Test) परीक्षाओं की कल्पना इसीलिए की गई है कि हम अपडेट रहें। अपडेट का मतलब है जागते रहें, सोएं नहीं। एक बार बी.ए.-एम.ए. कर लिया या बी.एड.-एम.एड. कर लिया और सो गए। जान लिया जितना जानना था, अब क्या जानना है? जो पाठ एक बार पढ़ाया है वही तो हर साल पढ़ाना है, बार-बार पढ़ाना है। यह जड़ता की प्रवृत्ति प्रायः अधिकतर शिक्षकों में आ जाया करती है, उसे रोकना है। रोकने का इशारा अभी तो टैट के आयोजन से हुआ है, आगे अभी और कई आयोजन होंगे। विभाग और ऊँचे-ऊँचे शिक्षण संस्थान, ज्यों-ज्यों विचार करेंगे शिक्षकों को अपडेट रहने को उत्प्रेरित करने पर, त्यों-त्यों नए-नए कार्यक्रम बनेंगे हमारे सतत अपडेटीकरण में सहायता करने के लिए।

अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अब डॉक्टरों को भी होना पड़ेगा अपडेट। अब तक तो दवाइयों के एजेंट आ-आ कर अपनी-अपनी दवाइयों से इन्हें अपडेट किया करते थे और कोई साधन या कार्यक्रम नहीं था उन्हें अपडेट होने का। स्वेच्छा से तो वे कोई मेडिकल पत्रिका भी नहीं पढ़ते थे। अब उन्हें उनके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते बदलाव के प्रति भी अपडेट रहना होगा, ऐसा विचार हो गया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का। डॉक्टरों के पांच वर्षीय रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए अधिकृत सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम (सी.एम.ई.) के प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता लागू करने की बात चल रही है। इसके अनुसार रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए पचास घंटे की सी.एम.ई. के प्रमाण पत्र लगाने पड़ सकते हैं। विश्व के कई देशों में यह बाध्यता लागू है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने प्रदेश में पहली बार डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों सम्पन्न हुई इंडो-केनेडियन सी.एम.ई. को छह घंटे के लिए अधिकृत किया है। इसमें भाग लेने वाले सभी डॉक्टरों को इसका अधिकृत प्रमाण-पत्र दिया गया है। सी.एम.ई के माध्यम से डॉक्टर चिकित्सा जगत के नए-नए ज्ञान से रू ब रू हो सकेंगे। सी.एम.ई. को सम्बोधित करने वाले विशेषज्ञों से नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। इस तरीके से पाँच वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों में आयोजित होने वाले सी.एम.ई. में भाग लेकर प्रमाण-पत्र एकत्र करने होंगे।

शिक्षण कार्य की चिकित्सा कार्य से तुलना कुछ ही अंशों में हो सकती है, अधिक नहीं। लेकिन चिकित्साकर्मियों के ज्ञान को अपडेट करने वाला निर्णय शिक्षाकर्मियों को जगाए बिना नहीं रहेगा। सतत शब्द पर ध्यान दीजिए। हर पाँच वर्ष बाद वे रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करने की बात कर रहे हैं। सीधे-सीधे उनका अनुसरण करें तो हमारा बी.एड. या एसटीसी भी हर पाँच वर्ष बाद नवीनीकरण कराना होगा। देखें हमारे रहनुमा विद्वान प्रशिक्षक व प्रबंधक क्या विचार करते हैं किन्तु हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना उपयुक्त रहेगा। कौन जाने हमारे सुचिंतित सुझाव पर हमारे विद्वान प्रशिक्षक व प्रबंधक ध्यान दे दें।

हमें ज्ञात है कि हमने शिक्षकों को शिक्षा

प्रणाली में पारंगत बनाने के उद्देश्य से शि.प्र. विद्यालयों की स्थापना कर दी है, कि हमने पत्राचार से प्रशिक्षण का भी कोटा विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के पत्राचार कार्यक्रमों द्वारा घर बैठे शिक्षक-प्रशिक्षण का प्रबंध कर दिया है, कि हमने शिक्षण प्रणालियों पर लगातार चिंतन-मनन व अध्ययन-अनुसंधान द्वारा परिष्कार के लिए केन्द्र में एनसीईआरटी तथा राज्यों में एससीईआरटी (या राजस्थान में एसआईईआरटी) कायम कर दी है जो कई प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार करती रहती है। यह सब तो है किन्तु यह सब कितना कहाँ क्या परिवर्तन माँगता है यह भी तो कभी विचार करना चाहिए।

आइये, इस पर विचार से पहले हम इस दिशा में खड़ी एक बड़ी कठिनाई पर भी नजर डाल लें। कठिनाई यह है कि ज्ञान कैसा, कितना, कब का? पल-पल में परिवर्तन हो रहा है, कितना दौड़े शिक्षक इन नए परिवर्तनों के साथ? मायूस होने की जरूरत नहीं है, सोचेंगे हम भी कोई उपयोगी दिशा के अनुसंधान की बात, लेकिन एक इस आवाज को भी सुन लें जो वाराणसी की उर्दू पत्रिका 'नई सदी' के पन्नों से आ रही है जिसके संपादक हैं श्री रौशनलाल रौशन। शायद यह उन्हीं की आवाज है जो उनकी पत्रिका के हाल के दसवें अंक में शाया हुई है। सुनिए–

'... तो जनाब बात हो रही थी, हमारी युनिवर्सिटियाँ और तालीम के निजाम के हवाले से। तो अर्ज़ है कि तालीम की ईजाद की इसलिए की गई थी कि पुरानी पीढ़ी अपनी जरूरी जानकारियों का नई पीढ़ी तक मुन्तकिल कर दे। शुरू के दिनों में इसका बुन्यादी मक्सद यही था, अब भी किसी हद तक यही है। बाप ने जो जाना है, वो अपने बेटे को देना चाहता है। फिर दुश्वारी ये हुई कि जानकारियाँ इस कदर बढ़ गईं कि बाप इस काम को खुद नहीं कर सकता था, नहीं तो वो इस काम के अलावा जिंदगी में दूसरा कोई काम न कर सके, तो फिर दरमियान में नौकर रखे गए कि भई, तुम ही इसको जानकारी दे दो। इन्हीं मुलाजिमों को हम आज उस्ताद कहते हैं, बल्कि पेशेवर उस्ताद कहा जाए तो ज्यादा दुरुस्त है।

'अब अस्ल मुद्दए की तरफ लौटो और जरा पकड़ो इस सिरे को, इसी में पूरा राज छिपा है निजामे-तालीम का। उस्ताद मुलाज़िम है बाप का, बेटे को जानकारी देने के लिए ट्रेंड करने के लिए। ख्याल रखना, उस्ताद लड़के का मुलाज़िम नहीं है, बल्कि बाप का मुलाज़िम है, इसलिए जो बात बाप के हक में ज्यादा दुरुस्त है, वही बेटे को सिखाई जाती है। बाप तय करता है कि बेटा क्या सीखेगा। यही वजह है कि रूस में कुछ सिखाया जाता है तालिबे-इल्म को, अरब में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, हिन्दुस्तान में कुछ और। लेकिन इसके बरअक्स मौजूद में जो कुछ पेश आता है बेटे के सामने जरूरी नहीं कि वो बाप के हक़ में हो, वो बेटे के हक़ में ज्यादा मुफीद हो सकता है।

'ख़लील जिब्रान ने एक बड़े पते की बात कही थी कि अपने बच्चों को मुहब्बत देना, आजादी देना, मगर अपना इल्म हरगिज़ मत देना, क्योंकि तुम्हारा इल्म उसके लिए पुराना पड़ चुका होगा। बच्चे नए हालात से दो-चार होंगे, इसलिए तुम्हारा इल्म उनके लिए कार-आमद नहीं होगा। वजह यह है आज से तीन हजार साल पहले, दो हजार साल पहले, बाप और बेटे की जानकारी में कोई फर्क नहीं होता था, इसलिए तालीम का निजाम बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन फिर इल्म का जखीरा बढ़ा तो बाप के लिए मुश्किल हो गई, लिहाज़ा बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल कायम कर दिए गए।

'इस लिहाज से निज़ामे-तालीम की बड़ी अहमियत थी माज़ी में, लेकिन अब धीरे-धीरे उसकी अहमियत पूरी तरह खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि अब हमारी यूनीवर्सिटियों की तालीम हमारे लिए रहनुमा कम, गुमराहकुन ज़्यादा होती जा रही है। वज्ह ये है कि रोज नए हादसे, रोज नए मस्हले हमारे सामने नए तरीक़े से नुमूदार होते हैं। इल्म इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि उसे पकड़ पाना, संभाल पाना, मुहाल है। आप देख ही रहे हैं कि पिछले पाँच हजार बरस में जितना इल्म इंसानी नस्ल ने सीखा था या हासिल किया था, उतना तो पिछले पचास बरस में हमने जान लिया और जितना पचास बरस में लोगों ने जाना, उतना पिछले पाँच बरस में नई नस्ल ने हासिल कर लिया और अब मुम्किन है उतना इल्म पाँच माह में ही जान लिया जाए.... इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तालीम का निजाम भी रफ़्ता-रफ़्ता बेमानी साबित हो रहा है। भविष्य में मुम्किन है, पेशेवर उस्ताद, युनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेज से पूरी तरह रुख्सत हो जाएँ। उनकी जगह कम्प्यूटर होंगे, क्योंकि आदमी को सीखने और सिखाने में बहुत वक़्त लगता है...। ('शेष' जोधपुर जन. मार्च 2012 से उद्धृत)

यह कठिनाई आपने सुन ली। हकीकत है यह भी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आज जो साधारण सा सामान्य शिक्षक है वह यदि आलसी नहीं है तो अपने ज्ञान के स्तर को जरूर उठाना चाहेगा। जरूर वह आम से खास बनना चाहेगा। प्रगति इसी को कहते हैं।

प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह के पिछले दिनों हुए निधन के प्रसंग में उनकी गायन शैली का विवेचन करते हुए वागर्थ में श्री प्रमोद शाह कहते हैं कि जगजीत सिंह ने आम और खास दोनों के लिए गाया। लेकिन वे पूछते हैं कि यह आम और खास है क्या बला? और फिर खुद ही उत्तर देते हैं– 'आम श्रोता वह होता है, जो अपनी समझ का विकास करने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करता... खास श्रोता वह होता है जो गायक के साथ-साथ खुद भी मेहनत करता है। वह गंभीर शाइरी पढ़ता है, चर्चा करता है, उस पर चिंतन करता है। आवश्यक होने पर शब्द-कोश भी देखता है, विद्वानों की संगत करता है, उस पर चिंतन करता है। एक तड़प रखता है।' ('वागर्थ' कलकत्ता, जनवरी 2012)

देखा आपने, एक गायक का संगीत सुनने समझने के लिए कितनी आवश्यकताओं की अपेक्षा की है प्रमोद शाह ने। अपने विद्यार्थी को भी ठीक से समझने के लिए हमें भी कम तैयारी नहीं करनी है। इसके लिए हमसे भी कितनी ही

तैयारियों की अपेक्षा हो सकती है, होना बुरा भी नहीं। हम सब जानते हैं यह। हम भी हमारे विषय का गंभीर अध्ययन करें, अपनी समझ का विकास करें, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करें। हम पढ़ें, चर्चा करें, विद्वानों की संगत करें, शिक्षा और शिक्षण सम्बन्धी ग्रंथों का अध्ययन करें और चिंतन भी करें। एक तड़प रखें।

यह सब एक बार एसटीसी या बी.एड./एम.एड. कर लेने से सम्पन्न नहीं हो जाता है। हो भी नहीं सकता है। और मैं तो यह कहूँगा कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण ही बंद कर दिया जाना चाहिए। सेवारत समय में ही अपडेट होते रहने के लिए कोई सतत शिक्षण-प्रशिक्षण के छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की हमें नई परम्परा डालनी है। उन छोटे-मोटे प्रमाण-पत्रों पर भी क्या और कितने सांकेतिक भौतिक या वित्तीय उत्प्रेरक किस रूप में दिए जाएँ यह भी हम सोचेंगे। फिर कभी।

आज तो इतना ही है कि हमें प्रशिक्षण संस्थानों की, एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी (एसआईईआरटी) की कायापलट करनी है। इनके तौर तरीके बदलने हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'अपडेट' का संकेत दिया है उसे ध्यान में रखकर हमें हमारी कार्यपद्धति का नवीनीकरण करना है। पुराने पड़ चुके इल्म का रूप परिवर्तन करना है। वहाँ रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होगा, हमारे यहाँ हम सेवापूर्व प्रशिक्षण डिग्रियाँ रखेंगे ही नहीं। यह एक क्रांतिकारी कदम हमें उठाना है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों व डिग्रियों की आवश्यकता समाप्त कर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नए-नए रूप स्थापित कर शिक्षक को सतत जागरूक रहकर 'अपडेट' होते रहने में मदद कैसे करें इस पर विचार करना है। विस्तार से। फिर कभी।

एक वानप्रस्थी शिक्षक– अंत में एक कहानी पाक्षिक पत्रिका 'तहलका' (एम-76, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048) से जहाँ मैंने पढ़ा कि मुम्बई में वित्तीय सलाहकार का काम करते श्री गोपाल कृष्ण स्वामी ने सेवा-निवृत्त हुए तो 1995 में अपना सब कुछ बेचकर सिर्फ दो सूटकेसों के साथ शांति की तलाश में उत्तराखंड का रुख किया। साथ में थी उनकी पत्नी चेन्नी। दोनों ने डेरा डाला मसूरी की तलहटी में बसे एक गांव पुरुकुल में। पता चला कि हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले गांव के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाने पर भाषा की समस्या आती है तो उन्होंने बच्चों को अपने ही घर पर अंग्रेजी और गणित पढ़ाना शुरू कर दिया। इस सांध्य स्कूल में पहले चार बच्चे थे। आज 240 बच्चे हैं। नौवीं तक पढ़ाई है। बारहवीं तक भी जल्दी ही कर देने की योजना है। भोजन और ड्रेस मुफ्त। समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी। स्वामी गोपालकृष्ण के स्कूल में आने वाले बच्चों में से कई आज जीवन में काफी आगे बढ़ गए हैं। संस्था का नाम रखा है 'पुरुकुल यूथ डेवलपमेंट सोसायटी'।

स्वामी की पत्नी ने 'पुरुकुल स्त्री शक्ति समिति' शुरू कर दी। माताओं को गांव में ही रोजगार मिले यह इसका उद्देश्य है। यहाँ महिलाओं को हाथ के काम वाली खूबसूरत रजाइयाँ बनाना सिखाया जाता है। हर महिला इससे प्रतिमाह 3 से 5 हजार रुपये तक की कमाई कर लेती है। उनके छोटे बच्चों के लिए श्रीमती चेन्नी ने 'शिशु शक्ति' नाम का एक 'पालना स्कूल' भी खोल दिया है। माताएँ आएँ तो बच्चे कहाँ रहें? उनकी भी शिक्षा व लालन-पालन का प्रबंध इस 'पालना स्कूल' में हो जाता है। अभी 45 बच्चे अपनी माताओं के साथ इस स्कूल में आते हैं। स्वामी दंपत्ति ने इन नन्हें नौनिहालों का भी पूरा ध्यान रखा है।

इन तीनों संस्थाओं के लिए धन व्यक्तिगत दान से इकट्ठा होता है। प्रधानाचार्या इंद्राजी लहरी बताती हैं– कई बार लगता है कि अगले महीने हम अध्यापकों का वेतन भी दे पाएँगे या नहीं।

काश, जीवन भर सफलतापूर्वक काम-धंधा कर चुके हर पेशेवर लोग इसी तरह अपने जीवन के वानप्रस्थाश्रम का समय देश के किसी एक गांव में इस तरह का कोई गुरुकुल बनाने में लगाते !

–मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301

शिविरा के स्वाध्याय विशेषांक मई-जून 2012 हेतु रचनाएँ आमंत्रित

भारत की वैदिक परम्परा में मनुष्य के लिए प्रमुखता से निम्न शिक्षाएँ बताई गई हैं– (i) सत्यं वद – सच बोलो। (ii) धर्मं चर – धर्म का पालन करो। (iii) स्वाध्यायान्मा प्रमदः – स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। इस प्रकार वेदों एवं नीतिशास्त्रों में स्वाध्याय का महत्त्व बताते हुए सतत स्वाध्याय करने को कहा गया है। स्वाध्याय का अर्थ यहाँ पढ़ने और गुनने अर्थात् अपने भीतर में देखते रहने से भी है। अध्ययन से चिन्तन होता है तथा चिन्तन-मनन से मनमस्तिष्क को गहराई मिलती है।

स्वाध्याय के महत्त्व को ध्यान में रखकर शिविरा पत्रिका के माह **मई-जून, 2012 के संयुक्तांक को स्वाध्याय विशेषांक के रूप में प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है।** शिविरा के सम्माननीय लेखकों एवं सुधि पाठकों से निवेदन है कि वे स्वाध्याय के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए अपने आलेख एवं संस्मरण, संक्षिप्त परिचय मय फोटो हमें भिजवाएँ। हमारा विनम्र भाव यह है कि शिविरा के स्वाध्याय विशेषांक को पढ़कर हमारे विद्वान शिक्षकों में अध्ययन एवं चिन्तन के प्रति जिज्ञासा पैदा हो। यह संदेश मई-जून में दिए जाने के पीछे भी सोच यह है कि मई-जून में ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षक स्वाध्याय यज्ञ कर सकें।

इस विशेषांक में शिविरा विचारमंच का विषय **स्वाध्याय की ताकत और व्यावसायिक निपुणता** रहेगा। इस विषय पर लगभग 500 शब्दों में अपने अनुभवजन्य विचार मय फोटो भिजवा सकते हैं।

कृपया स्वाध्याय विशेषांक के लिए आलेख/संस्मरण/अनुभव/विचार आदि 31 मार्च 2012 तक अवश्य भिजवा दें। हमारा पता है– **वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334011**

–वरिष्ठ सम्पादक

शिक्षा तब और अब

❑ रघुवर दयाल सिंहल

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने समय-समय पर इसे नई दिशा देने की आवाज उठाई है और जिस वर्तमान दशा पर शिक्षा आ पहुँची है उसकी प्राचीन दशा से तुलना करते हुए विश्लेषण करें कि हमने क्या खोया और क्या पा लिया है।

अति प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल पद्धति थी। इसमें गुरुगृह में रहकर शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा दीक्षा पूरी होने के पश्चात् उनसे गुरु दक्षिणा लेने का अनुरोध करते थे। तब शिक्षा व्यवसाय नहीं थी। अब शिक्षा का ऐसा व्यावसायीकरण हो गया है कि कोई गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकता।

ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रारम्भिक कक्षाओं में तख्तियों पर वर्णमाला, गिनती, पहाड़े लिखवाए जाते थे। सरकंडों की कलम, खड़िया बुदकों में डालकर लिखा जाता था। बच्चे अपनी तख्तियों को गेरू या हिरमिच से रंगकर गीत गा-गाकर सुखाते– *'सूख सूख पट्टी चंदन घट्टी/ राजा आयो महल चिनायो/महल के ऊपर झंडा गाढ़ो/झंडा फहरो पट्टी सूखी।'*

इसके बाद तख्ती पर घोटा फेरकर उसे चमकाया जाता और सुन्दर लिखने की कोशिश कराई जाती थी।

अब तख्तियाँ गायब हैं। स्लेट पेंसिलें भी शायद ही कहीं काम में ली जाती हैं। पाठक स्वयं यह विश्लेषण करें कि पर्यावरण की दृष्टि से, हस्त लेख सुंदर रखने की दृष्टि से हमारी उक्त तबदीली घाटे का सौदा है या लाभ का?

पहले मातृभाषा पर ज्यादा जोर था। मैं जब तीसरी कक्षा में आया तब जाकर अंगरेजी या उर्दू में से कोई एक वैकल्पिक भाषा चुनने को कहा गया उससे पहले नहीं। तब तक तो हिन्दी ही पढ़ी। आज यह सत्य वृत्तांत मैंने देखा है कि जब एक अंगरेजी माध्यम के नवीं कक्षा के छात्र को कोई व्यक्ति टेलीफून नम्बर हिन्दी के अंकों में बोलकर लिखा रहा था तो वह बीच-बीच में

यह पूछ रहा था कि वह अंक अंगरेजी में कितना था।

पहले पहाड़े, बारहखड़ी अनिवार्य रूप से शुरू की कक्षाओं में बार-बार ड्रिल कराकर पढ़ाए जाते थे और हिसाब लगाना आसान बना दिया जाता था अब तो अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे कैलकुलेटर पर हिसाब लगाते दिखेंगे। पाठक स्वयं फैसला कर लें कि शिक्षार्थी को परिवर्तन से क्या मिला क्या नहीं। अंगरेजी टेबिल भारत के संदर्भ में पहाड़ों की तुलना में व्यावसायिक जरूरतों की पूर्ति में आगे है या पीछे?

पहले पाँच वर्ष से कम आयु के बालकों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके पीछे यह उद्देश्य था कि बालक का उक्त अवधि में अपनी माँ की दुलार भरी सीखों में शारीरिक, मानसिक विकास हो और अच्छी आदतें उसकी दिनचर्या का अंग बनें। बचपन का जो खेलकूद का आनन्द जीवन में मात्र एक बार ही मिलता है उसे उससे नहीं छीना जाए और अपने साथियों, हमजोलियों के साथ खेलकूद कर आनन्द के साथ-साथ वह सामाजिक गुणों को भी जैसे टीम भावना, मेल-मिलाप, परस्पर सहयोग आदि सीख सके।

और अब मात्र लगभग तीन वर्ष की आयु में ही अति महत्त्वाकांक्षी अभिभावक बालकों को अनजान शिक्षक-शिक्षिकाओं के कठोर अनुशासन में धकेल कर उनकी स्वाभाविक मुसकान को तनाव में बदल रहे हैं।

पहले शारीरिक दण्ड इतना त्याज्य नहीं था जितना अब है। अब तो यह अवैध है। यह इस दृष्टि से तो स्वागत योग्य है कि अब निजी स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करने वालों की दाल नहीं गलती परन्तु जब रैगिंग, अन्य उच्छृंखलताएँ स्वयं छात्रों की ही मुसीबत बन जाती है तब क्या किया जाए यह छात्र स्वयं ही सुझाएँ कि क्या वैकल्पिक रास्ता अपनाना उचित रहेगा।

पहले विद्यालयों का गणवेश भारतीय वेशभूषा या जिसका मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव देशप्रेम बढ़ाने में सहायक था। चारित्रिक विशेषताएँ स्काउटिंग, अन्य कई विधाओं द्वारा विकसित की जाती थीं। जब मैं सातवीं कक्षा में था तो मेरे कक्षाध्यापक जी ने मुझे चरित्र में सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार दिलाना प्रस्तावित किया। इस प्रतियोगिता में एक अन्य छात्र और था। उसकी वकालत करने वाले ने एक युक्ति सोची। मैंने गणित का टैस्ट दिया था और उसमें मेरे प्राप्तांक काफी अच्छे थे। मेरी उत्तर पुस्तिका के अंक जब सुनाए गए तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए मात्र दो अंक प्राप्तांक सुना दिए गए। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया और मैंने गुस्से में काफी को इतना ऊँचा उछाल दिया कि वह हॉल की सीलिंग से जा टकराई और परिणामस्वरूप मुझे उक्त चरित्र-पुरस्कार से हाथ धोना पड़ा।

यह तो मानना पड़ेगा कि हम तकनीकी ज्ञान में बहुत आगे बढ़े हैं पर इसके इस दूसरे पक्ष को भी तो नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि जो तकनीकी ज्ञान मानवीय मूल्यों, नैतिकता की धज्जियाँ उड़ा दे वह किस काम का?

–795, बरकत नगर, जयपुर-302015

जरा, बच्चे की सुनिए !

❑ महेश कुमार चतुर्वेदी

जी हाँ, बच्चों के भी ज़जबात होते हैं। उनकी भी कुछ भावनाएँ होती हैं। उनका भी कुछ वजूद होता है। अस्तित्व होता है। आवेग और संवेग से भलीभाँति परिचय होता है। कौन प्रिय है और कौन अप्रिय यह समझने की शक्ति उसे बचपन में ही आ जाती है। वह तुतलाती बोली में बहुत कुछ करना चाहता है। जो बच्चा घर पर बोल-बोल कर सारा घर सिर पर उठा लेता है। उसी बच्चे का स्कूल में आते ही मुँह पर ताला लग जाता है। उसके कुछ बोलने पर लगाम लगा दी जाती है। यह करो, वह मत करो, चुपचाप बैठे रहो। शोर मत करो। बदमाश कहीं का। ज्यादा बदमाशी की तो पिटाई हो जाएगी। इन बातों से बच्चे के मस्तिष्क पर विपरीत असर पड़ता है। वह कुंठित हो जाता है। जहाँ बंदीशे ही बंदीशे हो, पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हो। ऐसे घुटन भरे माहौल से बच्चा छुटकारा चाहता है। वह स्कूल आने में कतराता है। एक अनजाना सा भय उसके मन में पैदा हो जाता है। स्थिति पैदा होती है निराशा, कुंठा और घुटन की। बच्चे का किसी पर वश नहीं चलता। घर वाले जबरन उसे स्कूल भेजते हैं और स्कूल में जो वह चाहता है उसे नहीं मिलता। डाँट, फटकार और उलाहने के सिवाय भी तो कुछ नहीं मिलता उसे। ऐसी स्थिति या तो उसके पलायन की स्थिति बनती है या उसके शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण। कौन है इसका जिम्मेदार? बच्चा - अभिभावक या स्वयं शिक्षक। जरा अपने अन्तर्मन को टटोल कर तो देखो। कहीं ये सब बातें आप पर तो लागू नहीं होती? क्या आप ऐसा कर अपने आप को दोषी नहीं मानते। जरूर मानते परन्तु आपने इस विषय पर कभी चिंतन-मनन किया ही नहीं।

अपने ही घर के परिदृश्य में चलिए– देखिए अपने नाते-नाती, पोते-पोतियों और अपने लाड़ले-लाड़लियों को। कितना चाहते हैं आप उनको। उनसे ढेर सारी बातें करने में आपका मन नहीं अघाता। ढेर सारी टॉफियाँ, खिलौने और बिस्किट-गुब्बारे का ढेर लगा देते हैं उनके सामने। इनमें और स्कूल आने वाले बच्चों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में इतना अंतर क्यों? दोनों के बीच में एक दीवार है। वह है आपका अहम। यह अहम ही आपमें और स्कूली बच्चों में दूरियाँ पैदा करता है।

अपने बच्चों की तरह क्या आपने कभी स्कूली बच्चों से प्रेम से बातें की है? नहीं। क्या आपने कभी उसके विश्वास को जीतने का प्रयास किया है ? नहीं। क्या आपने उसे अपनत्व दिया है? नहीं। क्या आपने उसे कभी चाकलेट - टॉफी - बिस्किट आदि दिए हैं या नहीं। तो फिर आपने उसे क्या दिया। सिर्फ - आदेश। सिर्फ - उपदेश। सिर्फ भय।

यह सच है तो सही मायने में आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने-पढ़ाने और सीखने-सिखाने की बात तो कोसों दूर हम उनमें अच्छी आदतों का निर्माण भी नहीं कराते। बच्चा गाली दे रहा है। हमने उसे थप्पड़ लगा दी और हो गई, इतिश्री। बच्चा-सिगरेट-तम्बाकू और गुटखे का सेवन कर रहा है। हमने उसे लम्बा-चौड़ा भाषण सुना दिया। बच्चे झगड़ रहे हैं। शिकायत आने पर बिना जाँचे-परखे दोनों के दो-दो-डण्डे लगा दिए। बस हो गया न्याय। बच्चा आपको न्यायाधीश मान आपके पास आया है और आपने दोनों को अपराधी करार देकर दोनों को दण्डित कर दिया। बिना किसी गवाह और बिना किसी सबूत के। किसने दिया आपको यह अधिकार? सावधान अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत अब आपका यह अधिकार आपसे छीना जा चुका है।

बच्चे की गलती, उसकी कमी या उसकी कमजोरी पर उसे दण्डित मत कीजिए। बल्कि उसकी स्थिति का सही-सही अवलोकन कर उसे बार-बार सुधरने का अवसर दीजिए। उसे प्रोत्साहित कीजिए। उसके परिवार की उसके माता-पिता के व्यवसाय की, खेत-खलिहान, पास-पड़ौस की। परिवार और स्कूल में उसकी क्या समस्याएँ हैं। सुनिए और उसका निदान कीजिए। बालक निश्छल भाव से सारी बातें आपको बता देगा। आप उससे जुड़े। आप उससे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कीजिए। फिर देखेंगे बच्चा आपसे कितना प्रभावित हुआ है। दायरे और सीमाएँ घटी है। अपनत्व और निकटता को बढ़ावा मिला है। आपसी अपनत्व से एक लगाव सा भाव पैदा होता है। और ऐसी परिस्थितियों में आप धीरे-धीरे बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। अवसर आने पर उसके शिक्षण-बिन्दुओं पर सामान्य चर्चा कर उसे सीखने और सिखाने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यही तो है गतिविधि आधारित शिक्षण। जिसे नवीन मूल्यांकन पद्धति में परीक्षा के भय को हटाकर वर्ष-पर्यन्त सतत गतिविधि आधारित मूल्यांकन से उसको प्रगति दी जानी है। उसे आगे बढ़ाया जाना है।

बालकों में सृजनशीलता के गुण होते हैं। आवश्यकता है उन गुणों को उकेरने की। उसे क्रियाशील बनाने की। यह सब कब होगा। जब आप स्वयं क्रियाशील होंगे। पहल आपको करनी होगी। करके देखिए तो सही।

किसी ने सच ही कहा कि विद्यालय में बालक के प्रवेश के प्रथम दिन उसकी माँ अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप कर बिना मुड़े, बिना देखे चली जाती है। बालक रो रहा है, बिलख रहा है किन्तु उसकी माँ पलट कर भी उसकी तरफ नहीं देखती। वह अपने दिल पर पत्थर रख इस आशा के साथ बच्चा आपको सौंपती है कि आप उसे शिक्षित करेंगे, सुसंस्कृत करेंगे। भावी-जीवन के लिए उसे सुयोग्य नागरिक बनाएँगे। आप बच्चे की माँ की आशा पर कितने खरे उतरे हैं यह चिंतन का विषय है। उसकी माँ को भरोसा दिलाने के लिए अक्सर स्कूलों की दीवारों पर आप यह लिखते हैं। (पर उस भरोसे को कितना बनाए रखते हैं। यह सोचने का विषय है।)

लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूँ।
दुनिया उसे पूजे, इतना महान बना दूँ॥

–प्रधानाध्यापक
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (पुराना)
छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़) 312604

कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का?

❑ श्रीराम शर्मा आचार्य

देवियो ! भाइयो !!

विकासक्रम में आज हम कहाँ जा पहुँचे हैं, आइए जरा इस पर विचार करें। विज्ञान के युग में आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व का व्यक्ति यदि कहीं हो और वह आकर हमारी इस दुनिया को देखे तो कहेगा कि वह कितने अचंभे की दुनिया है, यह भूत-पलीतों की दुनिया है। यदि वह सड़कों पर, रेलपटरियों पर जाएगा तो वहाँ से भाग खड़ा होगा, क्योंकि लोहे की पटरियों पर भागने वाली रेलगाड़ियाँ और आसमान में उड़ने वाले हवाईजहाज पुराने जमाने के लोगों के लिए अचंभे की बातें थीं। दिल्ली से बोलने वाला व्यक्ति इंदौर में बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे बातें करता है जैसे वह सामने ही बैठा हो। आज के इस विज्ञान की प्रगति के क्या कहने। उसने टेलीविजन से लेकर न जाने क्या-क्या बना लिया है। एक जमाना था जब तीर-कमान से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं और जब आदमी के शरीर में तीर चुभ जाता था तो उसे निकालने के लिए घोड़ों की पूँछ से रस्सी बाँध दी जाती थी और घोड़े को भगा दिया जाता था, तब कहीं जाकर तीर बड़ी मुश्किल से शरीर से बाहर निकलता था। व्यक्ति बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया। पुराना जमाना था। आज मेडिकल साइन्स ने, सर्जरी की साइन्स ने न जाने क्या से क्या चमत्कार दिखा दिए। शरीर के भीतर की चीजें दिखाने से लेकर निकाल बाहर करने तक के कितने चमत्कार विज्ञान ने कर दिखाए हैं। यह मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है। यह हमारा जमाना वैज्ञानिक चमत्कारों का जमाना है।

पिछली शताब्दियों में मनुष्य ने जो प्रगति की और जो विकास किया उसकी तुलना में आज की दुनिया कुछ मायने में बहुत आगे है। संसार के बारे में कहा जाता है कि इसको बने हुए दस लाख वर्ष हो गए। इन दस लाख वर्षों में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जैसा कि आज हमारे और आपके सामने सुख और सुविधाओं से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी और बौद्धिक दृष्टि से हमारा युग और समय कितना प्रगतिशील और समृद्धिशाली है, कहा नहीं जा सकता। पिछले दिन प्रगति के दिन तो नहीं थे, अवसाद के दिन थे, लेकिन गिरावट के दिन तो नहीं ही थे। मनुष्य इतना नीचे कभी भी गिरा नहीं था जितना कि वह आज गिरता हुआ चला जा रहा है। शरीर की दृष्टि से इतना खोखला वह कभी नहीं हुआ जितना कि आज हो गया। आज हमारे लिए एक मील चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्ग कैसे थे? मैंने अपने नाना जी को आँख से देखा था जब वे चालीस मील तक सफर करते थे और पूर्णमासी के दिन गंगाजी नहाने जाया करते थे। हमारे नाना जी सबेरे सफर करने के लिए निकलते थे और रात में ही गंगाजी जा पहुँचते थे। सबेरे स्नान किया और वहाँ से रवाना होकर चालीस मील दूर शाम को घर आ जाते थे। अस्सी मील का दो दिन का यह सफर आज हमारे लिए मुश्किल है, आज हम नहीं चल सकते। शारीरिक दृष्टि से हम दुर्बल होते हुए चले गए।

दाम्पत्य जीवन जिसमें कि सुख और सौभाग्य की गरिमाएँ रहती थीं और संतोष की धाराएँ बहती थीं। जहाँ राम और सीता हुआ करते थे। जहाँ एक-दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास का क्या कहना ! रामायण में एक प्रसंग आता है, जब लव-कुश ने देखा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी अश्वमेध के घोड़े को लिए चले जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा– आप लोग कौन हैं? उत्तर मिला– मैं लक्ष्मण हूँ और मैं हनुमान हूँ। उन्होंने कहा– आप वही लोग हैं, जिन्होंने हमारी माँ को जंगल में वनवास में अकेला और असहाय छोड़ दिया था। लक्ष्मण ने आँखें नीची कर लीं। बच्चों ने कहा– अच्छा तो हम अब आपको मजा चखाते हैं। बस लव-कुश ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूँछ पेड़ से बाँध दी। लक्ष्मण जी को भी पकड़ा और एक रस्सी से पेड़ से बाँध दिया और माँ के पास गए। माँ से कहा– माँ ! यही वे आदमी हैं, जिन्होंने आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया था। माँ ! हम इनको अब मजा चखाते हैं। माँ ने कहा– नहीं बच्चों ! ये तुम्हारे पिता के भाई हैं और तुम्हारे पिता के प्रति मेरी कितनी गहन निष्ठा है, तुम नहीं जानते। मुझे वनवास में किसलिए छोड़ा गया। संसार के इतिहास में दाम्पत्य जीवन के आदर्श उपस्थित करने के लिए। तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं कि अपने बुजुर्गों का अपमान करो, इनको छोड़ देना चाहिए। राम ने जब मुझे वनवास भेजा था, तब भी उनका मन मेरा जीवन, मेरा स्वरूप और मेरे आदर्श विश्व के सामने एक अभूतपूर्व उदाहरण रखने का था। उन्होंने कष्ट उठाए तो क्या, पर पुराने जमाने के दाम्पत्य जीवन की आज के हमारे दाम्पत्य जीवन से तुलना नहीं हो सकती। आज जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है– यूरोप जल चुका, अमेरिका जल चुका और वही आग धधकती हुई हमारे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली आ रही है। रूप का भूखा मनुष्य, धन का भूखा मनुष्य, सैक्स का भूखा मनुष्य, दाम्पत्य जीवन के महान आदर्शों को भूलता हुआ चला जा रहा है और सारी दुनिया में एक तहलका मचता चला जा रहा है। श्मशान के तरीके से मनुष्य जलता चला जा रहा है।

अमेरिका जैसे सम्पन्न देश में जहाँ हमारे बच्चे भाग करके वहाँ न जाने क्या-क्या सीखने जाते हैं। वहाँ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन वहाँ का दाम्पत्य जीवन व गृहस्थ जीवन इतना जटिल और घटिया होता चला जा रहा है कि आदमी के मस्तिष्क पर टेन्शन की टेन्शन सवार रहता है। सारी रात वहाँ आदमी को चैन नहीं पड़ता। ट्रेंक्युलाइजर की गोलियाँ खाकर लोग रात गुजारते हैं। ब्लडप्रेशर, हार्टडिसीज, डायबिटिज न जाने क्या-क्या बीमारियाँ घेरे रहती हैं ! खाने की चीजों का ठिकाना नहीं। मेरा एक मित्र है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है, कहता है– हम पानी नहीं पीते, यहाँ बराबर फलों के जूस की बोतलें आती रहती हैं और सारे दिन हम

पानी की जगह पर फलों का जूस पीते रहते हैं। पहले आदमी सूखी रोटी खाकर के सुख-चैन की साँस लिया करता था और विश्वास दिलाया करता था कि हम सुखी लोगों में से हैं।

हमारे बच्चे अभिभावकों के प्रति जैसे निष्ठावान होने चाहिए थे, नहीं हैं। अब श्रवणकुमार की सिर्फ कहानियाँ हैं। ये चाहें तो आप पढ़ सकते हैं चाहें तो आप सुन सकते हैं। आपको श्रवणकुमार देखने का सौभाग्य अपने घर में अब नहीं मिल सकता। आपको रामायणकाल की कहानी किताब में पढ़नी चाहिए, पर आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपके घर में बच्चे राम और सीता जैसे हों। पिता का मन संदेह से भरा हुआ पड़ा है कि हमारे पाँच बच्चे हैं, लेकिन बड़े होने पर न जाने क्या होगा ! हमारा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, हमारा आर्थिक जीवन कितना जटिल और कितना जकड़ा हुआ बनता चला जा रहा है। विज्ञान की प्रगति के बावजूद, धन की प्रगति के बावजूद इनसान के लिए एक अजीब समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। इसे आपको समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसा आखिर क्यों है?

मित्रो ! आप लोगों के ऊपर, नई पीढ़ी के ऊपर वो जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, आएँगी और आनी चाहिए। आप लोगों को व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की कठिनाइयों को हल करना पड़ेगा। आप लोगों में से अधिकांश को वह रोल अदा करना पड़ेगा जो कि राष्ट्रीय जीवन और व्यक्तिगत जीवन को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। जिम्मेदारियाँ अपनी जगह पर रहेंगी और इसके लिए श्रम बहुत करना पड़ेगा। आज राष्ट्र के सामने, व्यक्ति के सामने अनेकानेक समस्याएँ हैं, जो यह कहती हैं कि हमको हल किया जाए। किस तरीके से हल किया जाए, मैं आपको एक छोटा-सा फार्मूला देकर जाना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी आदमी को, खास तौर से विद्यार्थियों को, अगले दिनों कुछ जिम्मेदारियों के वजन अपने कंधे पर उठाने पड़ेंगे और आप लोगों को वे काम करने पड़ेंगे, जो कि राष्ट्र-निर्माताओं को करने पड़े हैं। तब आपको किस आधार पर व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और आज की उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक फार्मूला यह है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ेगा। समस्याओं के हल बाहर नहीं, बल्कि भीतर तलाश करने पड़ेंगे। समस्याएँ बाहर से पैदा नहीं होतीं। समस्याएँ भीतर की हैं और बाहर दिखाई पड़ती हैं। आदमी अपने भीतर से समस्याएँ पैदा करता है और बाहरी जीवन में वे केवल प्रस्तुत हो जाती हैं। मेरे भीतर एक रूह काम करती है। वही काम कर रही है, भाषण वही दे रही है, पुस्तकें उसी ने लिखी हैं, समाज के नवनिर्माण के ख्वाब उसी ने देखे हैं। बाहर जो भी क्रिया-कलाप आप देखते हैं, वह बाहर के नहीं हैं, मेरे भीतर के, अंतरंग चेतना के हैं। समस्याओं के बारे में भी यही बात है। बीमारियाँ भी बाहर से दिखाई पड़ती हैं, बुखार बाहर से आया मालूम पड़ता है, खाँसी बाहर से खाँसने में दिखाई पड़ती है, पर वस्तुतः वह भीतर से पैदा होती है।

समस्याएँ वे उलझनें हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को और सारे विश्व को जकड़ कर रखा है। ये हमारे भीतर से पैदा हुई हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपको इनके समाधान ढूँढ़ने पड़ें, तो सिर्फ आपको बाहर की ओर ही नहीं, भीतर की ओर भी गौर करना चाहिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व और समाज का अंतरंग कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। यदि गड़बड़ हो तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। समाज की व्यक्ति की उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी उपचार करना ही काफी नहीं हैं। इलाज की सामग्री ढूँढ़ी जानी चाहिए, रिसर्च की जानी चाहिए कि दवाइयों के द्वारा बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया जाए? आदमी की सेहत को कैसे अच्छा बनाया जाए? लेकिन आपको यह भुलाना नहीं चाहिए कि अंतरंग जीवन अगर सुव्यवस्थित न हो सका तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं हो सकेगी।

सैंडो का नाम आपने सुना होगा, जिसकी सैंडोकट बनियान अक्सर पहनी जाती है। अपने जमाने में वह यूरोप का एक ख्यातिप्राप्त पहलवान हुआ है। एक समय था जब पहलवानों में सैंडो का नाम पहले लिया जाता था। अब तो दूसरे लोग भी हो गए हैं। बचपन में वह बीमार रहा करता था, सरदी जुकाम से पीड़ित रहा करता था। अपने पिता के साथ एक दिन वह म्यूजियम देखने गया। वहाँ पहलवानों की तस्वीरें देखकर पूछा– पिताजी ! क्या मैं भी पहलवान बन सकता हूँ? पिता ने कहा– हाँ ! यह सुनकर जिज्ञासा भरे स्वर में सैंडो ने कहा– पिताजी ! बताइए हमको पहलवान बनने, मजबूत बनने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा– बेटे मजबूती के सारे आधार, दीर्घ जीवन के सारे आधार मनुष्य के भीतर सन्निहित हैं, पर आदमी इस चीज को भूल गया है। आदमी अगर अपनी भूलों को सुधार सके तो बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। बेटे ! हमने अपना पेट खराब कर डाला। खुराक से ज्यादा खाकर और वे चीजें खाईं जो हमारे लिए मुनासिब नहीं थीं। इंद्रियाँ हमारे लिए काम करने को थीं, पर हर इंद्रिय के भीतर से हमने अपनी शक्ति का इतना हिस्सा खरच कर डाला जितना कि पैदा नहीं होता था। हमने अपने दिमाग को इस तरीके से चिंताओं से, दूसरी चीजों से उलझाए हुए रखा कि हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाला नर्वस सिस्टम अस्त-व्यस्त हो गया। हम इन तीन बुराइयों को अगर दूर कर सकें तो लंबी जिंदगी जी सकते हैं और कोई भी आदमी पहलवान बन सकता है। पिताजी ! हमें दवा खाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा– नहीं बेटा ! दवाएँ तो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए हैं। ये टेंपोरेरी एनर्जी दे सकती हैं। किसी आदमी को मजबूत व दीर्घजीवी बनाने के लिए दवाएँ कारगर सिद्ध नहीं हो सकतीं। अगर दवाएँ कारगर रही होतीं तो जितने भी डॉक्टर हैं, वे दूसरे लोगों का इलाज करने से पहले अपना इलाज करते और जनसामान्य से बेहतरीन एवं पहलवान दिखाई देते। सैंडो ने स्वास्थ्य के उन नियमों का जिनको मैं अध्यात्म का अंश कहता हूँ पालन किया और पहलवान बना।

आप इसको संयम कहिए। शब्दों से क्या होता है। मुझे उसको अध्यात्म कहने दीजिए।

जुबान का संयम, इंद्रियों का संयम, मस्तिष्क की विचारधाराओं का संयम, उठने-बैठने का संयम और अपने आहार-विहार का संयम, अगर आदमी इतना कर सकता हो, तो उसकी सेहत ठीक की जा सकती। पुराने जमाने में डॉक्टर भी नहीं थे। तब तो कोई-कोई हकीम जड़ी-बूटी, नीम की पत्ती और कालीमिर्च बताने वाले ही पाए जाते थे। इन्हीं से बीमारियाँ अच्छी हो जाती थीं। इन सारी वजहों में एक वजह यह है कि आदमी अपने आपको खोखला बनाता हुआ चला जा रहा है। आप नई पीढ़ी के लोगों में से संभव है किसी को राष्ट्र का स्वास्थ्यमंत्री बनना पड़े, तो मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूँ कि चाहे आप अस्पताल खुलवाना, मेडिकल साइन्स पर रिसर्च कराना, पर यह मत भूलना कि आदमी के स्वास्थ्य का मूलभूत आधार संयम ही होता है। जिसको हमने कई बार आध्यात्मिकता कहा है और पुराने लोग पुकारते थे– संयमशीलता ! संयमशीलता लोगों को सिखाई जानी चाहिए। बेहतरीन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की समस्या का हल निश्चित रूप से इस बात पर टिका हुआ है कि आदमी अपने आहार-विहार, इंद्रियों और दिमाग के इस्तेमाल, पेट के इस्तेमाल के बारे में पुनः जाने, इनको ठीक तरीके से काम में लाए। आप लोगों को कभी स्वास्थ्यमंत्री बनना पड़े तो मेरे इस छोटे-से नाचीज फार्मूले को याद रखना।

एक अन्य दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कहने के अनुसार प्लानिंग की जाए और इसकी एक योजना बनाई जाए और हर आदमी को सिखाया जाए कि आपको गृहस्थ बनने से पहले सौ बार विचार करना चाहिए कि आप बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ हैं या नहीं। आप अपनी पत्नी को वह स्नेह और प्यार देने में समर्थ हैं, जिसके आधार पर वह नन्हा-सा फूल, नन्हा-सा पौधा, जो आपके घर में आया है, उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें। आपके अंदर वह योग्यता है क्या ! इनसान की खुराक अनाज नहीं, रोटी नहीं, दूध नहीं, ये सिर्फ जिस्म की खुराक हैं ! आदमी जिस्म नहीं है। आदमी में शरीर के अलावा भी एक चीज है, जिसको जीवात्मा कहते हैं और रूह कहते हैं और वह जीवात्मा प्रेम की, मुहब्बत की प्यासी है। प्रेम और मुहब्बत धर्मपत्नी को नहीं मिल सके तो उसकी प्रतिक्रियाएँ गलत होती चली जाएँगी और हमारे घरों में वह निष्ठाएँ पैदा न हो सकेंगी जो कि छोटे-छोटे घरौदों को छोटे-छोटे किराये के मकानों को ऐसा बेहतरीन बनाती हैं, जिस पर स्वर्ग निछावर किया जा सके। दो आदमी का स्नेह एक और एक मिलकर ग्यारह हो सकते हैं। राम और लक्ष्मण मिलकर दो नहीं थे एक और एक ग्यारह थे। जानदार चीजें एक और एक दो नहीं होती, एक और एक मिलकर ग्यारह होती हैं, अगर उनके भीतर निष्ठाएँ हों और एक-दूसरे के प्रति वफादारी हो। हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे गृहस्थ जीवन, गरीबी में भी सुख के आधार बन सकते हैं और एक-दूसरे से इतना प्रसन्न-संतुष्ट रह सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं।

यूरोप में एक गरीब दंपत्ति थे। विवाह का दिन आने वाला था। दोनों एक-दूसरे को उपहार देने के इच्छुक थे, पर साधन कैसे जुटाएँ? पति के दिमाग में बहुत दिनों से ख्वाब था कि अपनी स्त्री के सुनहरे रेशम जैसे बालों के लिए सोने की क्लिप लाकर दूँ और पत्नी का मन था कि विवाह के दिन अपने पति की घड़ी के लिए सोने की चेन लाकर दूँ, लेकिन दोनों की जेबें खाली थीं। स्त्री बालों के व्यापारी की दुकान पर गई और बाल बेचकर घड़ी की चेन खरीद लाई। उधर उसका पति अपनी घड़ी बेचकर क्लिप खरीद लाया। विवाह का दिन आया तो पति ने पत्नी से कहा– 'हम आपके लिए सोने की क्लिप लाए हैं पर आपने सिर पर रुमाल क्यों बाँध रखा है, इसे खोलिए हम आपके बालों में क्लिप लगाएँगे।' पत्नी बोली– 'हम आपके लिए घड़ी की चेन लाए हैं लेकिन आज आपके हाथ पर यह रुमाल कैसे बँधा है।' दोनों ने एक-दूसरे के रुमाल खोले तो देखा कि बाल कटे हुए हैं और कलाई खाली। एक के हाथ में क्लिप और दूसरे के हाथ में चेन। दोनों की आँखों में वफादारी और एक-दूसरे के प्रति निष्ठा के आँसू बहने लगे। भाइयो, जिन लोगों में इस तरह की भावनाएँ, निष्ठाएँ हैं, वहाँ हम यही कह सकते हैं कि दांपत्य जीवन में स्वर्ग आ गया।

साथियो ! पारिवारिक जीवन की सुख-शांति शक्ल-सूरत पर नहीं टिकी है, यह तो आदमी की सीरत पर टिकी हुई है। मनुष्यों को कहिए जब आपको विवाह करना पड़े तो सूरत देखने की अपेक्षा सीरत और रंग देखने की अपेक्षा उसकी भावनाओं को देखना पसंद करें। अपने साथी का गुण-कर्म और स्वभाव ढूँढ़ना पसंद करें। अगर आपके पास मुहब्बत है तो आप बच्चे पैदा करने से पहले यह भली-भाँति समझ लें कि बच्चे के विकास के लिए खुराक काफी नहीं हैं, बोर्नविटा काफी नहीं है, अच्छे कपड़े काफी नहीं हैं, स्कूलों के जेलखानों में भेज देना काफी नहीं है। इन जेलखानों में बच्चे सिर्फ एटीकेट सीख सकते हैं। ये सभ्यता और शिष्टाचार सीख सकते हैं, पर उनका भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जिन माँ-बाप के मनों में परिवार के प्रति, एक-दूसरे के प्रति प्यार-मुहब्बत और आदर्श-कर्त्तव्यनिष्ठा भरी हैं, उनके व्यवहार से ही बच्चे में भावनात्मक विकास हो सकता है। आज परिवारों में इनका अभाव है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, जिन्हें माँ-बाप सँभालने की स्थिति में नहीं होते और उन्हें अनाथालय में भरती करा दिया जाता है। सरकार उनको बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन खुराक देती है। फिर भी प्यार-मुहब्बत की कमी से उनका भावनात्मक विकास नहीं हुआ। इसलिए जो सरकारी अनाथालयों में पाले गए, उनमें से कोई भी बच्चा राष्ट्र का कर्णधार नहीं हो सका, कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, कोई लेखक-कवि नहीं हुआ। अधिकांश आदमी उनमें से फौजी होते हैं। ये वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुहब्बत को नहीं पिया। आदमी को मुहब्बत पिलाई जानी चाहिए, खासतौर से बच्चों को, बोर्नविटा नहीं।

बच्चों के पालन के लिए जो वफ़ादारी और निष्ठाएँ होनी चाहिए थीं, वह हमारे पास नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे बागी हो गए। बच्चा बैठा था इंतजार में कि पिताजी आएँगे, बंदर-भालू और खरगोश की कहानियाँ सुनाएँगे, गोदी में लेंगे, कंधे पर बिठाएँगे, घुमाने ले जाएँगे और पिताजी साइकिल से आए। बच्चे दौड़े पापा आ गए, किसी ने पायजामा पकड़ा,

किसी ने कुरता और उछलने लगे और पत्थर दिल जैसे हम बच्चों को डाँटने-फटकारने लगे– भागो यहाँ से सारे कपड़े गंदे कर दिए। बच्चे सहमकर माँ की गोद में छिप गए, सोचा शायद माँ आँखों के आँसू पोंछ देगी। पिता ने कहा– इन शैतानों को सँभालो, हमें सिनेमा जाना है, क्लब जाना है। जिन बच्चों ने स्नेह पाया ही नहीं, उनका विकास कैसे होगा ! हम शिकायत करते हैं बच्चे अनुशासनहीन हैं, कहना नहीं मानते, बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते और मास्टरों को धमकाते हैं, यूनिवर्सिटी के शीशे फोड़ देते हैं। यह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बेचारे, छोटेपन से यही देखा और सीखा है। इसे रोकने की जिम्मेदारी मास्टरों, अध्यापकों की नहीं, वरन उन लोगों की है, जिन्होंने बच्चे पैदा किए, किन्तु उससे पहले यह नहीं सोचा कि हमारे पास मुहब्बत नहीं है, तो भगवान को क्यों बुलाएँ। यह विचार करना चाहिए था कि लोहे के दिल, पत्थर के दिलवाले, हम विलासी और कामी व्यक्ति बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों को यह कहना चाहिए कि भावी नागरिकों को महापुरुषों के रूप में विकसित करना चाहते हो और यह चाहते हो कि हमारे देश के नागरिक महान बनें, ओजस्वी बनें, शक्तिवान बनें, नेता बनें और महत्ता एवं महिमा को लेकर प्रकट हों तो उनके लिए दौलत जमा करना काफी नहीं है, बल्कि उनमें गुणों का विकास करना जरूरी है। गुणों का विकास ही वह प्रमुख तत्त्व है, जो छोटे और गरीब आदमियों को दुनिया की निगाहों में अजर-अमर बना सकता है। छोटे घरों में पैदा हुए मनुष्यों को बादशाह बना सकता है, ऊँचे पदों पर पहुँचा सकता है।

राजस्थान में हीरालाल शास्त्री नाम के 45 रुपये मासिक वेतन पाने वाले एक संस्कृत के अध्यापक हुए हैं। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने कहा– दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा– पहली पत्नी की सेवा और वफादारी का तो कर्ज चुका नहीं पाया और आप लोग दूसरी शादी की बात करते हैं। वे नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के गाँव में चले गए और निश्चय किया कि इस गाँव की एक लड़की ने मेरी सेवा-सहायता की, मैं इस गाँव की सेवा करूँगा और कन्या पाठशाला खोलने के इरादे से गाँव की लड़कियों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, पर वे अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। यह देख गाँव के भले लोगों ने छप्पर डाल दिया, बच्चियाँ पढ़ने लगीं। लोगों ने सोचा जो आदमी कष्ट-मुसीबतों को सहकर दूसरे की सुविधा और राष्ट्र की प्रगति, गाँव की प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसका नाम इनसान के रूप में भगवान होना चाहिए। फिर क्या था– रुपया-पैसा, सोना-चाँदी, लोहा-सीमेंट भागते चले आए और उस स्थान पर वनस्थली नाम का विद्यालय बनकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में यह महिला विश्वविद्यालय पहले नम्बर का है, स्वाधीनता के बाद जब पहली गवर्नमेंट बनाई गई तो इन्हीं हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इस बात में नहीं कि उसके पास धन कितना है? ऐय्याशी और विलासिता के साधन कितने हैं? मनुष्य की महानताएँ या प्रगति की निशानियाँ आदमी के अंदर की हिम्मत और जीवट हैं, जिनके आधार पर आदमी सिद्धांतों का पालन करने में समर्थ हो पाता है।

महानताएँ सिखाई जाती हैं, बड़प्पन नहीं। अमीरी नहीं महानता। हमें लोगों के मस्तिष्क बदलना चाहिए। अगर राष्ट्र को महान बनाना हो, व्यक्ति को महान बनाना हो, राष्ट्र को समर्थ और मजबूत बनाना हो तो हमको लोगों से यह कहना चाहिए कि पहले हर व्यक्ति स्वयं बदले, अपने परिवार को बदले, तब अपने आस-पास के परिकर को बदले। दुनिया बदल रही है– सुधर रही है, ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं! हमको महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं, महानताएँ जगानी चाहिए। आज आदमी के भीतर महत्त्वाकांक्षाएँ भड़क गई हैं। हर आदमी महत्त्वाकांक्षी है और बड़ा आदमी बनना चाहता है– अमीर बनना चाहता है। हर आदमी खुशहाल बनना चाहता है। मैं खुशहाली और अमीरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अमीरी ही काफी नहीं है। अमीरी के साथ-साथ मनुष्य के भीतर जो महानताएँ प्रसुप्त पड़ी हैं, उन्हें भी जगाया जाना चाहिए।

अमीरी से राष्ट्र मजबूत नहीं होते, मनुष्य मजबूत नहीं होते, राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं होता और राष्ट्रीय परम्परा का विकास नहीं होता, इसलिए आपके जिम्मे यदि कभी यह काम सौंपा जाए तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें। अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से किसी को धर्माचार्य बना दिया जाए, जगद्गुरु शंकराचार्य बना दिया जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा– हर साधु-संत और बाबाजी को यह कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को काम में लाएँ, आध्यात्मिकता की नकल बनाना, ढोंग बनाना, दाढ़ी-जटा बढ़ाना और तिलक-छापा लगाना ही काफी नहीं है, धर्म की चिंता करना ही काफी नहीं है, वरन धर्म की नीति पर भी विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में सात लाख गाँव हैं और छप्पन लाख साधु-संत-महात्मा, पुरोहित, पंडित, बाबाजी। एक गाँव पीछे आठ साधु-संत आते हैं। यदि आठ साधु-संत एक गाँव में चले जाएँ और उस छोटे-से गाँव में सफाई करने लगें, साक्षरता का विस्तार करने लगें तो जिन असंख्यों सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों ने सारे राष्ट्र को तबाह करके रखा है, जकड़ करके रखा है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। मगर भाइयों, ये साधु-संत न जाने कहाँ खो गए, आध्यात्मिकता की चेतना न जाने कहाँ लुप्त हो गई। यदि यह राष्ट्र के निर्माता का काम करें, आध्यात्मिकता का काम करें तो अपने देश को न जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं ! आध्यात्मिकता के इस सूत्र को मैं सेवा-सहायता कहता हूँ, कर्त्तव्यपरायणता कहता हूँ। हमारे जीवन में यदि यह आ जाए तो हमारा राष्ट्र न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ! आपको कभी ऐसा काम करना पड़े तो कृपा करके ध्यान रखिए।

अगर आपको कभी धर्म का, अध्यात्म का काम सौंपा जाए तो आपको भगवान बुद्ध के तरीके से यही कहना चाहिए कि हमारा स्वर्ग गरीबों के बीच है, दुखियों के बीच है, सेवा के बीच है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या आप स्वर्ग जाएँगे? उन्होंने कहा– नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जो आनंद है,

उससे हजार गुना आनंद वहाँ है, जहाँ दीन-दुखियारे रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, अज्ञानी और अभावग्रस्त लोग रहते हैं। मैं उनकी सेवा किया करूँगा और संसार के सभी मनुष्यों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे बार-बार जन्म लेना है और दुखियारों को, पिछड़े हुओं को, कर्त्तव्य से भटके हुओं को रास्ता दिखाना है। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जाएँ तो स्वर्ग की समस्या हल हो जाए, फिर हमें साधु-बाबाजिओं की तरह से स्वर्ग का टिकट नहीं बाँटना पड़ेगा।

इन दिनों व्यक्ति के जीवन की असंख्य समस्याएँ हैं, राष्ट्रीय जीवन की असंख्य समस्याएँ हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएँ हैं। युद्ध के बादल चारों ओर मँडरा रहे हैं। हर मनुष्य एक-दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, एक-दूसरे को वैरी समझ रहा है। यदि अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ कभी आपके ऊपर आवें, तो आपको युद्ध व घृणा की बातें मन में से निकाल देने के लिए हर राष्ट्र को मजबूर करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देश जमीनों के टुकड़ों में बँटे हुए नहीं हैं। इनसान के दिल को जमीन के टुकड़ों से बाँटा नहीं जा सकता। इनसान को, इनसानी मोहब्बत को जमीनों की वजह से बाँटा नहीं जा सकता है। आदमी के बीच में मनमुटाव है, तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इनसाफ के साथ आराम से सुलझाया जा सकता है। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को यह समझा सकें कि इनसान-इनसान का भाई है और भाई को भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को भाई के लिए त्याग करना चाहिए। यदि यह बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम युद्धों से बच सकते हैं और सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज जबकि एक देश दूसरे देश से हर वक्त काँपता रहता है, इस विभीषिका को हम इस तरह प्यार और मोहब्बत से हल कर सकते हैं। अभी जो ज्ञान और संपदा टैंक बनाने में लगा हुआ है, उससे हम ट्रैक्टर बना सकते हैं, जो विज्ञान आज मशीनगनों को बनाने में लगा हुआ है, उससे हम पानी निकालने के पंप बना सकते हैं और जो ज्ञान एवं शक्ति एक-दूसरे को मारने की, काटने की शिक्षा देने में लगा हुआ है, उसे एक-दूसरे के प्रति प्यार-मोहब्बत पैदा करने और बच्चों को शिक्षण देने में लगाया जा सकता है। यदि इनसान के भीतर मोहब्बत पैदा की जा सके और उसे यह समझाया जा सके कि सारा विश्व ही अपना कुटुम्ब है, परिवार है, तो फिर दुनिया में हजारों वर्ष तक शांति कायम रखी जा सकती है।

साथियो ! अगर ऐसा न हो सका जैसा कि मैंने इन सूत्रों में अभी आपको बताया है तो फिर बर्टेण्ड रसेल के शब्दों में ऐसा होगा कि पहले लड़ाई तीरकमान से लड़ी जाती थी फिर बंदूकों से लड़ी गई और तीसरी लड़ाई एटमबमों से लड़ी जाएगी और चौथी लड़ाई के लिए आदमी के पास इतनी ही शक्ति बाकी रह जाएगी कि वह ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल कर सके। बंदूक और लाठियाँ चलाने लायक तब इसके पास न अकल बाकी रह जाएगी, न साधन बाकी रह जाएँगे और न सामर्थ्य बाकी रह सकेगी। ये अक्ल, ये विज्ञान जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू से बता रहा था, ये सब इस तरह से जलकर खाक हो जाएँगे जैसे कि कागज का रावण अपने आप जलकर खाक हो जाता है। इस विज्ञान की तरक्की को सुरक्षित रखने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस उन्मत्त हाथी के ऊपर अंकुश रखा जाए, सरकस के शेर को तमाशा दिखाने के लिए रिंगमास्टर के तरीके से एक हंटर रखा जाए। अगर भौतिक विज्ञान और भौतिक प्रगति के इस बाघ को खुला हुआ छोड़ा गया तो यह किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको खा जाएगा। फिर इनसानियत जिंदा रहने वाली नहीं है। इनसानियत को जिंदा रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी और इस बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास के पीछे आध्यात्मिकता का अंकुश उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जिस प्रकार से एक पागल हाथी के सूँड के ऊपर एक अंकुश रखा जाता है और उसकी दिशा निर्धारित की जाती है।

बच्चो ! भविष्य में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, जिसे आपको उठाना होगा। अगले दिनों समस्याएँ उभरेंगी और आपसे अपना हल माँगेंगी और यह कहेंगी कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। आपको इन समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने और करने पड़ेंगे और करना चाहिए। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, जो न जाने कब किनारे लग जाऊँ, पर मैं आपको एक छोटा-सा फार्मूला बताकर जा रहा हूँ। इसे आपको याद रखना चाहिए कि विश्व की हर समस्या का समाधान, राष्ट्रों की हर समस्या का समाधान एक ही है कि *मनुष्यों के भीतर मनुष्यता को जिंदा रखा जाए, इनसानियत को जिंदा रखा जाए।* भौतिक विकास के साथ-साथ महानता को विकसित किया जाए, जिसे मैं आध्यात्मिकता का विकास कहता हूँ। आप चाहें तो उसको नेकी कहिए, भलमनसाहत कहिए, धर्म-नीति कहिए, कुछ भी कहिए। आप किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो इसे अध्यात्मिकता के नाम से पुकारता हूँ और यह कहता हूँ कि इस महानता को, आदर्श-कर्त्तव्यनिष्ठा को मनुष्य के भीतर जिंदा रखा जा सके, समाज के भीतर जिंदा रखा जा सके तो खुशहाली कायम रह सकती है और भौतिक उपलब्धियों का हम परिपूर्ण आनंद उठा सकते हैं।

सुख-सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस भौतिक विज्ञान को धन्यवाद, भौतिक प्रगति को धन्यवाद, टेक्नोलॉजी की प्रगति को धन्यवाद, लेकिन तब तक ये सभी अपूर्ण हैं, जब तक कि हम इसके दूसरे पक्ष को भी विकसित नहीं करेंगे, जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूँ। इस महत्वपूर्ण दूसरे पक्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यही सब कहने के लिए आप सबके सामने एक चेतन-व्यक्ति आया, जिसके ऊपर समाज के नवनिर्माण की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपको भी उठानी ही चाहिए और उठानी ही पड़ेगी। इस सुझाव को यदि आप इस्तेमाल कर सके तो मुझे उम्मीद है कि अपने देश की, मानव जाति की और विश्व की महानतम सेवा करने में आप समर्थ हो सकेंगे। आप लोगों ने एक घंटे तक अपना मूल्यवान समय देकर मेरी छोटी-सी बात सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ। आज की बात समाप्त !

ॐ शांतिः

(जन शताब्दी पुस्तक माला-1 से साभार)

शिविरा विचार मंच

शिविरा विचार मंच के लिए शिक्षक रचनाकारों के सुझाव, विचार एवं अनुभूत संस्मरण समय-समय पर शिविरा को मिलते रहते हैं। आप भी अपने अनुभवाधारित संस्मरण मय परिचय एवं फोटो के शिविरा के पाठकों के लिए भेज सकते हैं। इस अंक में प्रस्तुत हैं मधुबाला शर्मा और डॉ. छाया शर्मा के विचार। –क.सं.

भावनात्मक रूप से जुड़ें

असम्भव या दीख पड़ने वाला 'शिक्षा का अधिकार' साठ वर्षों की तपस्या के पश्चात् लागू हो ही गया। इससे अशिक्षा का कलंक अवश्य ही मिटेगा। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है– 'मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति प्रदान करना ही शिक्षा है।'

शिक्षा-कार्य परम पावन एवं पुनीत कार्य है। अंधकार में भटकते मनुष्यों को ज्ञान की दिव्य दृष्टि देना अंधों को आँखें देने के समान है।

अशिक्षित होना बहुत बड़ा अभिशाप है। किसी में कितनी भी प्रकृति प्रदत्त योग्यताएँ हों, यदि वह अशिक्षित है, तो उसकी प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा।

जीवन के किसी भी क्षेत्र की, किसी भी समस्या को लिया जाये तो उसकी जड़ यही मिलेगी कि मनुष्य का भावनात्मक स्तर नीचा रहने से वहाँ अनेक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और उनका तब तक कोई स्थायी हल नहीं निकल सकता, जब तक कि वास्तविक कारण में सुधार न किया जाये। जड़ को सींचे बिना पत्ते हरे नहीं हो सकते। शिक्षा के अधिकार की जड़ जनचेतना एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा है। सरकारी स्तर पर सुख समृद्धि बढ़ाने के, प्रगति और सुरक्षा के जो प्रयत्न किये जाते हैं। उनकी सफलता भी तभी सम्भव है, जब व्यक्तियों में भावनात्मक विकास का प्रयत्न भी चलता रहे। बाह्य प्रयत्नों से बाह्य प्रदर्शन तो ठीक बन जाते हैं, परन्तु वास्तविक सुधार तभी होते हैं, जब सच्चे हृदय से उनका स्वागत किया जाये। जन सहयोग के अभाव में बड़ी-बड़ी योजनाएँ क्रियान्विति के अभाव में केवल कागजी योजनाएँ बनकर रह जाती हैं। यदि जनसाधारण में उन्हें आगे बढ़ाने का उत्साह है तो बात बनते देर नहीं लगती। 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम में शाला प्रबन्ध समिति के माध्यम से जन आंदोलन को सक्रिय बनाया जा सकता है। शाला प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य भावनात्मक रूप से इस मिशन से जुड़े। जब भी कुछ लोग इकट्ठे हों, तो 'शिक्षा के अधिकार' पर बातचीत हो। जानकार लोग दूसरों को इससे अवगत करायें और एक दीपक से अन्य दीपक प्रज्वलित कर अशिक्षा के अंधकार को दूर करने में महती भूमिका अदा करें।

दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का आधार ही प्राथमिक शिक्षा है। यदि नींव ही मजबूत न हुई तो इमारत का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। हाल ही में, मैंने एक समाचार-पत्र में प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर के आँकड़ों को जाना। वास्तव में यह चिन्तन का विषय है। यह तो तय है कि 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम से नामांकन तो बढ़ जायेगा, परन्तु गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न है। शिक्षा जगत के लिए प्राथमिक शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक मानना होगा, द्वितीय नहीं।

शिक्षा एक पुनीत कार्य है, अतः देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम रूपी यज्ञ में यथा-योग्य समय, धन, प्रभाव, उत्साह, कर्तव्य, जागरूकता, प्रतिभा, योग्यता की आहुति दें।

इसके लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बालक शारीरिक श्रम रुचिपूर्वक करते हैं अतः प्रारम्भिक शिक्षा में उनके लिए स्वावलम्बन की शिक्षा की व्यवस्था की जाये, जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। बालकों को अधिकाधिक रचनात्मकता से जोड़ा जाये। उनके लिए विभिन्न प्रतिभावान व्यक्तियों से सम्पर्क कर समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यह सब कुछ केवल कागजों में न होकर वास्तविक रूप में हो। प्रयास कम या धीरे हो, किन्तु सतत और ईमानदारी से हो तो सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। अतः

रवि की तेजोमय किरण सा
प्रकाश फैलाए 'शिक्षा का अधिकार'।
कोई भी न रहे अशिक्षित
ऐसा हो इसका प्रसार॥

–मधुबाला शर्मा
रा.उ.प्रा. विद्यालय, किल्चू देवड़ान (बीकानेर)

नैतिकता के टूटते तटबंधों के मध्य – मेरे कुछ सत्प्रयास

आज नैतिकता की ढहती दीवारें ! मर्यादाओं एवं वर्जनाओं में आई दरकनों और दरारों के बीच कुम्हलाता किशोर एवं दिग्भ्रमित युवा वर्ग। आज का युवा वर्ग जिस डगर पर बढ़ चला है वहाँ स्वच्छंदता का उन्माद तो है लेकिन सुख का सुकून तनिक भी नहीं है। किशोरों एवं युवाओं में यह प्रवृत्ति संक्रामक महामारी की तरह पूरे देश में फैलती जा रही है। इस समस्या के जड़ तंत्र को देखें तो यह समस्या हमारी आस्थाओं, मान्यताओं एवं मूल्यों में आई विकृति के कारण है, जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदण्डों की स्थापना के कारण है। जब चिंतन ही विकृत हो तो चरित्र की विकृति व व्यवहार का पतन नहीं रोका जा सकता और ऐसे में नैतिकता की दीवारें ढहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं? क्या हमारा शिक्षा जगत एवं शिक्षा शिरोमणी अपने कर्तव्य बोध एवं बोधि-उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने भागीरथी प्रयासों से इन टूटते तटबंधों के अवलम्ब बनेंगे।

मेरी शैक्षिक विचार धारा में इन ढहती नैतिकता की दीवारों को बचाने के लिए परिपाटी एवं प्रचलन में परिवर्तन, परिमार्जन की महती आवश्यकता है। विद्यार्थी की श्रेष्ठता का मानदण्ड उसकी बौद्धिक क्षमता ही न हो अपितु यह तो केवल मापन का एक आयाम ही हो। विद्यार्थी की श्रेष्ठता के आकलन के चार मानक निर्धारित किए जाएं।

1. व्यावहारिक सामंजस्य की कुशलता– विद्यार्थी का व्यावहारिक लचीलापन, उसका पारस्परिक सौहार्द्र, आपस के सुख दुःख

में भागीदारी जैसे तथ्यों का समावेश हो जिससे विद्यालय एवं समाज में व्याप्त दूरी को पाटा जा सके।

2. बौद्धिक श्रेष्ठता– इसके अन्तर्गत अध्ययन के लिए निर्धारित विषय-वस्तु सीखने के अतिरिक्त आलेख, शोध पत्र लेखन, सेमीनार, सिंपोजियम जैसी गतिविधियाँ शामिल की जावे।

3. सामाजिक प्रतिबद्धता– सामाजिक प्रतिबद्धता के अन्तर्गत विद्यार्थी विभिन्न गांवों एवं कस्बों में स्वास्थ्य एवं कुरीति उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी निभायें।

4. आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की परिपक्वता– विद्यार्थियों को जीवन की संपूर्णता - अर्थात् उन्हें सिखाया जाये कि जीवन उतना ही नहीं है जितना नजर आता है अपितु इसके और भी गहरे आयाम हैं जिन्हें जानने के लिए उनके जीवन में अध्यात्म एवं आधिभूत का सम्मिश्रण होना आवश्यक है।

उपर्युक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर करें तथा सकारात्मक चिंतन करें कि नैतिक अनुशासन की पालना का मतलब उनके सुखों का छीना जाना नहीं है। यह तो बल, पराक्रम एवं ऊर्जा प्राप्ति का अमोघ उपाय है न कि दुःख भोगने की जीवन शैली।

आज दिग्भ्रमित युवा विद्यार्थी एवं अभिभावक दोनों को यह समझना होगा कि जिंदगी परीक्षा के नम्बरों की गणित तक सिमटी नहीं है अपितु इसका दायरा व्यक्तित्व की सम्पूर्णता, विशालता एवं व्यापकता में फैला है।

गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार– 'देश की सच्ची सम्पति है उसके वे युवक-युवतियाँ जिनके शरीर की आभा में प्रकृति का सबसे अधिक स्पष्ट दर्शन होता है और जिनके हृदय में उदारता, कर्मण्यता, सहिष्णुता एवं अदम्य साहस के स्रोत का प्रवाह आप्लावित है।'

सरस्वती के मंदिर के पुजारी अपने आराध्य की कैसी पूजा अर्चना करे कि विद्यार्थियों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व अलंकृत हो उठे।

पूजा, अर्चना के पत्र पुष्प– 1. विद्यार्थियों को भावनात्मक भटकन से उबारें– किशोरवय की यह मनोवैज्ञानिक समस्या आज सघन एवं व्यापक होकर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है। मनोविशेषज्ञों के अनुसार भावनात्मक भटकन के बीज प्रायः बचपन में ही पड़ जाते हैं क्योंकि वर्तमान में माता-पिता अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ज्यादा एकाकी हो गए हैं उनके बीच की भावनात्मक दूरियाँ बढ़ने से बच्चों में वात्सल्य, स्नेह का अभाव (पिता को दफ्तर एवं बाहरी कार्यों से फुर्सत नहीं तो माँ को किटी पार्टी, क्लबों और टी.वी. चैनलों से फुर्सत नहीं) भावनात्मक भटकन का प्रमुख कारण है। ऐसे में शिक्षक का बोधि उत्तरदायित्व बनता है कि पारिवारिक परिवेश के अनुरूप छात्र समस्या एवं असंतोष का निवारण कर शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार का प्रयत्न करें।

2. जीवन लक्ष्य का निर्धारण– विद्यार्थी को लक्ष्य की खोज न हो पाने पर हर राह भटकाती है। ओछे आकर्षण, उर्नींदे सपनों का कोई वजूद नहीं होता। अतः जीवन लक्ष्य के सही निर्धारण में तत्परता बरतें। सावधानी रखें कि विद्यार्थी एवं स्वयं की मौलिक विशेषताओं एवं सम्भावनाओं का ज्ञान, अभिरुचि एवं प्रकृति का सही परिचय या यू कहें कि अपने अन्तःस्थ की सम्पदा और परिस्थितियों का सही बोध कराने की आवश्यकता है।

'लक्ष्य निर्धारण के बिना भेदन कैसे संभव होगा?'

3. संकल्प शक्ति का विकास– असंभव को संभव करने वाली महा ऊर्जा है– 'संकल्प शक्ति' लक्ष्य निर्धारण के बाद संकल्प करें अर्थात् लक्ष्य भेदन में अन्तःकरण की समस्त शक्तियों की दृढ़ एकाग्रता, सघनता को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का माध्यम है– 'संकल्प'। लक्ष्य भेदन में लगे युवा वर्ग सकारात्मक सोच के विरोधी भावों को कोई महत्व न दें, वह संकल्प ही क्या जो विकल्पों के भंवर में फँस जाए।

डाकू रत्नाकर के महर्षि वाल्मिकी बनने का प्रसंग दृष्टव्य है– जिसमें दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारद के द्वारा चेताये जाने के बाद दस्यु कर्म छोड़कर तप के लिए संकल्पित हुए और बाद में अपने संकल्प की पूर्णाहूति के रूप में 'रामायण' लिखी। संकल्प शक्ति का यह चमत्कार आज भी सच हो सकता है– आवश्यकता है संकल्प के लिए संघर्ष और संघर्ष से सृजन की राह पर चलने वाली युवा शक्ति की।

4. सहयोग– सद्भाव– आज प्रतिभाशाली विद्यार्थी वर्ग में अपने साथियों को गढ़ने-तराशने की फुर्सत नहीं है। यदि स्वयं को गढ़ना और दूसरों को गढ़ने में सहयोग करना जीवन नीति बन जाये तो देश के यौवन में नये प्राण फूँके जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के युवाओं से कहा– 'Be and Make' अर्थात् 'बनो और बनाओ'। दीप से दीप जलाने की यह प्रक्रिया यदि चल पड़ी तो पूरा देश जगमगाए बगैर न रहेगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी वर्ग को इसे राष्ट्र कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

5. सही समय पर सही कार्य करने की प्रेरणा– शिक्षक विद्यार्थी समुदाय में समय का सही व संतुलित प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान करे कि समय ईश्वर द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य देन है। इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं किया जाये। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के समान अवसर प्रदान किए हैं आवश्यकता है सिर्फ उन अवसरों का समुचित लाभ उठाने की।

6. भारतीय संस्कृति का संरक्षण– परम्परा से विकसित राष्ट्रीय स्वभाव, आचार-विचार, संस्कार, चिंतन आदि संस्कृति के अंग हैं जो व्यक्ति को आदर्श रूप प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में त्याग-तपस्या, दया-दान और शांति का महत्वपूर्ण स्थान था। कहा गया है कि– *'गो-धन, गज धन, बाजि धन और रतन धन खान।/जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान॥'*

लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के संक्रमण के कारण भारतीय संस्कृति के इन आधार भूत स्तम्भों का स्थान भोगवाद और भौतिकवाद ने ले लिया है जो नैतिक मूल्यों के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। परिणाम हमारे सामने है कि– 'बस्ती-बस्ती भय के साये, कहाँ मुसाफिर रात बिताये।'

समाज एवं राष्ट्र में चारों तरफ फैला भय, आतंक घोर निराशा, व्यवस्थाओं का अत्याचारी दमन, बम बनाने के लिए बारूद एकत्रित करता व्यक्ति– यह तस्वीर है आज के शिक्षित समाज की। विद्यार्थियों का वर्तमान तो कष्टमय है ही आने वाला कल भी घावों से घायल होगा। आखिर क्यों? विद्यार्थी अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों से विमुख होकर विद्या की अर्थी निकाल रहा है। वर्तमान में दिशा रहित एवं दीक्षा रहित शिक्षा का उद्देश्य/लक्ष्य जीविकोपार्जन तक सिमट गया है। क्यों हमारे दिलो दिमाग से वसुधैव कुटुम्बकम् एवं नैतिकता का भाव समाप्त हो चुका है।

ऐसे परिवेश में शिक्षा जगत एवं शिक्षाविदों का नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं हस्तान्तरण के लिए पाठ्यक्रम में इन्हें स्थान देकर नैतिकता के टूटते तटबंधों को अवलम्ब प्रदान करें एवं भारतीय संस्कृति की मणि मंजूषा को संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करने का अटूट संकल्प धारण करें।

–डॉ. छाया शर्मा, प्राध्यापक, हिन्दी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर (जिला अजमेर)

रपट

'थरपणा उच्छब'

राजस्थानी भाषा के साहित्यकार सम्मानित

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के 29वें 'थरपणा उच्छब' के अवसर पर राजस्थानी के 21 वयोवृद्ध साहित्यकारों को 'आगीवाण सम्मान' से अलंकृत किया गया। अकादमी परिसर में आयोजित इस समारोह में सम्मान स्वरूप प्रत्येक साहित्यकार को 5100 रुपए नकद, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।

समारोह का उद्घाटन करते हुए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों को सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने राजस्थानी भाषा की समृद्धता की चर्चा करते हुए राजस्थानी लोक संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता जताई।

डॉ. कल्ला ने कहा कि भाषा, साहित्य एवं संस्कृति की त्रिवेणी राजस्थानी अकादमी को संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करना चाहिए। अकादमी में 'संस्कृति संग्रहालय' स्थापित करने पर जोर देते हुए डॉ. कल्ला ने कहा कि राजस्थानी लोकनृत्य, लोकगीत तथा लोकनाट्यों के संरक्षण से ही राजस्थान और राजस्थानी भाषा की समृद्धि कायम रह सकती है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गंगाराम जाखड़ ने कहा कि राजस्थानी के शिक्षा में प्रवेश से ही इस भाषा का प्रचार-प्रसार संभव है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में राजस्थानी विषय की अनिवार्यता तय की जानी चाहिए। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में शीघ्र ही राजस्थानी विभाग की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष श्री वेद व्यास ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता तो निकट भविष्य में कभी भी मिल जाएगी, परन्तु जब तक इसे जनभाषा नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थानी अकादमी के अलावा प्रदेश की किसी भी भाषा अकादमी के साथ 'संस्कृति' शब्द नहीं जुड़ा है। जब तक प्रदेश की संस्कृति समृद्ध नहीं होगी भाषा और साहित्य का भला नहीं हो सकता।

श्री व्यास ने कहा कि राजस्थानी की मान्यता में सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक उदासीनता है। इस उदासीनता को राजस्थानी के जन-जागरण से ही मिटाया जा सकता है। जनता की माँग को इस लोकतंत्र में राजनेता भी नहीं नकार सकते।

इस अवसर पर राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष डॉ. सुषमा सिंघवी, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष श्री एच.आर. नियाजी, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार चन्दनानी ने भी अपने वक्तव्य में राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता का समर्थन करते हुए इसकी समृद्धता को रेखांकित किया। इस अवसर पर अकादमी के मुख पत्रिका जागती जोत के जनवरी 2012 के अंक का लोकार्पण किया गया। इससे पूर्व स्वागत भाषण करते हुए राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष श्री श्याम महर्षि ने कहा कि 'थरपणा उच्छब' और 'आगीवाण सम्मान' के इस नवाचार के साथ ही वे अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे ठोस कार्य करना चाहते हैं, जिसे राजस्थानी जगत एक मिसाल के रूप में देख सकें।

आगीवाण सम्मान से पुरस्कृत होने वाले साहित्यकारों में सर्वश्री आशा शर्मा झुंझुनूं, कमला कमलेश कोटा, खुशालनाथ धीर बाड़मेर, दीपचंद सुथार मेड़ता, नंदकिशोर शर्मा जैसलमेर, बिहारी शरण पारीक जयपुर, बैजनाथ पंवार चूरू, महावीर प्रसाद शर्मा कोटपूतली, रशीद अहमद पहाड़ी छींपा बड़ौद, रामपालसिंह राजपुरोहित जालौर, लक्ष्मणसिंह आशिया पसूंद राजसमंद, शरतचंद्र पंड्या अहमदाबाद, सुखदा कच्छावा दिल्ली, सुरेन्द्र अंचल ब्यावर तथा बीकानेर के देवदास रांकावत, धनंजय वर्मा, गौरीशंकर मधुकर शामिल थे। बीकानेर के श्री बुलाकीदास बावरा, श्री नागराज शर्मा, पिलानी, श्री रघुराज सिंह हाड़ा, झालावाड़ तथा कोटा की श्रीमती प्रेमलता जैन अस्वस्थता के कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। कार्यक्रम में कोलायत विधायक श्री देवीसिंह भाटी एवं बीकानेर नगर (पश्चिम) विधायक डॉ. गोपाल जोशी भी उपस्थित रहे।

इससे पूर्व 'थरपणा उच्छब' की पूर्व संध्या पर स्थानीय टाउन हॉल में विराट राजस्थानी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में समागत राजस्थान के कोने-कोने से आये कवियों ने अपनी कविताओं और सुमधुर गीतों से समां बाँध दिया। कवि सम्मेलन की शुरुआत फालना से समागत कवयित्री कविता किरण ने सरस्वती वंदना से की। वीर रस के कवि कुंभलगढ़ के माधव दरक ने 'हल्दीघाटी में समर लड्यो' बो चेतक रो असवार कठै, मायड़ थारो बो पूत कठै, बो महाराणा प्रताप कठै' कविता सुनाकर श्रोताओं में नया जोश भर दिया। उनकी कविता 'चमकै आभै में ज्यूं तारो, मीठा बोर मतीरां वाळौ, दमकै चांदा ज्यूं नखराळौ, अैड़ो म्हारो राजस्थान' ने श्रोताओं को बारम्बार करतल ध्वनि के लिए बाध्य कर दिया। सरदार रूपसिंह राजपुरी और सरदारशहर के छगनलाल शर्मा ने अपनी हास्य-व्यंग्य कविताओं से श्रोताओं को देर रात तक गुनगुनाया और वंस मोर-वंस मोर की आवाज पूरे सभागार में गूँजती रही।

कोटा से आये श्री मुकुट मणिराज ने अपने शृंगार रस के मधुर गीतों से श्रोताओं को सराबोर किया, वहीं सवाई माधोपुर के कवि ताऊ शेखावाटी ने 'हेली' और अपने मांड राग गीतों से वाहवाही लूटी। उनकी हास्य रचनाओं को भी श्रोताओं से सराहा।

जयपुर के भंवरजी भंवर ने अपने चिर-परिचित अंदाज में राजनीति पर व्यंग्य करते अपने गीतों से श्रोताओं को गरमाया। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित ने कवि सम्मेलन का आगाज संचालन करते हुए इन पंक्तियों से किया 'इण में ही बाजै बायरियो, इण में ही काग करूकै है, इण में ही हिचकी आवै है, इण में ही आंख फरूकै है, इण में ही जीवण-मरण जोय, अंतस रा आसा-वासा है, मोत्यां सूं मूंघी घण मीठी, आ राजस्थानी भाषा है।'

कवि सम्मेलन के अतिथि के रूप में परिवहन और गृह राज्यमंत्री श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं बीकानेर के महापौर श्री भवानीशंकर शर्मा उपस्थित थे। समारोह का संचालन श्री पृथ्वीराज रतनू ने किया।

–रवि पुरोहित
79, सिविल लाइन्स, बीकानेर

गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया

बीकानेर 26 जनवरी, 2012 शिक्षा आयुक्तालय परिसर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर **श्री प्रेमसुख बिश्नोई,** अतिरिक्त निदेशक ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरान्त अपने उद्बोधन में गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि हमारा भारत शीघ्र ही विश्व में अपनी सर्वोच्चता प्राप्त करेगा। इस अवसर पर प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के 11 कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। **उमेश कुमार साथ,** वरिष्ठ लिपिक; **प्रकाशचन्द्र शर्मा,** कनिष्ट लिपिक; **पवन चावला,** कनिष्ट लिपिक; **शक्ति सिंह,** कार्यालय सहायक; **शिम्भू प्रसाद मोदी,** कनिष्ट लिपिक; **बृजरतन धोबी,** सहायक कर्मचारी; **शिवरतन स्वामी,** वरिष्ठ लिपिक; **बलविन्द्र चुघ,** संगणक; **उमाशंकर बागड़ी,** कनिष्ट लिपिक; **मथुरादास उपाध्याय,** कनिष्ट लिपिक; **मोहनदास,** सहा. कर्मचारी, बागवान।

शिक्षा आयुक्तालय कर्मचारी पर्यावरण रक्षा एवं वृक्ष मित्र समिति तथा शिक्षा प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में गणतन्त्र दिवस के पावन अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, इसमें अतिरिक्त निदेशक **श्री प्रेमसुख बिश्नोई** एवं मुख्यलेखाधिकारी **श्री बनवारी लाल सर्वा, श्री शिवजीराम चौधरी,** संयुक्त निदेशक सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर आम, खेजड़ी, नीम, अनार आदि के पौधे लगाए गए।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रासीसर की आरती विश्नोई का सुयश

भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2012 में शिरकत की रासीसर गांव की आरती विश्नोई ने। सम्पूर्ण राष्ट्र के विज्ञान जगत के जिज्ञासुओं की प्रेरणा के स्रोत भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2012 का 99वाँ अधिवेशन दिनांक 3 जनवरी से 7 जनवरी 2012 तक के.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में सम्पन्न हुआ। इस शानदार आयोजन का उद्घाटन 3 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय डॉ. मनमोहन सिंह ने किया।

दिनांक 4 जनवरी 2012 को किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉंग्रेस में प्रोजेक्ट तैयार करने वाले बाल वैज्ञानिकों में से चयनित प्रतिनिधि आते हैं। इस वर्ष सम्पूर्ण भारत से 66 किशोर वैज्ञानिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉंग्रेस में पधारे थे। राजस्थान के 2 प्रोजेक्ट थे एक सीनियर वर्ग का प्रथम व दूसरा जूनियर वर्ग का प्रथम था। जूनियर वर्ग का प्रोजेक्ट बीकानेर जिले की नोखा तहसील की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रासीसर गाँव की कक्षा 8 की छात्रा आरती बिश्नोई ने अपने मार्ग दर्शक शिक्षक संजय कुमार कपूर व.अ. के निर्देशन में प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने किया। इस अवसर पर नेशनल चिल्ड्रन साइन्स कॉंग्रेस की सोवेनियर नामक पुस्तक का विमोचन भी पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। गौरतलब है कि इसमें आरती बिश्नोई के शोध कार्य को भी प्रकाशित किया गया है।

अपने क्षेत्र की मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्ञात करना एवं जल धारण क्षमता में बढ़ोत्तरी करके जल संरक्षण करना नामक विषयक प्रोजेक्ट के माध्यम से आरती बिश्नोई ने मात्र 1 रु. की लागत से अनुपयोगी पदार्थों से एक उपकरण का निर्माण किया जिसके माध्यम से कोई भी किसान बिना किसी प्रयोगशाला में जाये घर ही मिट्टी की जलधारण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं तथा आरती बिश्नोई ने प्रयोग द्वारा यह भी सिद्ध किया कि देशी खाद मिलाकर मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जल संरक्षण के साथ-साथ पैदावार में भी वांछित बढ़ोत्तरी की जा सकती है। बालिका को गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर जिला प्रशासन, बीकानेर द्वारा भी सम्मानित किया गया।

फुटपाथ से संवार रहे गरीब छात्रों का भविष्य

सपना कर रहे पूरा : 65 वर्षीय कमल भाई परमार अहमदाबाद में धातु का सामान बनाने के बड़े व्यापारी हैं। भगवान का दिया उनके पास सबकुछ है। परमार चाहते तो बुढ़ापा आराम से घर बैठकर गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीब बच्चों का भविष्य सुधारने का फैसला किया।

बेटा भी दे रहा पूरा साथ : अपना और बच्चों का सपना पूरा करने के लिए परमार ने एक 'फुटपाथ स्कूल' की स्थापना की जिसे वह अपने बेटे के साथ पिछले 12 वर्षों से चला रहे हैं। इस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो प्रतिभावान तो हैं, लेकिन ट्यूशन फीस देने में सक्षम नहीं हैं।

पढ़ाई के साथ खाना भी मुफ्त : रात में चलने वाले इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को रात का खाना भी मुफ्त दिया जाता है। इसका पूरा खर्चा परमार उठाते हैं जिसके लिए वह किसी तरह की सरकारी मदद भी नहीं लेते।

विद्यालय पुरस्कृत

श्रीमती गोमा देवी गहलोत रा.बा.मा.वि., कालीबेरी को जोधपुर जिले का श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय घोषित किये जाने के फलस्वरूप प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजू वर्मा को 25000/- का चैक व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। सन् 2009 में भी विद्यालय जोधपुर मण्डल स्तर पर श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय घोषित किया गया था।

रा.मा.वि., कोलासर को बीकानेर जिले का श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय घोषित किया गया। प्रधानाध्यापक श्री चरणजीत सूद ने माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा से पुरस्कार प्राप्त किया।

पुस्तक परिचय

शिवार्चन-चन्द्रिका : *पं. चन्द्रशेखर श्रीमाली; गुरु प्रकाशन, 3 घ, 24 पवनपुरी, बीकानेर; वर्ष : 2011; पृष्ठ 175; मूल्य : 150 रुपये।*

आज के अर्थ प्रधान युग में मनुष्य जहाँ व्यावसायिक मशीन बनकर रह गया है, वहीं आध्यात्मिकता की ओर से भी विमुख होता जा रहा है। कारण पैसों की चकाचौंध के आगे उसको सबकुछ नगण्य-सा प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पैसा अपनी जगह है और आध्यात्मिकता अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता को गौण करके हम उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँगे, क्योंकि अन्ततः हमें आज नहीं तो कल आध्यात्मिकता को स्वीकारना ही पड़ेगा, उसके अस्तित्व, उसके विज्ञान, उसकी कसौटी, उसके तर्कसम्मत ग्रंथों की रचना आदि ऐसे कारण हैं जिन्हें विज्ञान भी नकार नहीं सकता। विज्ञान ने भले ही कितनी ही तरक्की की हो, लेकिन आज भी विज्ञान ने नित नए आविष्कार, खोजें कर ली हैं, लेकिन उनके मूल में जो दृष्टि छिपी है उसमें आध्यात्मिकता के दर्शन अवश्य मिलते हैं, यानि जो विज्ञान आज प्रयोगों द्वारा सिद्ध करता है उसे हमारे ऋषि-मुनियों ने वर्षों पहले सिद्ध कर दिया था। वह तरीका चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित, चाहे अस्त्र-शस्त्र, चाहे चन्द्रमा तक पहुँचने की राह सभी में आध्यात्मिकता ने पहले ही विजय हासिल की हुई है, इसके शास्त्र-सम्मत प्रमाण मौजूद हैं।

इन्हीं प्रमाणों के आधार पर पं. चन्द्रशेखर श्रीमाली ने प्रस्तुत पुस्तक 'शिर्वाचन-चन्द्रिका' में ऐसे-ऐसे विधि-प्रयोग आदि से पूजा-पद्धति, संकट निवारण के उपाय आदि का सरलतम व संक्षिप्त तरीके से विवेचन किया है, जो सहज ही मनुष्य प्रकृति को आकर्षित करते हैं। 'शिर्वाचन-चन्द्रिका' में पं. श्रीमाली ने आज की भागमदौड़ भरी जिन्दगी को मद्देनजर रखते हुए संक्षिप्त तरीके से कम समय में कैसे पूजा की जा सकती है और उसका फल सम्पूर्णता को देने वाला होता है, का विवेचन बड़े ही सहज ढंग से किया है। पं. श्रीमाली ने अपने जीवन के अनुभवों का सार इसमें समाहित करते हुए किताब में जगह-जगह शास्त्र-सम्मत टीका-टिप्पणी की है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को पुष्ट करता है साथ ही अनुभव सिद्ध प्रयोगों का समावेश कर अपनी जिन्दगी के अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया है, जो संग्रहणीय के साथ-साथ तत्काल सिद्ध होने वाले हैं। आध्यात्मिकता का अनुभव विश्वास है और जहाँ विश्वास है वहाँ फल है और जहाँ फल है वहाँ ज्ञान। ज्ञान ही मनुष्य के बुद्धि-विवेक का परिचायक है। 195 पृष्ठों की इस पुस्तक में रुद्री पाठ भी सम्मिलित है और उसके शास्त्र-सम्मत विवेचन का भी संदर्भ है जिससे पाठक समझकर केवल कंठस्थ न करके उसकी उपयोगिता और लाभ का भी भागीदार बन सके। किताब का मुखपृष्ठ शिव के पाँच मुख का चित्र है जिसे नभांशु श्रीमाली ने डिजाइन किया है। किताब का आकर्षक मुखपृष्ठ भी संग्रहणीय बन पड़ा है। आज के व्यावसायिक युग में आध्यात्मिकता की ओर कम रुझान के बावजूद पं. चन्द्रशेखर श्रीमाली ने अपने प्रामाणिक अनुभवों से आध्यात्मिकता की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो सार्थक प्रतीत होता है।

–नरेन्द्र श्रीमाली
बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे, बीकानेर

रंग छवियाँ : *सम्पादन मदन शर्मा; राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर; संस्करण वर्ष : 2010; पृष्ठ 240; मूल्य : 180 रुपये।*

नाटक साहित्य और कला का समन्वित रूप है। साहित्य संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। इस लिहाज से नाट्य विधा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नाटक संवेदनाओं को साकार और साक्षात् रूप से मंच पर अभिव्यक्त करता है। इस दृश्यकला के माध्यम से समाज से सीधा संवाद स्थापित होता है। एक नाटक से यह अपेक्षा रहती है कि वह रंगमंचीय अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा रंगमंच के लिए अच्छे नाटकों के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समीक्ष्य पुस्तक 'रंग छवियाँ' का प्रकाशन किया गया है। श्री मदन शर्मा द्वारा संपादित इस कृति में 14 नाटक सम्मिलित हैं। इन्हें लघुनाटक कहना उचित रहेगा।

इस नाट्य संकलन में शामिल किए गए नाटक, शैली की दृष्टि से विविधता लिए हुए है। इसमें लोक नाट्यशैली, ध्वनि नाटक, गीति नाटक, हास्य व्यंग्य के नाटक, एकल पात्रीय नाटक और प्रयोगात्मक शैली के नाटक सम्मिलित है। साथ ही संग्रह के नाटकों की विषयवस्तु भी विविधता लिए हुए है। इसमें सामाजिक समस्याओं, ऐतिहासिक घटनाओं, लोक कथाओं के साथ आधुनिकता के छद्म मोह से जन्में जीवन के अन्तर्द्वन्दों को विषयवस्तु बनाया गया है। इस संकलन की ये विविधताएँ संपादकीय कौशल को व्यक्त करती हैं।

राजस्थान के सुप्रसिद्ध नाटककार हमीदुल्ला ने नाटकों के बारे में कहा है कि 'रंगमंच के लिए लिखे नाटक ऐसे होने चाहिए जो रंगपीठ की अपेक्षाओं के अनुकूल हो। नाट्य रचना जिसकी पूर्ण रसानुभूति उसके मंचन में निहित है न तो मात्र शाब्दिक संवाद होती है, और न ही मंच पर संवादों की अदायगी।' यानि नाटक रंगमंचीय हो तभी उसकी सार्थकता भी है। समीक्ष्य कृति के डॉलर अंडा, रूपमति, शिवरात्रि, टूटताभ्रम और कोई बात नहीं सरीखे नाटक इस कसौटी पर खरे उतरते नजर आते हैं। इसी तरह रेडियो भी नाटक के मंच के समान ही है। वहाँ वाचिक अभिनय होता है। संग्रह में सम्मिलित 'कण्ठहार' और उत्सर्ग नाटक इस मंच के लिए अच्छे नाटक हैं।

नाटक दो बार सृजित होता है। एक बार लेखक द्वारा दूसरी बार निर्देशक द्वारा। बहुत से नाटक कथावस्तु की दृष्टि से उच्चकोटि के होते हुए भी निर्देशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते। नाटकों के लिए एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि नाटक छपने के लिए या मंच के लिए? निश्चित रूप से नाटक मंच के लिए ही

होता है। इसलिए पाश्चात्य जगत में नाटक के सफल मंचन के बाद ही उसके प्रकाशन की व्यवस्था है। इस संग्रह के कुछ नाटक मंच से अनुकूलता करने में कुछ कमजोर नज़र आते हैं। नाटक में मात्र वार्तालाप के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। एकल पात्रीय नाटकों की स्क्रिप्ट का चुस्त दुरस्त होना अति आवश्यक हो जाता है। बाल नाटक के रूप में सम्मिलित एकल पात्रीय नाटक कुछ नये सवाल छोड़ता है। बाल नाटक बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? यदि बच्चों के लिए तो एकल पात्रीयता मंच पर उसका सही सम्प्रेषण कर पाएगी अथवा नहीं।

बहरहाल जो भी हो एक पुस्तक में 14 नाटक एक साथ होना रंगकर्मियों को स्क्रिप्ट चयन के लिए सुविधाजनक अवश्य है। राजस्थान में नाट्यलेखन में विपुल संभावनाएँ हैं। इस पुस्तक में राजस्थान के नामचीन नाट्य लेखकों और बहुत से नये उभरते नाट्यलेखकों के नाटक नहीं मिलना भी एक प्रश्न है। यदि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता तो अच्छे नाटकों के चयन के ज्यादा अवसर प्राप्त हो सकते थे।

–प्रमोद कुमार चमोली
राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने
गली नं. 2, अम्बेडकर कॉलोनी,
पुरानी शिवबाड़ी रोड, बीकानेर

कार्यालय लेखाकार्य – एक क्रियात्मक रूप – द्वितीय सोपान : *कृपाशंकर व्यास; सुमन विवेक मंदिर, धोबीधोरा, सूरसागर, बीकानेर; संस्करण : अगस्त, 2011; पृष्ठ सं. 208; मूल्य : 200 रुपये।*

राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, चाहे वह विभाग अध्यक्ष स्तर का हो अथवा कार्यालय अध्यक्ष स्तर का, दैनंदिन कार्य संचालन हेतु वहाँ कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के विभिन्न नियमों का ज्ञान लेना आवश्यक है। सरकारी नियमों की आधिकारिक पुस्तकें यद्यपि राजकीय कार्यालयों में आवश्यक रूप से नियमों के संदर्भ हेतु रखी जाती हैं, परन्तु इन पुस्तकों की आधिकारिक शब्दावली को समझ कर नियमों की व्याख्या एक श्रमसाध्य कार्य है तथा यह कार्य एक प्रशिक्षित कार्मिक के बिना किया जाना कठिन है। श्री कृपाशंकर व्यास सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा राजकीय नियमों को सरल एवं सहज रूप में रूपान्तरित कर जनसामान्य एवं आम कार्मिक तक पहुँचाने का कार्य पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है तथा समीक्ष्य पुस्तक इसी शृंखला की नवीनतम कृति है– जिसमें पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी/उपादान तथा पेंशन रूपान्तरण नियमों को सरलीकृत रूप में संकलित किया गया है।

पुस्तक के प्रारम्भिक अध्याय में पेंशन से आशय, पेंशन नियम कब से लागू हुए तथा किन कार्मिकों पर लागू होते हैं, पेंशन के दावे, पेंशन योगसेवा की गणना, पेंशन के विभिन्न प्रवर्ग, समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों का पेंशन पर प्रभाव, अंतःकालीन पेंशन, पेंशन की गणना तथा गणना में शामिल की जाने वाली परिलब्धियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों अर्थात् पेंशनर्स की समय-समय पर पेंशनों के स्थिरीकरण यथा प्री 1988, प्री 1996 एवं प्री 2006, पेंशनर की आयु के साथ पेंशन वृद्धि के सम्बन्ध में भी पूर्ण जानकारी दी गई है।

पुस्तक के द्वितीय अध्याय में ग्रेच्युटी/उपादान के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है। ग्रेच्युटी की देयता, गणना, क्लेम प्रस्तुत करना, विलंब से भुगतान पर ब्याज की देयता, पेंशन नियमों के प्रारम्भ से आदिनांक ग्रेच्युटी की दरों तथा अधिकतम राशि, ग्रेच्युटी से राजकीय बकाया राशियों की वसूली आदि के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है।

पुस्तक का तृतीय अध्याय पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में है। पारिवारिक पेंशन का अतीत, किसे देय होती है, परिवार की परिभाषा, आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, भुगतान का क्रम, आश्रित माता-पिता को पेंशन, पेंशनर/कार्मिक के लापता होने पर परिवार पेंशन की स्वीकृति, दयामूलक अनुदान इत्यादि का विवेचन विस्तार से किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में पेंशन की राशियों के निर्धारण, पेंशन प्रकरण तैयार करने के विभिन्न चरण यथा सेवानिवृत्ति आदेश जारी करना, बकाया नहीं प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, लम्बित वेतन स्थिरीकरणों को निपटाना, सेवा सत्यापनों की जाँच व लोप की पूर्ति, पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भेजना, राजकीय बकायाओं की सूचना, पेंशन विभाग द्वारा पेंशन अधिकृतियाँ जारी करना आदि की प्रक्रिया समझाई गई है।

पुस्तक के अध्याय पाँच, छह एवं सात में पेंशन प्रकरणों पर आपत्तियाँ एवं निराकरण, पेंशन अवार्ड्स, असाधारण पेंशन की जानकारी दी गई है। आठवाँ अध्याय पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में है जिसमें भुगतान प्रक्रिया, पेंशनर की पहचान, जीवन प्रमाणपत्र, अन्य राज्यों को पेंशन का स्थानान्तरण, पेंशन भुगतान आदेश खो जाने पर डुप्लीकेट बनाने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। नौवें अध्याय में पेंशनर की पुनः नियुक्ति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया बताई गई है।

पुस्तक का अंतिम अध्याय पेंशन रूपान्तरण नियमों के बारे में है। इस अध्याय में रूपान्तरण से आशय, देयता, प्रतिबंध, राशि गणना, आवेदन की अवधि, चिकित्सा जाँच किन स्थितियों में आवश्यक है, आवेदन प्रारूप, अधिकृतियाँ जारी करने आदि के सम्बन्ध में बताया गया है।

पुस्तक के सभी अध्यायों में नियमों के विवेचन के साथ-साथ प्रत्येक नियम से सम्बन्धित प्रकरणों का क्रियात्मक रूप उदाहरणों सहित समझाया गया है। पुस्तक में सामान्य बोलचाल के वाक्यों का प्रयोग हुआ है तथा क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं होने के कारण पुस्तक सरकारी कार्मिकों के साथ-साथ आम पाठकों के लिए भी समान उपयोगी है। लेखक का मुख्य ध्येय सरल सहज भाषा में पेंशन नियमों को आमजन एवं कार्मिकों को समझाने का रहा है तथा वह अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रहे हैं।

–सहायक लेखाधिकारी
आयुक्तालय, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर

ढाई किलो की ई-बाइक

कार के बाद फोर्ड मोटर्स अब बाइक सेक्शन में भी उतर गया है। फोर्ड की ई-बाइक का वजन सिर्फ ढाई किलो है। इसका फ्रेम एल्युमीनियम और कार्बन से बना है। इसके फ्रंट व्हील में 350 वॉट की मोटर लगी है। जो कि बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। एक बार चार्ज होने पर यह 85 किमी. तक दौड़ सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड 25 किमी. प्रति घंटे की है।

गड़बड़ी पहचान रुक जाएगी कार

फिएट की नई कार पांडा सामने आई गड़बड़ी को पहचान कर खुद ही रुक जाएगी या फिर इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। इससे एक्सीडेंट की आशंका कम हो जाएगी। दरअसल कार में लगा एक लेजर सिस्टम किसी भी गड़बड़ी को पहचान सकेगा। फिएट की ये कार फरवरी 2012 तक बाजार में आ जाएगी।

इसका इंजन भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रति किमी. पर यह सिर्फ 99 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन करेगा, जबकि इससे पहले कि मॉडल 120 ग्राम प्रति किमी. का उत्सर्जन करते हैं। इसके मॉडल के साथ चार एयरबैग की सुविधा भी मिलेगी। कीमत अभी तय नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत 9.87 लाख तक हो सकती है।

डायबिटीज की जाँच में इंजेक्शन की जरूरत नहीं

अब डायबिटीज की जाँच के लिए इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्काउट डीएम नाम का सिस्टम चंद सैकंड में बता देगा कि शरीर में ग्लूकोज का लेबल क्या है?

कैसे करेगा काम? बस हाथ सिस्टम के सामने रखना होगा। चंद सेकंड में ये शरीर में ग्लूकोज का लेवल बता देगा। अमेरिका में लॉस एंजेल्स स्थित एलएसयू हेल्थ साइंस सेंटर इसे बना रहा है। इस साल अक्टूबर में यह बाजार में आ जाएगा।

हमारे लिए फायदा : वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम पराबैंगनी और नीली किरणों की अलग-अलग वेवलेंथ के आधार पर एज की मात्रा जाँचता है। इससे मिले परिणाम सटीक होते हैं। ऐसे में सही इलाज में सहायता मिलती है।

स्मार्टफोन से पार्क हो जाएगी कार

निसान कंपनी की खास कार। इस थ्री सीटर इलेक्ट्रिक कार में एक फ्रंट और दो बैक सीट है। कार के आस-पास लगे कैमरे आँखों का काम करते हैं। कार ड्राइवर अपने स्मार्टफोन से इसे कंट्रोल कर सकता है। इसकी ऑटोमेटेड वैलेट पार्किंग से यह अपने आप पार्क हो जाती है। साथ ही स्मार्टफोन एप्प के जरिये ये पार्किंग से बाहर भी आ सकती है। ये कार अपने विशेष पहियों के कारण 360 डिग्री पर घूम सकती है। कार की लीथियम ऑयन बैट्री से चार्ज किया जाता है।

चेहरा देखकर होगा फोन लॉक

नया एंड्रोइड-4 अब स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिए कॉमन रहेगा। इससे पहले के वर्जन हनीकॉम्ब का प्रयोग सिर्फ टेबलेट के लिए होता था। एंड्राइड-4 में विजेट्स के साइज को कम या ज्यादा किया जा सकेगा। अपने पसंदीदा एप्स को ढूंढ़ना आसान होगा। आईफोन की ही तरह एप्लीकेशंस को फोल्डर में सेव किया जा सकेगा। इसमें चेहरे की पहचान से भी फोन लॉक हो सकेगा। इसके अलावा इनकमिंग कॉल के वक्त फोन को अनलॉक किए बिना भी मेसेज भेज सकेंगे। ओपन माइक की मदद से आसानी से बोलकर कंटेट लिखा जा सकेगा। ऑफलाइन सर्च से 30 दिन तक पुराने मेल चेक किए जा सकते हैं।

एआईईईई में अब किसी भी उत्तर पर बदल सकेंगे माध्यम

इंजीनियरिंग के लिए होने वाली ऑनलाइन एआईईईई में छात्र परीक्षा के दौरान कभी भी माध्यम बदल सकेंगे। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिख पाएँगे। इसका फायदा हिन्दी माध्यम के छात्रों को मिलेगा। इसके अलावा पेपर देने के बाद प्रश्नपत्र की कॉपी छात्रों को ई-मेल कर दी जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, जो छात्र माध्यम बदलेंगे, उनका किसी भी तरह का नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

पसीने से निजात दिलाएँगे ये जूते

जो लोग जूतों में आने वाले पसीने से परेशान रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर। लुइस गार्ने कंपनी अब ऐसे जूते बना रही है, जो पैरों से निकलने वाले पसीने को ठंडे अहसास में बदल देंगे, क्योंकि जूते के सोल में इस्तेमाल किए गए फेब्रिक में जाइलिटॉल मिलाया गया है। ये पसीने को ठंडा कर देगा। जाइलिटॉल को च्यूईंगम में स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम च्यूईंगम चबाते हैं तो ठंडा अहसास होता है। इसी का इस्तेमाल जूतों में किया गया है। जनवरी से ये जूते 16 हजार रुपये में उपलब्ध होंगे।

पैर में पहिए, 7 किमी./घंटे की स्पीड

जी हाँ। अब इलेक्ट्रिक जूते पहनकर आप भी ये रफ्तार पा सकते हैं। एसपीएनकिक्स नाम के ये जूते लॉस एंजिलिस के पीटर ट्रेडवे ने डिजाइन किए हैं। बैटरी से चलने वाले इन जूतों को स्केट बोर्ड की तरह बाँधा जाता है। स्पीड रिमोट से नियंत्रित होती है। एक बार बैटरी चार्ज करने पर ये जूते 3 से 5 किमी. की दूरी तय करेंगे। दाएँ या बाएँ मुड़ने के लिए पहनने वाले को शरीर को उसी दिशा में झुकाना पड़ता है। इनका इस्तेमाल बारिश में भी किया जा सकेगा। कीमत करीब 34 हजार रुपये होगी। लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा।

42 हजार करोड़ में मिलेंगे एमएमआरसी एयरक्राफ्ट

आसमान में हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। 2012 में वायुसेना की मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट डील पक्की हो जाएगी। इस डील में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसमें वायुसेना को 126 एयरक्रॉफ्ट मिलेंगे। इसमें 18 विमान फ्लाइंग कंडीशन में मिलेंगे। बाकी विमानों के पुर्जों को देश लाया जाएगा। इन्हें हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में असेंबल कर विमान तैयार किया जाएगा। डील 42 हजार करोड़ रुपये में हुई है। ये देश का सबसे महँगा रक्षा सौदा है। ये विमान मिग 21 विमानों की जगह लेंगे।

हॉलीवुड की तरह यूटीवी शुरू करेगा बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम

भारत में यूटीवी स्टार्स बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम बनाने जा रहा है। इस वॉक ऑफ फेम को मुंबई के बांद्रा बैंड-स्टैंड पर बनाया जाएगा। यहाँ शाहरुख खान और सलमान खान जैसी कई बड़ी हस्तियों के घर हैं। फिलहाल बॉलीवुड के 60 सितारों के नाम इस फेम में शामिल किए गए हैं। लॉस एंजिलिस में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है। इसमें करीब 2500 सितारों के नाम हैं। हर साल करीब 1 करोड़ लोग इसे देखने जाते हैं।

पहली फनीक्यूलर गुजरात में

2012 से देश की पहली फनीक्यूलर ट्रेन गुजरात के सापूतारा और चोटीला में चलेगी। हाईस्लोप पर चलने वाली ट्रेन को फनीक्यूलर ट्रेन कहा जाता है। यह रोप-वे के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। रोप-वे में आठ से दस लोग बैठ सकते हैं, वहीं फनीक्यूलर ट्रेन 100 से अधिक लोगों को सफर करवा सकती है। गुजरात पर्यटन निगम की गुजटोप कंपनी के पास इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है।

अग्नि 5 की रेंज में चीन

फरवरी 2012 में तैयार होने वाली अग्नि 5 मिसाइल देश की सामरिक ताकत को दोगुना कर देगी। इसकी रेंज 5000 किमी. है। इसकी पहुँच चीन तक होगी। ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल चीन की डोंग फेंग 31 और डीएफ 41 मिसाइल का जवाब है। अग्नि 5 को आसानी से सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें केनिस्टर लांच मिसाइल सिस्टम लगाया गया है, जिसके चलते इसे ज्यादा दिनों तक बिना मेंटेनेंस स्टोर किया जा सकता है।

अंटार्कटिका में देश बनाएगा तीसरा स्थायी रिसर्च स्टेशन

अंटार्कटिका में देश का तीसरा स्थाई सैटेलाइट स्टेशन भारती 2012 में शुरू हो जाएगा। इसे अंटार्कटिका के पूर्वी तट स्थित लारसेमन्न हिल्स पर बनाया गया है। इसकी लागत 200 करोड़ होगी। यहाँ से सैटेलाइट इमेज को आसानी से कम समय में ट्रांसमिट किया जा सकेगा। नए स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। यहाँ सर्दियों में 25 व गर्मियों में 15 वैज्ञानिक काम करेंगे।

पलक झपकते मनचाहा काम

अगर आपको खाना नहीं बनाना आता या पत्नी बच्चों को ठीक से न सँभाल पाने के लिए रोज झाड़ पिलाती है या मैथ्स की मार की वजह से प्लेन उड़ाने का सपना, सपना ही रह गया हो तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। बोस्टन यूनिवर्सिटी और एटीआर कंप्यूट्यूशनल न्यूरोसाइंस लैबोरेट्री के वैज्ञानिक जल्द ही एक ऐसी तकनीक बना लेंगे, जिसकी मदद से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने की तरह इनसान के दिमाग में नई-नई कलाओं को अपलोड किया जा सकेगा।

शोध में लगे वैज्ञानिकों का यहाँ तक दावा है कि अब दूसरे देश में जाने पर व्यक्ति को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यात्रा से दस मिनट पहले उस क्षेत्र की भाषा को अपने दिमाग में अपलोड किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन (एफएमआरआई) का अध्ययन कर रहे हैं। उनका इरादा ज्ञान को किसी के विज्युअल कार्टेक्स में संकेतों की मदद से भेजने का है, ताकि दिमाग के क्रियाकलापों को बदला जा सके। इस प्रक्रिया को उन्होंने डिकोडड न्यूरोफीडबैक या डेक्नेफ नाम दिया है।

मिनटों में क्रीम मिटा देगी त्वचा से झुर्रियाँ

महिलाएँ अपनी त्वचा को जवां रखने के लिए क्या-क्या उपाय नहीं करती हैं, फिर भी त्वचा में वो रौनक नहीं आ पाती, जिसकी उन्हें ख्वाहिश होती है। लेकिन अब उनका यह सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन के बाजारों में एक ऐसी क्रीम की बिक्री शुरू होने जा रही है, जो कुछ मिनटों के भीतर उम्र के असर को पलट सकेगी। 'द फेसलिफ्ट इन द बॉटल' नामक इस क्रीम के निर्माताओं का दावा है कि महज 16 मिनटों में इनसान को उसकी वास्तविक उम्र से आठ साल जवां बना सकती है।

इतना ही नहीं, यह आँखों के आसपास के काले घेरे, झुर्रियों और सूजन को 92 फीसदी तक कम करने में सक्षम है। इसे बनाने वाली कंपनी 'आई सिक्रेट्स' के विशेषज्ञों ने बताया कि 25 साल की उम्र के बाद से चेहरे पर बढ़ती उम्र की निशानियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं।

टचस्क्रीन पर जीवंत महसूस होंगी तस्वीरें

तस्वीरें यादें ताजा करने का जरिया होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यादों के साथ ये अहसासों को भी ताजा करने लगे तो कैसा होगा। चौंकिए मत, जल्दी ही यह कल्पना हकीकत का रूप लेकर आपके मोबाइल में मौजूद होगी। सेन्सेग कंपनी ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जो आपको तस्वीर में सजीवता का अहसास कराएगी।

कंपनी द्वारा इसे 'टिक्सेल' नाम दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया है। जब आप मोबाइल के स्क्रीन को छूते हैं तो यह करंट अंगुली को स्क्रीन की ओर खींचता है और ऐसा अहसास होता है कि आप तस्वीर में मौजूद वास्तविक चीज को छू रहे हैं। मान लीजिए कि आपने पेड़-पौधों की तस्वीर उतारी है तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में उस पेड़ को ही छू रहे हैं। सेन्सेग की इस नई तकनीक को जानकारों द्वारा आविष्कार जगत में क्रांति बताया जा रहा है। इसे बनाने वाले विशेषज्ञों ने बताया, तकनीक में टचस्क्रीन के चारों ओर एक लेयर बनाई गई है। यह लेयर ही अंगुली को खींचता है और फोटो में वास्तविकता का एहसास कराता है। फिलहाल तो यह तकनीक प्रायोगिक तौर पर बनाई गई है, लेकिन आने वाले समय में यह हर स्मार्टफोन और टचस्क्रीन फोन का मुख्य फीचर बन जाएगी। इतना ही नहीं, कई वीडियो गेम्स और फिल्मों को बनाने में भी यह तकनीक कारगर होगी।

कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीक फिलहाल प्रारम्भिक दौर में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही यह कई स्मार्टफोन में मौजूद होगी। हालांकि इसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अब वह दिन दूर नहीं जब आप तस्वीर में हकीकत को महसूस कर पाएँगे।

भामाशाह

झालावाड़

रा.उ.मा.वि., रीछवा में श्री विपिन बिहारी पारेता द्वारा 11,151 रुपये की लागत से 500 लीटर पानी की टंकी मय नल फिटिंग। रा.उ.मा.वि., मनोहर थाना को सर्वश्री प्रेम बिहारी त्रिवेदी (से.नि., प्रधानाचार्य), लियाकत अली (व्याख्याता) प्रत्येक से एक-एक अलमारी लागत प्रत्येक की 4200 रुपये, श्री रामजीलाल कोली (व्याख्याता) से दो सोफासैट लागत 11,500 रुपये, स्टाफ से ट्री गार्ड लागत 3500 रुपये तथा जन सहभागिता से ट्री गार्ड लागत 23,700 रुपये। **रा.मा.वि., कंवरपुरा (मण्ड)** को श्री केसर सिंह हाड़ा से दो पंखा लागत 2500 रुपये तथा सर्व श्री सत्यनारायण मीणा, सीताराम नागर, शिवचरण नागर व शाला परिवार प्रत्येक से एक-एक पंखा व प्रत्येक की लागत 1100 रुपये।

झुंझुनूं

रा.उ.मा.वि., सारी को धर्मपाल सिंह (से.नि.व.अ.) से दो लोहे की अलमारी लागत-5000 रुपये, श्री ताराचन्द पचार से एक सिलिंग पंखा लागत 1350 रुपये, श्री राजकुमार पचार से वार्षिक उत्सव पर समस्त ईनाम हेतु 2000 रुपये नकद, श्री कैलाश कड़वासरा से 15 अगस्त पर मिठाई हेतु 3000 रुपये नकद, श्री ताराचन्द पचार से 2500 रुपये नकद, स्व. भगाराम मालुपुरा का बेटा से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को इनाम हेतु 1500 रुपये, श्रीमती अजिता पचार से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को नकद राशि 2050 रुपये, श्रीमती संतोष पचार व सुमेर (सरपंच सारी) से कक्षा 8, 10, 12 में अधिकतम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को नकद 2100 रुपये मिठाई हेतु 5200 रुपये, ग्राम-सारी द्वारा माइक सेट लागत 11000 रुपये, श्री संजीव पूनिया द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु 5000 रुपये, श्री जयनारायण जी से 3000 रुपये नकद, श्री उम्मेद सिंह राठौड़ से 4000 रुपये नकद प्राप्त हुए। सेठ रामप्रताप साँथलिया रा.उ.प्रा.वि., इस्लामपुर को श्री रतनलाल चौधरी से जिला स्तरीय छात्र बास्केट बाल प्रतियोगिता का सम्पूर्ण खर्चा वहन 31,000 रुपये, श्री रामगोपाल सोमानी से कम्प्यूटर प्रिन्टर व स्केनर हेतु 10,000 रुपये नकद, श्री रामधार महेश्वरी फाउंडेशन के श्री बाल किशन लखोटिया से फर्नीचर मरम्मत हेतु 20,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि., कुमावास (खीचडान)** में श्री राजेन्द्र खेतान द्वारा 7,50,000 रुपये की लागत से तीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण करवाया गया तथा दो कक्षा-कक्ष का निर्माण लागत 5,00,000 रुपये, लोहे की अलमारी 12 बड़ी व 10 छोटी लागत 1,00,000 रुपये, फर्नीचर लकड़ी का 1,00,000 रुपये तथा राजकीय विद्यालय के छात्र-छात्राएँ की ड्रेस (500) लागत 1,00,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि., रघुनाथपुरा (उदयपुर वाटी)** में श्रीराम मावालिया द्वारा 80,000 रुपये की लागत से विद्युत पम्प सेट सहित कूप निर्माण। तथा कार्यालय मेज व व्हील चेयर लागत 10,000 रुपये, अलमारी दो लागत 10,000 रुपये। **श्री डी.आर.डी. रा.उ.मा.वि., मण्डावा** में डेडराज सेवा कोष कोलकता द्वारा 34,000 रुपये एवं मोहरी देवी सेवानिधि कोलकता द्वारा 33,500 रुपये की लागत से पूर्वी मुख्यद्वार एवं दीवार के पुनर्निर्माण हेतु नकद प्राप्त हुए। **रा. श्रीमती सरस्वती देवी बा.उ.मा.वि. मांडासी** को श्री विनोद कुमार चौधरी द्वारा शाला शुल्क (कक्षा 9 से 12 तक) 63,070 रुपये, शाला गणवेश व पाठ्य सामग्री 1,10,000 रुपये, स्कूल बैग लागत 70,000 रुपये, वाहन सुविधा 2,50,000 रुपये, वाटर कूलर एक लागत 68000 रुपये, प्रोत्साहन पुरस्कार (छात्राओं के लिए) 11,000 रुपये, सिलाई मशीन (तीन) लागत 6000 रुपये, शौचालय गटर निर्माण 8000 रुपये, स्वेटर व स्कार्फ 35,000 रुपये। **रा.मा.वि., भावठड़ी** से श्री दीपक शर्मा एवम् श्री रविकान्त शर्मा ने स्व. श्री शिव चरण शर्मा की स्मृति में शाला को 11,000 रुपये का सोफा सेट सप्रेम भेंट। श्री हनुमान स्योराण एवम् श्री रणसिंह द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न भेंट किये लागत 1,100 रुपये। स्व. बेगराज जागिड़ के सुपुत्रों से प्र.अ. कार्यालय लकड़ी का टेबल लागत 11,000 रुपये तथा प्रतिभावान छात्रों हेतु दो लकड़ी के बोर्ड लागत 1100 रुपये, श्री जयप्रकाश अग्रवाल से रिवाल्विंग चेयर लागत 2100 रुपये, विद्यार्थियों द्वारा लोहे की रैक लागत 1500 रुपये। श्री हवा सिंह से स्काउट छात्रों की गणवेश 5100 रुपये, विद्यालय स्टाफ द्वारा 3 कुर्सी लागत 2500 रुपये, कक्षा-10 के विद्यार्थियों के अभिभावक द्वारा 2 छत पंखे लागत 2200 रुपये, अनाज डालने की छोटी-बड़ी दो टंकी लागत 1600 रुपये, श्री हनुमान प्रसाद पूर्व सरपंच से दीवार पर भारत का नक्शा लागत 501 रुपये, श्री विजय कुमार अग्रवाल से दीवार पर राजस्थान का नक्शा 501 रुपये, टाइगर क्लब भावठड़ी से दीवार पर झुंझुनूं का नक्शा 501 रु., श्री मानसिंह कस्वां (प्र.अ.) से दीवार घड़ी 251 रुपये। **रा.मा.वि., बिरोल (नवलगढ़)** को श्री सुलतान सिंह केरोड़िया ने विद्यालय के 60 जरूरतमंद एवं गरीब बालक-बालिकाओं को शिक्षण सामग्री किट 11,000 रुपये, श्री प्रह्लाद वर्मा से प्र.अ. टेबल-कुर्सी लागत 7000 रुपये, श्री पुनीत आर्य से लोहे की अलमारी लागत 6000 रुपये, श्री बजरंग लाल सैनी (से.नि.अ.) लोहे की अलमारी लागत 6000 रुपये, श्रीमती प्रमिला देवी अध्यापिका से 05 प्लास्टिक की कुर्सी लागत 2500 रुपये, **शहीद हवलदार ईश्वर सिंह रा.मा.वि., भड़ून्दा खुर्द** को श्री विजयपाल सिंह से सम्पूर्ण कम्प्यूटर सिस्टम लागत 17000 रुपये, श्री जगदीश प्रसाद झाझड़िया (शा.शि.) से 10 टेबल-10 स्टूल, एक पंखा, एक दीवार घड़ी, इन्टरनेट कनेक्शन सिस्टम - 13500 रुपये। **रा.मा.वि., हेतमसर** को श्री गिरधारीलाल स्वामी से एक अलमारी एवम् स्मृति चिह्न 9000 रुपये, श्री विनोद शर्मा से विद्यार्थियों को मिठाई 11,000 रुपये, श्री हीरालाल से पुस्तकालय हेतु पुस्तक 800 रुपये, माता सरस्वती देवी (शर्मा परिवार) से 50 स्टूल लागत 12,800 रुपये तथा खिलाड़ियों को पुरस्कार 1100 रुपये, श्री वींजाराम कस्वां से एक कम्प्यूटर लागत - 9000 रुपये, जन सहयोग से एक अलमारी पुस्तकालय हेतु 5000 रुपये तथा लेक्चर स्टैण्ड एक लागत - 1700 रुपये।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक आलोक गुप्ता द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : आलोक गुप्ता

गणतन्त्र दिवस समारोह – 2012

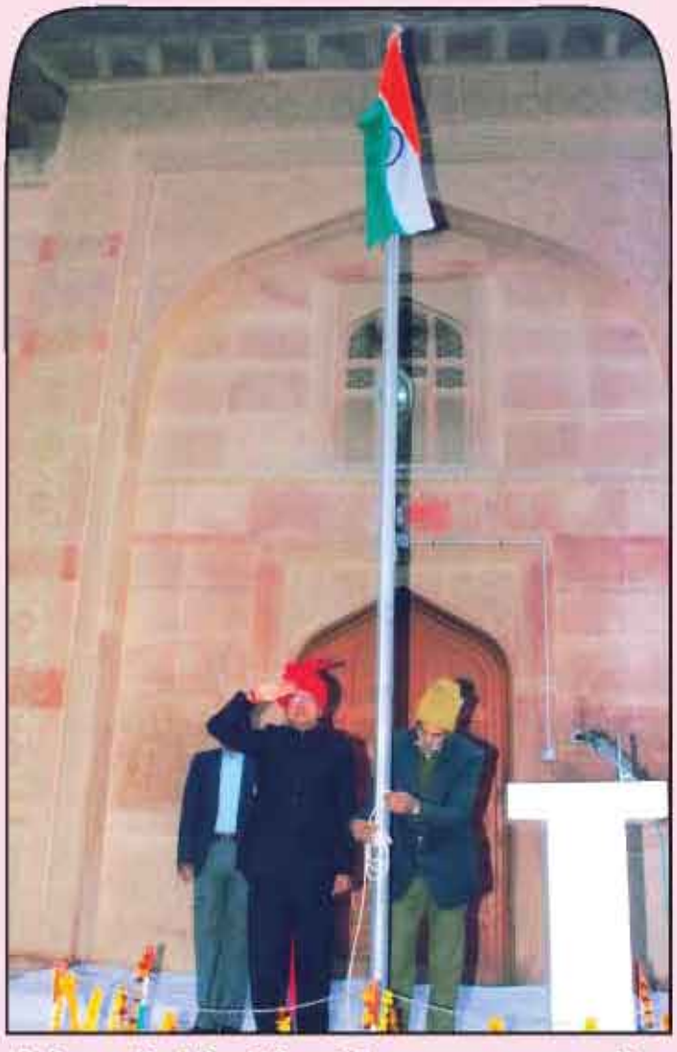

श्री प्रेमसुख बिश्नोई, अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, मा. शिक्षा राज. बीकानेर आयुक्तालय परिसर, बीकानेर में ध्वजारोहण करते हुए।

आयुक्तालय परिसर, बीकानेर में पौधारोपण।

गणतन्त्र दिवस समारोह, आयुक्तालय परिसर, बीकानेर में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

रा.मा.वि., डूडसी (जालौर) में गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में देशभक्ति गीत पर नृत्य करती छात्राएँ।

आयुक्तालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित कर्मचारीगण।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) मार्च, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2012 पृष्ठ 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना +2 स्तर इकाइयों द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविरों की झलकियाँ